



# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए



संघ सरकार  
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर  
2015 की प्रतिवेदन सं. 3

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन**

**मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए**

**संघ सरकार  
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर  
2015 की प्रतिवेदन सं. 3**

..... को लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत

## विषय सूची

विषय	पृष्ठ
<b>प्राक्कथन</b>	<b>i</b>
<b>मुख्य बातें</b>	<b>iii-vi</b>
<b>अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन</b>	<b>1-16</b>
i. संघ सरकार के संसाधन	1
ii. प्रत्यक्ष करों का स्वरूप	1-2
iii. सीबीडीटी के कार्य एवं उत्तरदायित्व	2
iv. प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग	3
v. प्रत्यक्ष करों में वृद्धि	4-7
vi. छोड़ा गया राजस्व	7-8
vii. कर आधार का विस्तारण और गहनता	9-10
viii. संवीक्षा निर्धारणों का निपटान	10-11
ix. प्रतिदाय दावों का निपटान	11
x. असंग्रहीत मांग	11-12
xi. अपील मामलों के निपटान	13
xii. अभियोजन की प्रास्थिति	14
xiii. सीबीडीटी के परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज	14
xiv. आयकर विभाग की आईटी पहलें	14-15
xv. आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता	15-16
<b>अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव</b>	<b>17-25</b>
i. प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार	17
ii. प्रणालियों और क्रियाविधियों की जांच और उनकी प्रभावोत्पादकता	17-18
iii. लेखापरीक्षा उत्पाद और प्रभाव	18-20
iv. त्रुटियों की घटना	20-22
v. लेखापरीक्षा के बताने पर वसूली	22
vi. लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया	23-24
vii. लेखापरीक्षा आपत्तियों का लंबन	24-25
viii. अभिलेखों को उपलब्ध न करना	25
<b>अध्याय III: निगम कर</b>	<b>27-44</b>
i. निर्धारणों की गुणवत्ता	28-33
ii. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	33-38
iii. चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	38-43

iv. कर/ब्याज का अधिक प्रभार	43-44
<b>अध्याय IV: आयकर और संपत्ति कर</b>	<b>45-56</b>
i. निर्धारणों की गुणवत्ता	45-50
ii. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	50-52
iii. चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	53-55
iv. कर/ब्याज का अधिक प्रभार	56
<b>अध्याय V: आयकर समझौता आयोग की कार्यप्रणाली तथा आईटीडी द्वारा इसके आदेशों को लागू करना</b>	<b>57-71</b>
<b>परिशिष्ट</b>	<b>73-108</b>
<b>संकेताक्षर</b>	<b>109-110</b>

## प्राक्कथन

मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व विभाग संघ सरकार के प्रत्यक्ष करों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में वह मामले उल्लिखित हैं जो 2013-14 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये, साथ ही वो मामले भी, जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए गए थे; 2013-14 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहाँ आवश्यक समझा गया, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

## मुख्य बातें

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ सरकार के प्रत्यक्ष करों से प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करते हैं। इस प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष कर प्रशासन, लेखापरीक्षा अधिदेश और अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गई है।

### अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

वित्तीय वर्ष 2013-14 में संघ सरकार की प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 6,38,596 करोड़ थीं, जो जीडीपी के 5.6 प्रतिशत को दर्शाती हैं। सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2012-13 में 53.9 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में 56.1 प्रतिशत हो गया।

प्रत्यक्ष कर के दो प्रमुख संघटक अर्थात् निगम कर वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 3.56 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 3.95 लाख करोड़ और आयकर वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 1.97 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 2.38 लाख करोड़ हो गया।

कर छूटों के आधार पर छोड़े गए राजस्व में वित्तीय वर्ष 2012-13 के ₹ 1.02 लाख करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 1.16 लाख करोड़ की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2010-11 से इसमें निरपवाद रूप से वृद्धि हो रही है।

गैर निगमित निर्धारितियों की संख्या वित्तीय वर्ष 2012-13 में 367.87 लाख से घट कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में 304.03 लाख हो गई, इसमें 17.4 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है।

निगमित निर्धारितियों की संख्या 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 में 5.90 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में 6.36 लाख हो गई। निगमित निर्धारितियों की संख्या (6.36 लाख) वित्तीय वर्ष 2012-13 में कम्पनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी) में पंजीकृत कार्यरत कम्पनियों की संख्या (8.84 लाख) से भिन्न है।

संवीक्षा निर्धारण के कुल 7.0 लाख मामलों में से विभाग ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.8 लाख मामलों का निपटान किया था जिससे लंबित मामलों में वृद्धि हुई।

हमने देखा कि लम्बित प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों की संख्या में वित्तीय वर्ष 2012-13 में 11.2 लाख से घटकर वित्तीय वर्ष 2013-14 में 8.8 लाख हो गई।

असंग्रहीत मांग वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 4.86 लाख करोड़ से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 5.75 लाख करोड़ हो गई। विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में 94 प्रतिशत से अधिक कि असंग्रहीत मांग की वसूली मुश्किल है।

सीआईटी (अपील) के पास लम्बित अपीलों वित्तीय वर्ष 2012-13 में 1.99 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.15 लाख हो गई। सीआईटी (अपील) में इन मामलों में अवरुद्ध राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 2.87 लाख करोड़ थी। 76,922 मामलों में उच्चतर स्तरों (आईटीएटी/ उच्च न्यायालयों/ सर्वोच्च न्यायालय) पर अवरुद्ध राशि में 31 मार्च 2013 को ₹ 1.5 लाख करोड़ (69,714 मामलों) की तुलना में 31 मार्च 2014 को ₹ 1.8 लाख करोड़ हो गई।

## अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

आयकर विभाग ने हमारे द्वारा बताई गई निर्धारण की त्रुटियों को सुधारने के लिए उठाई गई मांग से वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 3659.7 करोड़ की वसूली की।

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में 2.13 लाख संवीक्षा निर्धारण पूरे किए जिनमें से हमने 1.77 लाख मामलों की जांच वित्तीय वर्ष 2013-14 में की। लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारण में 0.17 लाख गलतियाँ थी जो औसतन 9.5 प्रतिशत थी।

इस प्रतिवेदन में मंत्रालय को जारी 469 उच्च मूल्य और महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा की गई है। इनमें से आयकर विभाग ने 144 मामले (31 प्रतिशत) स्वीकार कर लिए। 11 मामलों में, विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की।

प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लम्बित उत्तरों के संचय के परिणामस्वरूप 40,638 मामले इकट्ठे हो गए जिनमें 31 मार्च 2014 तक ₹ 54,297.4 करोड़ का राजस्व प्रभाव शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 1,121.2 करोड़ के कर प्रभाव के 2,427 मामले उपचारी कार्रवाई हेतु समयबाधित हो गए।

## अध्याय III: निगम कर

हमने निगम कर से संबंधित 326 उच्च मूल्य वाले मामले बताए जिनमें ₹ 2,254.72 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। हमने मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया नामतः निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 655.9 करोड़ (106 मामले) के कर प्रभाव शामिल थे, कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 716.9 करोड़ (121 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय जिसमें ₹ 387.6 करोड़ (67 मामले) का कर प्रभाव शामिल था तथा कर/ब्याज का अधिप्रभार जिसमें ₹ 494.3 करोड़ (32 मामले) शामिल थे।



#### **अध्याय IV: आयकर और धनकर**

हमने आयकर से संबंधित 124 उच्च मूल्य वाले मामले बताए जिनमें ₹ 397.0 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। हमने मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया नामतः निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 262.7 करोड़ (38 मामले) शामिल थे, कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 29.79 करोड़ (37 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय जिसमें ₹ 20.3 करोड़ (22 मामले) का कर प्रभाव शामिल था तथा कर/ब्याज का अधिप्रभार जिसमें ₹ 84.1 करोड़ (27 मामले) शामिल थे। इसके अलावा, हमने धन कर से संबंधित ₹ 2.0 करोड़ के कर प्रभाव वाले 19 मामलों के बारे में भी बताया।

#### **अध्याय V: आयकर समझौता आयोग की कार्यप्रणाली और आयकर विभाग द्वारा इसके आदेशों को लागू करना**

आयकर अधिनियम ने आवेदनों की फाइलिंग से लेकर आयोग द्वारा उनके निपटान तक के विभिन्न स्तरों और आयकर विभाग द्वारा इसके आदेशों के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा निर्धारित की है। हमने आयोग और आयकर विभाग की तरफ से विभिन्न स्तरों पर काफी विलम्ब देखा क्योंकि 1 जून 2007 से पूर्व फाइल किए गए कई आवेदन निपटान हेतु अब भी आयोग के पास लंबित हैं। इसके अलावा, आयकर विभाग ने आयोग को अपेक्षित रिपोर्टें प्रस्तुत करने में और आयोग के आदेशों को प्रभावित करने में काफी समय लिया।

## अध्याय I

### प्रत्यक्ष कर प्रशासन

#### 1.1 संघ सरकार के संसाधन

1.1.1 भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करके लिए गए सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋण के पुनर्भुगतान में सरकार को प्राप्त सभी धन शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व शामिल हैं। निम्नलिखित तालिका 1.1 वि.व. (वि.व.) 2013-14 के लिए संघ सरकार के संसाधनों का सारांश प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन	(₹ करोड़ में)
क. कुल राजस्व प्राप्तियाँ	15,36,024
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	6,38,596
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	5,00,400
iii. सहायता अनुदान एवं अंशदान सहित गैर-कर प्राप्तियाँ	3,97,028
ख. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	27,553
ग. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	24,549
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	39,94,966
<b>भारत सरकार की कुल प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)</b>	<b>55,83,092</b>
टिप्पणी: कुल राजस्व प्राप्तियों में सीधे राज्यों को सौंपे गए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्तियों का ₹ 3,18,230 करोड़ का हिस्सा शामिल है।	

1.1.2 वि.व. 2013-14 में संघ सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 55,83,092 करोड़<sup>1</sup> थीं। इन में से, इसकी स्वयं की प्राप्तियाँ ₹ 11,38,996 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों सहित ₹ 15,36,024 करोड़ थीं।

#### 1.2 प्रत्यक्ष करों का स्वरूप

1.2.1 संसद द्वारा उदग्रहीत प्रत्यक्ष करों में मुख्यतः शामिल हैं:

- कम्पनियों की आय पर उदग्रहीत निगम कर;
- व्यक्तियों की आय पर उदग्रहीत आयकर (कम्पनियों को छोड़कर);
- अन्य प्रत्यक्ष करों में धनकर<sup>2</sup>, प्रतिभूति लेनदेन कर<sup>3</sup> आदि शामिल हैं।

1 स्रोत: वित्तीय वर्ष 2013-14 के ड्राफ्ट संघ वित्त लेखे। प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ और अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ वित्तीय वर्ष 2013-14 के ड्राफ्ट संघ वित्त लेखों के आधार पर तैयार किए गये हैं।

2 निवल धन पर प्रभार्य कर में धनकर अधिनियम 1957 की धारा 2(ईए) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कुछ परिसम्पत्तियाँ शामिल हैं।

**1.2.2 तालिका 1.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन का एक आशुचित्र उपलब्ध कराती है।**

तालिका 1.2: प्रत्यक्ष कर प्रशासन					
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
	₹ करोड़ में				
1. प्रत्यक्ष कर संग्रहण	3,77,594	4,45,995	4,93,987	5,58,989	6,38,596
2. प्रतिदाय	57,101	75,169	93,814	83,766	89,060
3. प्रतिदाय पर ब्याज	6,876	10,499	6,486	6,666	6,598
	संख्या लाख में				
4. प्रभावी निर्धारिती	340.9	335.8	363.5	373.8	470.3
5. पूर्ण हुए संवीक्षा निर्धारण	4.3	4.6	3.7	3.1	2.9
6. लम्बित संवीक्षा निर्धारण	4.4	3.9	4.1	2.9	4.2

स्रोत: क्रम 1-संघ वित्त लेखे, क्रम सं.2 प्र. सीसीए, सीबीडीटी और क्रम सं.3 से 6-डीजीआईटी (संभार तंत्र), सीबीडीटी

कर प्रशासन का विवरण परिशिष्ट 1 में दिया गया है।

**1.3 सीबीडीटी के कार्य एवं उत्तरदायित्व**

**1.3.1** वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (डीओआर) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। उसी प्रकार, यह आय कर विभाग (आईटीडी) के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। आय कर विभाग प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित मामलों के साथ साथ कर अपवंचन, राजस्व आसूचना, कर आधार बढ़ाने, कर दाताओं को सेवाएं प्रदान करने, शिकायत निवारण तंत्र के मामलों से संबंधित मामलों को देखता है।

**1.3.2** आयकर विभाग के अधिकारियों की संस्वीकृत तथा कार्यरत संख्या 31 मार्च 2014 को क्रमशः 75,098 तथा 42,069 हैं। मई 2013 में आयकर विभाग के संवर्ग की पुनः संरचना के बाद स्टाफ संख्या को 58,124 से संशोधित किया गया है। अधिकारियों<sup>4</sup> की संस्वीकृत और कार्यरत संख्या क्रमशः 10,869 और 7,543 है।

3 भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी गई और बेची गई कर योग्य प्रतिभूतियों के मूल्य पर कर। हालांकि, धारा 88ई के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2009-10 से किसी छूट की अनुमति नहीं है।

4 प्र. सीसीआईटी/डीजीआईटी, सीआईटी/डीजीआईटी, प्र. सीआईटी/डीआईटी, सीआईटी/डीआईटी, अपर सीआईटी/डीआईटी, डीसीआईटी/ डीडीआईटी, एसीआईटी/एडीआईटी तथा आईटीओज़

#### 1.4 प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग

1.4.1 बजट सरकार की दृष्टि एवं उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां (कर राजस्व और अन्य राजस्व) और इन राजस्वों से किए गए व्यय शामिल हैं। बजट प्राक्कलनों की तदनुरूपी वास्तविक से तुलना राजकोषीय विवेक की गुणवत्ता का संकेतक है। वास्तविक अप्रत्याशित और यादृच्छ रूप से बाह्य घटनाओं या प्रणालीगत अपर्याप्तताओं के कारण प्राक्कलन से भिन्न हो सकता है या कभी किसी महत्वपूर्ण पैरामीटर को कम प्रक्षेपित/ अधिक प्रक्षेपित करना सुविधाजनक हो सकता है।

1.4.2 निम्नलिखित तालिका 1.3 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान बजट प्राक्कलनों, संशोधित प्राक्कलनों तथा प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण दर्शाता है।

तालिका 1.3: वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान							(₹ करोड़ में)	
वि.व.	ब.अनु.	सं. अनु.	वास्तविक	वास्तविक माइनस ब.अनु.	वास्तविक माइनस सं. अनु.	ब.अनु. के प्रतिशत के रूप में अन्तर	सं. अनु. के प्रतिशत के रूप में अन्तर	
2009-10	3,70,000	3,87,008	3,77,594	7,594	(-) 9,414	2.0	(-) 2.4	
2010-11	4,30,000	4,46,000	4,45,995	15,995	(-) 5	3.7	Zero	
2011-12	5,32,651	5,00,651	4,93,987	(-) 38,664	(-) 6,664	(-) 7.3	(-) 1.3	
2012-13	5,70,257	5,65,835	5,58,989	(-) 11,268	(-) 6,846	(-) 2.0	(-) 1.2	
2013-14	6,68,109	6,36,318	6,38,596	(-) 29,513	2,278	(-) 4.4	0.4	

टिप्पणी: ब. अनु. और सं. अनु. आंकड़े संबंधित प्राप्त बजट के अनुसार हैं और वास्तविक संबंधित वित्तीय लेखाओं के अनुसार हैं।

1.4.3 प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण वि. व. 2009-10 तथा वि. व. 2010-11 में बजट प्राक्कलनों से ज्यादा था जबकि यह वि.व. 2011-12 से वि.व. 2013-14 के दौरान बजट प्राक्कलनों से कम था। संशोधित प्राक्कलन सभी वर्षों में उचित पाये गए थे क्योंकि वास्तविक संग्रहण में परिवर्तन संशोधित प्राक्कलनों के (-) 2.4 प्रतिशत से 0.4 प्रतिशत के बीच रहा। वि.व. 2013-14 में प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण संशोधित प्राक्कलनों से ₹ 2,278 करोड़ (0.4 प्रतिशत) अधिक था।

## 1.5 प्रत्यक्ष करों में वृद्धि

1.5.1 निम्न तालिका 1.4 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान सकल कर प्राप्तियों<sup>5</sup> (जीटीआर) और सकल घरेलू उत्पादों (जीडीपी) के संदर्भ में प्रत्यक्ष करों (डीटी) की संबंधित वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.4: प्रत्यक्ष करों में वृद्धि					(₹ करोड़ में )
वि.व.	डीटी	जीटीआर	जीटीआर के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर
2009-10	3,77,594	6,24,527	60.5	64,77,827	5.8
2010-11	4,45,995	7,93,307	56.2	77,95,314	5.7
2011-12	4,93,987	8,89,118	55.6	90,09,722	5.5
2012-13	5,58,989	10,36,460	53.9	1,01,13,281	5.5
2013-14	6,38,596	11,38,996	56.1	1,13,55,073	5.6

स्रोत: प्र. क. और जीटीआर - संघ वित्त लेखे, जीडीपी - प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रेस नोट, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ), सांख्यिकी मंत्रालय। 30 मई 2014 के प्रेस नोट से पता चलता है कि वर्ष 2011-12 के लिए मौजूदा कीमतों/बाजार कीमतों पर जीडीपी के लिए आंकड़े दूसरे संशोधित अनुमान हैं और वर्ष 2012-13 के लिए पहला संशोधित अनुमान और 2013-14 वर्ष के लिए अस्थायी अनुमान हैं। आंकड़े आधार वर्ष 2004-05 के मौजूदा बाजार कीमतों पर आधारित हैं। आंकड़े सीएसओ द्वारा निरन्तर संशोधित किये जा रहे हैं। ये आंकड़े वृहद आर्थिक निष्पादन के साथ राजकोषीय निष्पादन की संकेतित तुलना के लिए हैं।

1.5.2 हमने पाया कि वि.व. 2012-13 की तुलना में वि.व. 2013-14 में प्रत्यक्ष कर ₹ 79,607 करोड़ (14.2 प्रतिशत) तक बढ़ गया था। हालांकि, जीटीआर में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी में वि.व. 2012-13 में 53.9 प्रतिशत से वि.व. 2013-14 में 56.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में भी प्रत्यक्ष कर में उसी अवधि के दौरान मामूली वृद्धि हुई।

1.5.3 निम्न तालिका 1.5 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान प्रत्यक्ष करों और अपने प्रमुख संघटकों जैसे निगम कर (सीटी) और आयकर (आईटी) में वृद्धि को निरपवाद रूप से दर्शाती है।

5 इसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित हैं।

तालिका 1.5: प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और इसके मुख्य संघटकों की वृद्धि						(₹ करोड़ में)
वि.व.	प्रत्यक्ष कर	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	सीटी	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	आईटी	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
2009-10	3,77,594	13.1	2,44,725	14.7	1,22,417	15.4
2010-11	4,45,995	18.1	2,98,688	22.1	1,39,102	13.6
2011-12	4,93,987	10.8	3,22,816	8.1	1,64,525	18.3
2012-13	5,58,989	13.2	3,56,326	10.4	1,96,843	19.6
2013-14	6,38,596	14.2	3,94,678	10.8	2,37,870	20.8

1.5.4 हमने पाया कि वि.व. 2012-13 की तुलना में वि.व. 2013-14 में सीटी में ₹ 38,356 करोड़ (10.76 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी जबकि आईटी में उसी अवधि के दौरान ₹ 41,027 करोड़ (20.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। हालांकि, सीटी और आईटी की औसत वृद्धि दर वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान क्रमशः 15.3 प्रतिशत और 23.6 प्रतिशत थी।

1.5.5 निगम तथा आयकर दोनों के संबंध में प्रत्यक्ष कर संग्रहण के विभिन्न तरीके {स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, नियमित निर्धारण कर} है। अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर तथा टीडीएस के माध्यम से संग्रहण, मोटे तौर पर प्रणाली में स्वैच्छिक अनुपालन की डिग्री का सूचक है। नियमित निर्धारण विधि के माध्यम से किया गया कर संग्रहण निर्धारण पर होता है।

1.5.6 तालिका 1.6 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान निगम निर्धारितियों के संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.6: कॉर्पोरेट निर्धारितियों का संग्रहण					(₹ करोड़ में)
वि.व.	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	नियमित निर्धारण कर	संग्रहण
2009-10	60,850	1,48,791	20,159	24,995	2,88,162
2010-11	68,313	1,84,263	23,056	41,916	3,55,266
2011-12	91,974	2,08,886	13,632	40,030	3,98,116
2012-13	74,481	2,32,467	18,731	53,874	4,20,147
2013-14	83,443	2,45,350	18,852	60,426	4,61,851

टिप्पणी: उपरोक्त आंकड़े संबंधित वर्षों के दौरान प्र. सीसीए, सीबीडीटी से प्राप्त हुए थे। संग्रहण के आंकड़ों में अधिभार और उपकर सहित अन्य प्राप्तियाँ भी शामिल हैं।

1.5.7 टीडीएस संग्रहण और नियमित निर्धारण कर वि.व. 2012-13 में कुल कॉर्पोरेट संग्रहण के क्रमशः 17.7 प्रतिशत और 12.8 प्रतिशत से मामूली बढ़ कर वि.व. 2013-14 में 18.1 प्रतिशत और 13.1 प्रतिशत हो गया। तथापि, अग्रिम कर वि. व. 2012-13 में कुल कॉर्पोरेट संग्रहण के 55.3 प्रतिशत से घट कर वि. व. 2013-14 में 53.1 प्रतिशत हो गया।


1.5.8 निम्न तालिका 1.7 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.7 गैर-कारपोरेट निर्धारितियों का संग्रहण					(₹ करोड़ में)
वि.व.	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	नियमित निर्धारण कर	संग्रहण
2009-10	84,885	24,626	12,349	8,279	1,36,551
2010-11	1,00,356	28,275	13,831	9,922	1,58,632
2011-12	1,06,705	42,640	14,016	11,482	1,81,383
2012-13	1,36,173	43,327	20,739	8,544	2,16,785
2013-14	1,65,104	47,172	25,271	12,102	2,59,753


टिप्पणी: उपरोक्त आंकड़े संबंधित वर्षों के दौरान प्र. सीसीए, सीबीडीटी से प्राप्त हुए थे। संग्रहण के आंकड़ों में अधिभार और उपकर सहित अन्य प्राप्तियों भी शामिल हैं।

1.5.9 टीडीएस संग्रहण और नियमित निर्धारण कर वि. व. 2012-13 में कुल गैर-कॉरपोरेट के संग्रहण के क्रमशः 62.8 प्रतिशत और 3.9 प्रतिशत से बढ़ कर वि.व. 2013-14 में 63.6 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत हो गया। तथापि, अग्रिम कर वि. व. 2012-13 में कुल गैर कॉरपोरेट संग्रहण के 20.0 प्रतिशत से घट कर वि. व. 2013-14 में 18.2 प्रतिशत हो गया।

1.5.10 नीचे चार्ट 1.1 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान कॉरपोरेट निर्धारितियों के संबंध में पूर्व निर्धारण और पश्च निर्धारण संग्रहण दर्शाता है।



1.5.11 नीचे चार्ट 1.2 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के संबंध में निर्धारण और पश्च निर्धारण संग्रहण दर्शाता है।



1.5.12 वि.व. 2009-10 से वि. व. 2013-14 के दौरान कॉरपोरेट निर्धारिती के संबंध में स्वैच्छिक अनुपालन में 4.4 प्रतिशत की कमी आई। तथापि, इसी अवधि के दौरान गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के संबंध में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

## 1.6 छोड़ा गया राजस्व

1.6.1 किसी कर प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्ययों की निधिपूर्ति हेतु आवश्यक राजस्वों को बढ़ाना है। बढ़ी हुई राजस्व की राशि काफी हद तक कर आधार और कर दरों से निर्धारित की जाती है। उपायों की श्रेणियां-विशेष कर दरें, छूटें, कटौतियाँ, कमी, स्थगन और क्रेडिट, जो कर के स्तर और आबंटन को प्रभावित करते हैं, भी इसका एक कार्य है। इन उपायों को “कर अधिमान” (छोड़ा गया राजस्व) कहा जाता है।

1.6.2 अन्य बातों के साथ-साथ आय कर अधिनियम, व्यक्तियों द्वारा बचत को प्रोत्साहित करने के लिए कर अधिमानों, निर्यातों, संतुलित क्षेत्रीय विकास; संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन; वैज्ञानिक शोध और विकास; सहकारी क्षेत्र और पूंजी निवेश हेतु त्वरित मूल्यहास का प्रावधान करता है। इनमें से अधिकतर कर लाभों को कारपोरेट और गैर-कारपोरेट दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

1.6.3 वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003, केन्द्र सरकार से जनहित में अपने वित्तीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और, यथा सम्भव, वार्षिक वित्तीय विवरण को तैयार करने और अनुदानों की मांग में गोपनीयता को न्यूनतम करने को सुनिश्चित करने हेतु उचित उपायों की अपेक्षा करता है। 13वें वित्त आयोग ने भी छोड़े गए कर की गणना और इसके प्रकटन में अधिक पारदर्शी पद्धति अपनाने की सिफारिश की थी।



**1.6.4** संघ प्राप्त बजट कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट निर्धारितियों द्वारा केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की गई रिटर्न के आधार पर प्रमुख करों के संबंध में छोड़े गये राजस्व के विवरण को दर्शाता है। नीचे तालिका 1.8 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान कर छूटों के कारण छोड़े गये राजस्व को दर्शाता है।

तालिका 1.8: छोड़ा गया राजस्व (₹ करोड़ में)				
वित्तीय वर्ष	कुल छोड़ा गया कर	निम्नलिखित के प्रतिशत के रूप में छोड़ा गया राजस्व		
		जीडीपी	डीटी	जीटीआर
2009-10	1,18,023	1.8	31.3	18.9
2010-11	94,738	1.2	21.2	11.9
2011-12	1,01,140	1.1	20.5	11.4
2012-13	1,02,256	1.0	18.3	9.9
2013-14	1,16,530	1.0	18.3	10.23

टिप्पणी: छोड़े गये राजस्व के आंकड़े प्राप्त बजट के अनुसार हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए छोड़े गए राजस्व के आंकड़े प्रक्षेपित हैं और चेरीटेबल संस्था से संबंधित आंकड़े शामिल नहीं हैं। प्राप्त बजट 2014-15 में पहली बार वि.व. 2013-14 के दौरान चेरीटेबल संस्थाओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किये गये रिटर्न (1,06,443) और चेरीटेबल उद्देश्य और धार्मिक कार्य के लिये इन संस्थाओं द्वारा लगाई गई कुल राशि (₹ 2,00,274 करोड़) को पृथक रूप से दर्शाया है।

**1.6.5** वि.व. 2010-11 से कर छूट के कारण छोड़ा गया राजस्व मात्रा की दृष्टि से बढ़ रहे हैं। डीओआर में ऐसे छोड़े गये राजस्व के प्रभावों के परिणामों की निगरानी के लिये कोई तंत्र नहीं है। राजस्व विभाग छोड़े गए राजस्व का अनुमान लगाने का कार्य हर वर्ष करता है, जिसे बजट में दिखाया जाता है। राजस्व विभाग के अनुसार विशेष सैक्टर/क्षेत्र पर ऐसे छोड़े गए राजस्व के प्रभाव के परिणामों की निगरानी, संबंधित मंत्रालयों द्वारा की जानी है और वे उद्देश्यों की प्राप्तियों पर नियमित फीडबैक नहीं दे रहे हैं। छोड़े गये राजस्व की क्षमता और प्रभावकारिता की आवधिक रूप से जाँच/निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है।

## 1.7 कर आधार का विस्तारण और गहनता

**1.7.1** विभाग के पास निर्धारित आधार को बढ़ाने के लिए विभिन्न तंत्र मौजूद हैं, जिसमें सर्वेक्षण, दूसरे कर विभागों के साथ सूचना साझा करना और वार्षिक जानकारी विवरणियों में उपलब्ध तीसरे पक्ष की जानकारी शामिल है। स्वचलन ने भी क्रॉस लिंकिंग<sup>6</sup> को अधिक सरल बनाया है। इन तंत्रों में से अधिकतर निर्धारण अधिकारियों (एओ) के स्तर पर उपलब्ध हैं। आयकर के मुख्य आयुक्तों और महानिदेशकों के 29<sup>वें</sup> वार्षिक सम्मेलन (28-29 मई

6 ई-टीडीएस से टीडीएस विवरणियों के गैर दाखिलकर्ता, बड़े निगमों और गैर-कॉरपोरेट कटौतीकर्ता द्वारा जमा टीडीएस के वार्षिक तुलनात्मक आंकड़ों, उनके द्वारा बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु टीएएन डॉटा का मिलान करना, पैन डॉटा आधार के साथ कर विवरणियों का मिलान और कटौतीदाता की विवरणी के साथ टीडीएस कटौतियों पर कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत विवरणी के मिलान संबंधी जानकारी।

2013) में वित्त मंत्री ने अपने आधार व्याख्यान में मजबूत अथर्व्यवस्था बनाने में कर राजस्व की भूमिका पर बल दिया है। उन्होंने तकनीकी और सूचना आधारित कर संग्रहण के ऊपर बल दिया जिससे बेहतर परिणाम मिलेंगे और जो कर संग्रहण की सहज पद्धति प्रदान करेगी। उन्होंने कर कानून में स्थिरता और स्पष्टता, बड़े कर दाताओं और रिटर्न फाइल न करने वालों पर ध्यान देने और मुकदमेबाजी में बेहतर प्रदर्शन पर भी जोर दिया।

1.7.2 निम्नलिखित तालिका 1.9 विभिन्न श्रेणियों में गैर-कारपोरेट<sup>7</sup> निर्धारितियों के ब्यौरों को दर्शाती है।

तालिका 1.9: गैर-कारपोरेट निर्धारिती						(ऑकड़े लाख में)
वि.व.	क <sup>8</sup>	ख <sub>1</sub> <sup>9</sup>	ख <sub>2</sub> <sup>10</sup>	ग <sup>11</sup>	घ <sup>12</sup>	कुल
2009-10	283.72	35.64	14.58	3.11	0.12	337.17
2010-11	271.29	38.36	17.78	4.49	0.12	332.04
2011-12	267.68	60.26	21.23	6.57	1.87	357.61
2012-13	276.13	58.21	23.94	6.59	3.00	367.87
2013-14	117.23	135.79	34.24	16.72	0.05	304.03

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (संभार तन्त्र), शोध एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

1.7.3 नॉन कॉरपोरेट निर्धारितियों की संख्या वि.व. 2012-13 में 367.87 लाख से घट कर वि.व. 2013-14 में 304.03 लाख हो गई, इसमें 17.4 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। श्रेणी 'क' और 'घ' में नॉन-कॉरपोरेट निर्धारितियों की संख्या कम हुई जबकि उसी अवधि में श्रेणी 'ख' और 'ग' में यह बढ़ी।

1.7.4 निम्नलिखित तालिका 1.10 विभिन्न श्रेणियों में कॉरपोरेट निर्धारितियों के ब्यौरों को दर्शाती है।

7 स्रोत: महानिदेशालय आयकर (विधि एवं शोध), शोध एवं सांख्यिकी विंग

8 श्रेणी "क" निर्धारिती- ₹ दो लाख से नीचे आय/हानि का निर्धारण;

9 श्रेणी "ख1" निर्धारिती (कम आय समूह) - ₹ दो लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ पांच लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

10 श्रेणी "ख2" निर्धारिती (उच्च आय समूह) - ₹ पाँच लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ दस लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

11 श्रेणी "ग" निर्धारिती - ₹ 10 लाख और इससे अधिक की आय/ हानि के साथ निर्धारण;

12 श्रेणी "घ" निर्धारिती-तालाशी और जब्ती निर्धारण;


तालिका 1.10: कॉरपोरेट निर्धारिती							(ऑकड़े लाख में)	
वि.व.	क <sup>13</sup>	ख <sup>14</sup>	ख <sup>10</sup>	ग <sup>11</sup>	घ <sup>12</sup>	कुल	₹ 25 लाख से अधिक आय वाले निर्धारिती	31 मार्च तक आरओसी अनुसार कार्यरत कम्पनियां
2009-10	1.84	0.65	0.61	0.56	0.02	3.68	0.09	8.40
2010-11	1.69	0.76	0.67	0.62	0.02	3.76	0.22	7.20
2011-12	2.95	0.91	0.96	1.00	0.03	5.85	0.14	8.01
2012-13	3.05	0.97	0.83	1.02	0.03	5.90	0.14	8.84
2013-14	4.14	0.89	0.31	1.01	0.01	6.36	0.65	9.52

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (संभार तन्त्र), शोध एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

1.7.5 कॉरपोरेट निर्धारितियों की संख्या 7.8 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये वि.व. 2012-13 में 5.90 लाख से बढ़कर वि.व. 2013-14 में 6.36 लाख हो गई। ₹ 25 लाख से अधिक आय वाले कॉरपोरेट निर्धारितियों की संख्या में वि.व. 2012-13 में 0.14 लाख की तुलना में वि.व. 2013-14 में 0.65 लाख की काफी वृद्धि हुई। वि.व. 2012-13 में कॉरपोरेट निर्धारितियों (6.36 लाख) की संख्या कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी)<sup>15</sup> के पास दर्ज कार्य कर रही कंपनियों (8.84 लाख) की संख्या से अलग है। क्योंकि सभी कार्य कर रही कंपनियों (चाहे लाभ अर्जित करने वाली हो या हानि उठाने वाली हो) को अपनी आय का रिटर्न फाइल करना होता है, ऐसी कार्य कर रही 28 प्रतिशत कंपनियों ने वि.व. 2013-14 में अपनी आय का रिटर्न फाइल नहीं किया। आईटीडी को अन्तर का समाधान करना अपेक्षित है।

## 1.8 संवीक्षा निर्धारणों का निपटान

1.8.1 चार्ट 1.3 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान संवीक्षा निर्धारणों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाता है।



13 श्रेणी "क" निर्धारिती-₹ 50,000 से कम आय/हानि का निर्धारण;

14 श्रेणी "ख1" निर्धारिती (कम आय समूह)- ₹ 50,000 और अधिक परंतु ₹ पाँच लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

15 स्रोत: कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय (आरएंडए डिविजन)

**1.8.2** संवीक्षा निर्धारण के मामलों का निपटान वि.व. 2012-13 में 3.1 लाख से घटकर वि.व. 2013-14 में 2.8 लाख हुआ जिसके परिणामस्वरूप लंबित मामलों में वृद्धि हुई।

## 1.9 प्रतिदाय दावों का निपटान

**1.9.1** निम्न तालिका 1.11 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावों के निपटान एवं लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.11: प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावों का निपटान				(संख्या लाख में)
वि.व.	निपटान हेतु बकाया प्रत्यक्ष प्रतिदाय	निपटान किए गए प्रत्यक्ष प्रतिदाय	लंबित प्रत्यक्ष प्रतिदाय	प्रतिशतता में लम्बन
2009-10	48.0	28.6	19.4	40.4
2010-11	59.9	40.4	19.5	32.6
2011-12	52.8	40.3	12.5	23.7
2012-13	38.8	27.6	11.2	28.9
2013-14	34.5	25.7	8.8	25.5

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (संभार तंत्र), शोध एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

**1.9.2** निपटान के लिये लंबित प्रत्यक्ष प्रतिदायों की संख्या वि.व. 2012-13 में 11.2 लाख से घटकर वि.व. 2013-14 में 9.1 लाख हुई। आईटीडी का सिटिजन चार्टर (जुलाई 2010) करदाताओं के लिये वचनबद्धता की घोषणा करता है कि ब्याज सहित प्रतिदाय निर्धारित समयावधि<sup>16</sup> के अंदर जारी किया जायेगा। इसके बावजूद भी प्रतिदाय के मामले बहुत अधिक लंबित हैं।

**1.9.3** सरकार ने ₹ 89,060 करोड़ वापस किये जिसमें वि.व. 2013-14 में ₹ 6,598 करोड़ (7.4 प्रतिशत ब्याज) शामिल है। वि.व. 2012-13 में प्रतिदाय पर दिया गया ब्याज ₹ 6,666 करोड़ (₹ 83,766 करोड़ का 8.0 प्रतिशत, वापस की गई राशि) था।

## 1.10 असंग्रहीत मांग

**1.10.1** निम्नलिखित तालिका 1.12 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 की अवधि के दौरान लंबित असंग्रहीत मांग<sup>17</sup> की प्रवृत्ति दर्शाती है।

16 छह महीने - ई-रिटर्न और नौ महीने - धारा 143(1) के अंतर्गत संसाधित अन्य रिटर्न; और धारा 143(1) के अलावा मूल्यांकित मामलों में एक महीने के अंदर।

17 स्रोत: संबंधित वर्ष के मार्च माह के लिये सीएपी-।

तालिका 1.12: असंग्रहीत मांग की स्थिति				(₹ करोड़ में)
वि.व.	पिछले वर्षों के लंबित संग्रहण की मांग	वर्तमान वर्ष की लंबित संग्रहण की मांग	कुल लंबित मांग	वसूली हेतु दुष्कर मांग (प्रतिशत में)
2009-10	1,81,612	47,420	2,29,032	2,12,758 (92.9)
2010-11	2,02,859	88,770	2,91,629	2,71,143 (93.0)
2011-12	2,65,040	1,43,378	4,08,418	3,87,614 (94.9)
2012-13	4,09,456	76,724	4,86,180	4,66,854 (96.0)
2013-14	4,80,065	95,274	5,75,340	4,32,285 (94.4)

स्रोत: मार्च 2014 माह के लिए विश्लेषण सहित सीएपी। मांग एवं संग्रहण विवरण।

**1.10.2** बकाया मांग के संग्रहण और वसूली पर बल देने हेतु अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों अर्थात् निर्धारितियों की चल एवं अचल सम्पत्तियों की कुर्की और बिक्री, निर्धारितियों की सम्पत्तियों के प्रबंधन के लिए प्राप्तकर्ता की नियुक्ति और कारावास के बावजूद असंग्रहीत मांग बढ़ रही है। वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान वर्ष के अंत तक लंबित मांग 2.5 गुना से अधिक बढ़ी। आईटीडी ने दर्शाया कि कुल लंबित मांग में से 94 प्रतिशत से अधिक मांग वि.व. 2013-14 में वसूल की जानी मुश्किल है। मार्च 2014 के माह के लिये मांग और संकलन विवरण ने विभिन्न कारक जैसे वसूली के लिये अपर्याप्त संपत्ति, ऋण मुक्ति/बीआईएफआर के अंतर्गत मामले, निर्धारिती का पता न मिलना, विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा रोकी गई मांग आदि का जिनके परिणामस्वरूप मांग की वसूली मुश्किल हुई विश्लेषण किया है।

**1.10.3** कर भुगतान में चूकों को कर वसूली अधिकारियों (टीआरओ) को भेजा जाता है जो निर्धारितियों से बकाया देय राशि की मात्रा को निर्धारित करते हुए प्रमाणपत्र तैयार करता है और राशि की वसूली को शुरू करने के लिए कार्यवाही करता है। वसूली तंत्र त्रुटिपूर्ण है क्योंकि संग्रहीत किए जाने से रह गई प्रमाणित मांग वि.व. 2012-13 में ₹ 1.5 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 2013-14 में ₹ 2.2 लाख करोड़ हो गई थी।

### 1.11 अपील मामलों के निपटान

1.11.1 निम्न तालिका 1.13 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 के दौरान सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील के मामलों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.13: सीआईटी (ए) द्वारा अपील मामलों का निपटान					(₹ करोड़ में)
वि.व.	निपटान हेतु बकाया अपीलें	निपटाई गई अपीलें	लंबित अपीलें	प्रतिशतता में लम्बन	अपीलों में अवरुद्ध राशि
(संख्या लाख में)					
2009-10	2.61	0.80	1.81	69.4	2,20,148
2010-11	2.58	0.70	1.88	72.6	1,98,088
2011-12	3.06	0.76	2.30	75.3	2,42,182
2012-13	2.84	0.85	1.99	70.1	2,59,556
2013-14	3.03	0.88	2.15	71.0	2,87,444

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (संभार तंत्र), शोध एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

1.11.2 सीआईटी(ए) के पास लंबित अपील मामलों का निपटान पिछले कुछ वर्षों से स्थिर है जिसके परिणामस्वरूप लंबन में वृद्धि हुई। वि.व. 2013-14 में सीआईटी (अपील) के पास अपील मामलों में अवरुद्ध राशि भारत सरकार के संशोधित राजस्व घाटे के 77.6 प्रतिशत के बराबर है।

1.11.3 नीचे तालिका 1.14 31 मार्च 2014 को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों (आईटीएटी)/उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपीलों/ याचिकाओं और अन्य मामलों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.14: आईटीएटी/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपील/याचिकाएँ और अन्य मामले		
प्राधिकरण जिसके पास लंबित है	लंबित मामले (संख्या में)	अवरुद्ध राशि (₹ करोड़ में)
आईटीएटी	35,266	1,43,255.8
उच्च न्यायालय	35,696	33,128.5
सर्वोच्च न्यायालय	5,960	3,202.1
कुल	76,922	1,79,586.4

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (संभार तंत्र), शोध एवं सांख्यिकी विंग नई दिल्ली

1.11.4 उच्चतर स्तरों (आईटीएटी/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय) पर अपीलों में अवरुद्ध राशि 31 मार्च 2013 को (69,714 मामलों) में ₹ 1.5 लाख करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2014 को (76,922 मामलों) में ₹ 1.8 लाख करोड़ थी।

## 1.12 अभियोजन की प्रास्थिति

1.12.1 निम्न तालिका 1.15, वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 तक शुरू किए गए अभियोजनों की प्रास्थिति, निर्णित मामलों अर्थात् अभिशंसित, संयोजित और विमुक्त को दर्शाती है।

तालिका 1.15: अभियोजन मामलों की प्रास्थिति					(संख्या)
वित्तीय वर्ष	शुरू किए गए अभियोजन	निर्णित मामलों	अभिशंसित	संयोजित	विमुक्त (प्रतिशत में)
2009-10	312	599	32	291	276 (46.1)
2010-11	244	356	51	83	222 (62.4)
2011-12	209	593	14	397	182 (30.7)
2012-13	283	265	10	205	50 (18.9)
2013-14	641	664	41	561	62 (9.3)

स्रोत: जाँच विंग, सीबीडीटी

1.12.2 उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि अभियोजन मामलों में विमुक्तियाँ वि.व. 2009-10 में 46.1 प्रतिशत से तीव्र गिरावट के साथ वि.व. 2013-14 में 9.3 प्रतिशत हो गई, इसके अलावा, 31 मार्च 2014 तक बकाया अभियोजन मामलों की कुल संख्या 3,775 थी।

## 1.13 सीबीडीटी के परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज

1.13.1 'निष्पादन निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली' के अंतर्गत प्रत्येक केंद्रीय सरकार/विभाग को परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) तैयार करना अपेक्षित है। तदनुसार, सीबीडीटी अपना आरएफडी तैयार कर रहा है। वि.व. 2013-14 के लिये अपने आरएफडी में सीबीडीटी ने करदाता सेवाओं के सकेन्द्रित प्रभावी और अर्थपूर्ण कार्यान्वयन के लिये अपनी वचनबद्धता को दोहराया जो स्वैच्छिक अनुपालन को भी सुविधाजनक बनायेगा। उसने करदाताओं से बेहतर संवाद, करदाताओं के लिये आईटी समर्थ सेवाओं को मजबूत करने और करदाता सेवाओं के लिये आईटी में मानव संसाधन के बेहतर प्रबंधन और विकास जैसे उद्देश्य निर्धारित किये हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से निर्धारित समयावधि के अंदर मूर्त और रिकार्ड करने योग्य प्रगति सुनिश्चित करने के लिये विशेष लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।

## 1.14 आयकर विभाग की आईटी पहलें

1.14.1 प्रभावी योजना सहित कर आधार को भी विस्तारित करने के प्रति कर प्रशासन की दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार और प्रबंधन को विश्वसनीय और समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के मद्देनजर आयकर विभाग ने

समय-समय पर कई आईसीटी एप्लीकेशन शुरू की। एएसटी प्रणाली में संवीक्षा आदेशों की अपलोडिंग के प्रति आईटीडी की पहल को अनिवार्य कर दिया गया। वि.व. 2011-12 से सभी एओ को केवल एएसटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से संवीक्षा मूल्यांकन के आदेश पास करना आवश्यक था। आईटीडी ने कर्नाटक और गोवा के पेपर रिटर्न और पूर्ण भारत के ई-फाइल किये गये रिटर्नों को संसाधित करने के लिये बेंगलुरु में केन्द्रीय संसाधन केन्द्र (सीपीसी) स्थापित किया।

**1.14.2** आईटीडी ने आयकर कारोबार अनुप्रयोग (आईटीबीए) नाम वाली एक अलग परियोजना शुरू की है जिससे इसने वर्तमान आईटीडी एप्लीकेशन को नई संरचना और रूपरेखा में पुनः तैयार करने की योजना बनाई। यह परियोजना प्रत्यात्मक स्तर पर है और अप्रैल 2015 तक पूरी होने की संभावना है। आईटीडी ने करदाता का प्रोफाइल तैयार करने के लिये डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर के रूप में एकीकृत करदाता डेटा प्रबंधन प्रणाली (आईटीडीएमएस) भी तैयार की। यह उपभोक्ता को डेटा की उच्च मात्रा और अधिक लिंकेज के साथ करदाताओं का पूरा प्रोफाइल तैयार करने में सक्षम बनाता है। उन्नत संस्करण डेटा की उच्च मात्रा संभालता और बेहतर संपर्क बनाता है।

## **1.15 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता**

**1.15.1** आंतरिक लेखापरीक्षा विभागीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह आश्वासन प्रदान करता है कि अधिनियम के प्रावधानों के सही कार्यान्वयन द्वारा मांग/प्रतिदाय सही ढंग से संसोधित किए जा रहे हैं। जून 2007 से मूल्यांकन कार्यो को सीआईटी (लेखापरीक्षा) की अध्यक्षता में आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य से अलग कर दिया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग की कार्य क्षमता के आधार पर 2,60,650 मामले<sup>18</sup> वि.व. 2013-14 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित किये जाने थे। इसमें से 1,66,759 मामले निपटाये गये, इस प्रकार 63.98 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त हुआ।

**1.15.2** तालिका 1.16 वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 तक प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए उठाई गई, निपटाई गई और लम्बित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण दर्शाती है:

---

18 आंकड़े 2007 के परिपत्र संख्या 3 के आधार पर निकाले गये हैं।



तालिका 1.16: जोड़े गए, निपटान किए गए और लंबित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण (₹ करोड़ में)						
वि.व.	वर्ष के दौरान जमा		वर्ष के दौरान निपटान किए गए		वर्ष के दौरान लम्बन	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2009-10	14,577	1,224.81	6,434	657.58	29,442	3,971.4
2010-11	13,494	5,466.88	7,996	921.85	34,940	8,516.4
2011-12	13,771	1,879.85	14,148	1,118.49	34,563	9,277.8
2012-13	18,275	4,135.48	16,626	2,736.12	36,212	10,677.1
2013-14	14,423	8,950.66	26,322	8,610.12	24,313	11,017.7

स्रोत: निदेशालय आयकर (आयकर एवं लेखापरीक्षा), नई दिल्ली

1.15.3 आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों का लंबन 2009-10 से 2012-13 के दौरान बढ़ा। तथापि, यह वि.व. 2012-13 की तुलना में वि.व. 2013-14 के दौरान 32.8 प्रतिशत कम हुआ है। वि.व. 2013-14 में एओ ने आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुख्य निष्कर्ष<sup>19</sup> के ₹ 19,487.9 करोड़ के कर प्रभाव वाले 13,742 मामलों में से ₹ 8,541.4 करोड़ (43.8 प्रतिशत) के कर प्रभाव वाले 5,446 मामलों (39.6 प्रतिशत) में कार्यवाही की।

19 आय कर में ₹ दो लाख से अधिक और अन्य करों में ₹ 30,000 से अधिक की लेखापरीक्षा आपत्ति

## अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

### 2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में प्रावधान है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को संसद द्वारा बनाये गये या निर्धारित किसी भी नियम के अंतर्गत संघ और राज्य और किसी भी अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखों से संबंधित शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करना होगा। संसद ने 1971 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षा का डीपीसी अधिनियम (सीएजी का डीपीसी अधिनियम) पारित किया था। सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 16, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को भारत सरकार और प्रत्येक राज्य की सरकारों और विधानसभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की सभी प्राप्तियों (राजस्व और पूंजी दोनों) की लेखापरीक्षा करने और स्वयं की संतुष्टि के लिए कि नियमों और क्रियाविधियों को राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिए बनाया गया है और उनका विधिवत् पालन किया जा रहा है, का प्राधिकार प्रदान करती है। लेखा और लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 में प्राप्ति लेखापरीक्षा हेतु सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है।

### 2.2 प्रणालियों और क्रियाविधियों की जांच और उनकी प्रभावोत्पादकता

प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में निम्नवत के बारे में प्रणालियों एवं क्रियाविधियों और उनकी क्षमता की जांच को शामिल किया जाता है:

- क. संभावित कर निर्धारितियों की पहचान, कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ कर अपवंचन का पता लगाना और रोकना;
- ख. शास्तियों के उदग्रहण और अभियोग चलाने सहित विवेकाधिकार शक्तियों को उपयुक्त रूप से प्रयोग करना;
- ग. विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त कार्यवाही;
- घ. राजस्व प्रशासन को सुदृढ करने या सुधारने के लिए आरंभ किये गये कोई उपाय;
- ड. राशि जो बकाया में हो, बकाया के अभिलेखों का रख-रखाव और बकाया राशियों की वसूली हेतु की गई कार्रवाई;

- च. समुचित सावधानी से दावों का अनुसरण करना और उपयुक्त औचित्य और उचित प्राधिकार के अलावा उन्हें न तो परित्यक्त किया गया है, और न ही कम किया गया है;

### 2.3 लेखापरीक्षा उत्पाद और प्रभाव

लेखापरीक्षा अधिदेश और लेखा और लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 के नियम 205 के अनुसरण में, हम संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट और आवधिक निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार करते हैं। भारत के सी एण्ड एजी के पास लेखा और लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 के नियम 205 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के स्वरूप, विषय-वस्तु और प्रस्तुतीकरण के समय के निर्धारण का प्राधिकार है।

### 2.4 लेखापरीक्षा का प्रभाव

2.4.1 हमने लेखापरीक्षा के प्रभाव का विश्लेषण किया जिसके परिणामस्वरूप हमारी सिफारिशों के आधार पर आयकर अधिनियम और नियमावली के अन्तर्गत संशोधन किये गये। 2013-14 के दौरान, हमने दो निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की अर्थात् (क) 2013 की रिपोर्ट संख्या 4 सूचना के प्रयोग के माध्यम से कर आधार में वृद्धि और (ख) 2013 की रिपोर्ट संख्या 20 चेरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं को छूट। निम्नलिखित पैराग्राफ लेखापरीक्षा के प्रभाव बताएंगे।

2.4.2 हमने इशारा किया<sup>20</sup> कि अधिनियम की धारा 285 बीए के अंतर्गत फाइल की जाने वाली वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईआर) में प्रस्तुत जानकारी मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्रमाणीकरण पर गलत पाई गई। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की है कि आईटीडी द्वारा जारी नोटिसों के उत्तर में या एआईआर में तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिये अधिनियम में प्रभावी दंडात्मक प्रावधान के लिये और क्षेत्र में उसके प्रसार से पूर्व एआईआर/सीआईबी के माध्यम से प्राप्त डेटा की सत्यता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिये एक प्रणाली बनानी चाहिये।

2.4.3 सरकार ने विवरण में सटीक जानकारी प्रदान करने के लिये जुर्माने का प्रावधान बनाते हुये वित्तीय अधिनियम, 2014 के माध्यम से अधिनियम में नई धारा 271एफएए सम्मिलित की। धारा 285बीए को व्यक्ति जो निर्धारित

---

20 2013 की रिपोर्ट संख्या 20 - जानकारी के प्रयोग से कर आधार में वृद्धि

तरीके से सही जानकारी प्रस्तुत करे और दस दिनों की अवधि के अंदर, त्रुटि, यदि विवरण में उसके द्वारा पाई जाती है, के बारे में सक्षम प्राधिकारी को सूचित करने के लिये रिटर्न फाइल करे पर एक जिम्मेदारी डालने के लिये भी संशोधित किया गया है। यह भी प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार धारा 285बीए(1) में संदर्भित व्यक्ति अर्थात् विवरण फाइल करने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति को निर्धारित आयकर प्राधिकरण में पंजीकृत करने हेतु, निर्दिष्ट करते हुये नियम बना सकती है।

**2.4.4** चेरीटेबल ट्रस्टों और संस्थाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में लेखापरीक्षा<sup>21</sup> द्वारा की गई सिफारिशों और अधिनियम में विसंगतियों को ध्यान में रखते हुये, चेरीटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं को अनुमत छूट के संबंध में वित्तीय अधिनियम, 2014 के माध्यम से आयकर अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन किये गये है:

**क.** अधिनियम की धारा 10(23सी) के अंतर्गत पात्र शैक्षणिक संस्थाएँ, अस्पताल और अन्य संस्थाएँ सरकार द्वारा वास्तव में वित्तपोषित तभी माने जायेंगे यदि संख्या को सरकारी अनुदान पूर्व वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों (स्वैच्छिक योगदान सहित) की प्रतिशतता (निर्धारित) से अधिक हो।

**ख.** चेरीटेबल ट्रस्ट/संस्थाओं की आय की संगणना में परिसंपत्ति, जिसका अभिग्रहण किसी भी वर्ष में आय के अनुप्रयोग के रूप में दावा किया गया हो, के संबंध में मूल्यहास के लिये कटौती या छूट अपवर्जित करनी होगी।

**ग.** जब ट्रस्ट या संस्था का धारा 11 के अंतर्गत छूट के लाभ के उद्देश्य के लिये पंजीकरण किया गया हो, तब ऐसी ट्रस्ट या संस्था धारा 10(23सी) के अंतर्गत छूट प्राप्त आय और कृषि आय को छोड़कर धारा 10 के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत किसी भी छूट का दावा नहीं कर सकती। इसी प्रकार, संस्थाएँ जो धारा 10(23सी) के अंतर्गत छूट के लाभ का दावा करने के लिये अनुमत या अधिसूचित हैं कृषि आय को छोड़कर धारा 10 के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत छूट के किसी भी दावे की हकदार नहीं हैं।

**घ.** अधिनियम की धारा 12ए के मौजूदा प्रावधान यह प्रदान करने के लिये संशोधित किये गये हैं कि पात्र ट्रस्ट या संस्थाएँ जिन्हें अधिनियम की

---

21 2013 की रिपोर्ट संख्या 21 - चेरीटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं को छूट

धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकरण दिया गया है, अधिनियम की धारा 11 और 12 के अंतर्गत लाभ के पात्र होंगे, पूर्व वर्ष के लिये भी जिसका ऐसे पंजीकरण की तिथि को लंबित आंकलन हो। इसके अतिरिक्त, आंकलन दोबारा करना अनुमत नहीं है, केवल यदि ऐसी ट्रस्ट या संस्था ने पूर्व आंकलन वर्ष के लिये पंजीकरण प्राप्त न किया हो।

ड. अधिनियम की धारा 12ए के मौजूदा प्रावधानों को विशिष्ट परिस्थितियों, जैसे निषिद्ध मोड में निवेश ट्रस्टी के लाभ के लिये आय को लागू करने के अंतर्गत संघटित संपत्ति से आय प्राप्त करने वाले ट्रस्ट या संस्थाओं को दिये गये पंजीकरण रद्द करने के लिये आयकर आयुक्त को सशक्त करने के लिये संशोधित किया गया।

च. धारा 115बीबीसी को यह प्रदान करने के लिये संशोधित किया गया है कि देय आयकर निर्धारित द्वारा प्राप्त कुल अनुदान के पांच प्रतिशत से अधिक प्राप्त अस्पष्ट अनुदान के कुलयोग पर 30 प्रतिशत के दर पर संगणित आयकर की राशि का कुल योग या एक लाख रूप्य होगा, जो भी अधिक हो और आयकर की राशि जिससे निर्धारित प्रमार्य होगा उसकी कुल आय अस्पष्ट अनुदान के कुल योग तक कम हो गई हो जो निर्धारित द्वारा प्राप्त कुल अनुदान से पांच प्रतिशत अधिक हो या एक लाख रूप्य, जैसा भी मामला हो।

## 2.5 त्रुटियों की घटना

2.5.1 आईटीडी ने वि.व. 2012-13 में 2,13,129 संवीक्षा निर्धारण पूरे किये जिनमें से हमने नि. व. 2013-14 की लेखापरीक्षा योजना के दौरान 1,77,008 मामलों की जांच की। इसके अतिरिक्त हमने नि. व. 2013-14 के दौरान पिछले निर्धारण वर्षों के मामलों की भी लेखापरीक्षा की। नि. व. 2012-13 में आईटीडी द्वारा पूरे किये गए निर्धारण से संबंधित लेखापरीक्षा में की गई जांच में निर्धारण में 16,853 (9.5 प्रतिशत) मामलों में त्रुटियां थीं जो पिछले साल से (7.9 प्रतिशत) अधिक थीं। हमने 3,609 मामलों में गलतियाँ देखी जहाँ आईटीडी की आंतरिक लेखापरीक्षा पता लगाने में विफल हुई थीं।

2.5.2 निर्धारण में गलतियों के राज्य-वार उदाहरण परिशिष्ट-2.1 में दिये गए हैं नीचे तालिका 2.1 शीर्ष आठ राज्यों के विवरण दर्शाती है जहाँ 10,000 से अधिक निर्धारण 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच किये गए थे।

तालिका 2.1: 10000 से अधिक निर्धारण वाले शीर्ष आठ राज्यों का विवरण (₹ करोड़ में)					
राज्य	2012-13 के दौरान पूरे किये गए निर्धारण	2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच किए गए निर्धारण	गलतियों वाले निर्धारण	लेखापरीक्षा आपत्तियों का राजस्व प्रभाव	गलतियों वाले निर्धारण की प्रतिशतता
क. दिल्ली	45,519	23,634	1,330	12,868.8	5.6
ख. महाराष्ट्र	29,685	29,176	1,509	759.6	5.2
ग. तमिलनाडु	20,456	18,731	2,631	3,462.8	14.1
घ. आंध्र प्रदेश	17,452	12,543	1,377	940.8	11.0
ङ. गुजरात	14,419	13,977	1,471	414.1	10.5
च. उत्तर प्रदेश	11,800	11,454	960	720.0	8.4
छ. पश्चिम बंगाल	11,783	10,270	2,341	2,643.5	22.8
ज. कर्नाटक	10,910	10,652	825	951.0	7.8

यह दर्शाता है कि दूसरे स्थान पर तमिलनाडु के साथ (14.1 प्रतिशत) पश्चिम बंगाल में गलतियों वाले निर्धारणों की प्रतिशतता उच्चतम (22.8 प्रतिशत) है।

2.5.3 नीचे दी गई तालिका 2.2 में वि.व. 2013-14 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा में देखी गई निर्धारण में त्रुटियों का ब्यौरा दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: निर्धारणों में त्रुटियों का कर वार ब्यौरा (₹ करोड़ में)		
श्रेणी	मामले	कर प्रभाव
क. निगम कर और आय कर	18,720	16,038 <sup>22</sup>
ख. धन कर	681	27
ग. अन्य प्रत्यक्ष कर	139	2
<b>जोड़</b>		<b>19,540</b>
		<b>16,067</b>

नोट: उपरोक्त निष्कर्ष तथा सभी अनुवर्ती निष्कर्ष विशेष रूप से चयनित निर्धारणों की लेखापरीक्षा पर आधारित है।

2.5.4. नीचे दी गई तालिका 2.3 निगम कर और आय कर से संबंधित कम निर्धारण के वर्ग वार ब्यौरा दर्शाती है। परिशिष्ट-2.2 उनके तहत उप-श्रेणियों के संबंध में ब्यौरा दर्शाता है।

तालिका 2.3: त्रुटियों का श्रेणी-वार ब्यौरा (₹ करोड़ में)		
श्रेणी	मामले	कर प्रभाव
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	4,161	2,726
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रबंधन	6,943	7,898
ग. चूकों के कारण निर्धारण से बच गई आय	1,838	1,184
घ. अन्य	5,106	3,189
<b>जोड़</b>		<b>18,048</b>
		<b>14,997</b>

<sup>22</sup> ₹ 1041 करोड़ के कर प्रभाव वाले अधिक निर्धारण के 672 मामले शामिल हैं।

2.5.5 स्थानीय लेखापरीक्षा में पता लगाए गए त्रुटियों के उच्च मूल्य एवं महत्वपूर्ण मामले इस रिपोर्ट में शामिल किये गये हैं। वर्तमान लेखापरीक्षा रिपोर्ट मंत्रालय<sup>23</sup> को बताए गए 469 मामलों पर चर्चा करती है। परिशिष्ट 2.3 ऐसे मामलों का विवरण देता है। तालिका 2.4 इन मामलों<sup>24</sup> के श्रेणी वार विवरण दर्शाती है।


तालिका 2.4: उच्च मूल्य मामलों की त्रुटियों का श्रेणीवार ब्यौरा						(₹ करोड़ में)	
श्रेणी	सीटी		आईटी		जोड़		
	सं.	टीई	सं.	टीई	सं.	टीई	
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	106	655.90	38	262.67	144	918.57	
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रबंधन	121	716.92	37	29.79	158	746.71	
ग. चूकों के कारण निर्धारण से बच गई आय	67	387.62	41*	22.38	108	410.00	
घ. अन्य	32	494.28	27	84.12	59	578.40	
<b>जोड़</b>	<b>326</b>	<b>2254.72</b>	<b>143*</b>	<b>398.96</b>	<b>469</b>	<b>2653.68</b>	

\* ₹ 2.04 करोड़ के कर प्रभाव वाले धन के कम निर्धारण के 19 मामले शामिल हैं।

हमने अध्याय III एवं IV में कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की है।

### 2.5.6 लेखापरीक्षा के बताने पर वसूली

आईटीडी ने निर्धारणों में गलतियों को सुधारने के लिए उठाई गई माँगों से पिछले पाँच वर्षों में ₹ 6,230.09 करोड़ वसूल किये जो हमने दर्शायी थी। इनमें वि. व. 2013-14 में वसूले गए ₹ 3,659.68 करोड़ शामिल हैं।



उपरोक्त चार्ट 2.1 वि. व. 2011-12 में वसूली में एक अचानक उछाल दर्शाता है (₹ 1,538 करोड़) जो 2012-13 में नीचे आया (₹ 270.4 करोड़) तथा पुनः अचानक वि. व. 2013-14 में ₹ 3,659.7 करोड़ पर पहुँच गया।

<sup>23</sup> वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

<sup>24</sup> उप-श्रेणी वार विवरण परिशिष्ट-2.4 में हैं।

## 2.6 लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

**2.6.1** हमने लेखापरीक्षा के विभिन्न स्तरों पर लेखा परीक्षित इकाइयों से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त की। स्थानीय लेखापरीक्षा के पूरा होने पर, हमने आईटीडी को टिप्पणियों हेतु स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएआर) जारी की। इसके अतिरिक्त, इनमें से महत्वपूर्ण और अधिक मूल्य वाले मामलों को हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पहले टिप्पणियों के लिए मंत्रालय को जारी किया।

**2.6.2** नीचे दी गई तालिका 2.5 नि.व. 2009-10 से 2013-14 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्टों में जारी किये गये मामलों के संबंध में प्राप्त उत्तरों और स्वीकृत अभ्युक्तियों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 2.5: स्थानीय लेखापरीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया						
वि.व.	की गई अभ्युक्तियाँ	प्राप्त किये गये उत्तर		उत्तर प्राप्त नहीं हुए	स्वीकृत मामलों की प्रतिशतता	उत्तर प्राप्त न होने की प्रतिशतता
		स्वीकृत मामले	अस्वीकृत मामले			
2009-10	19,227	2,927	3,919	12,381	15.2	64.4
2010-11	20,130	4,354	3,568	12,208	21.6	60.7
2011-12	19,624	3,945	2,971	12,708	20.1	64.8
2012-13	18,548	3,343	4,124	11,081	18.0	59.7
2013-14	19,312	3,642 <sup>25</sup>	3,131	12,534	18.9	64.9

**2.6.3** हमने उच्च मूल्य वाले मामलों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनके समावेश से पूर्व मंत्रालय को उन पर टिप्पणियां देने के लिए छः सप्ताह दिये। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए गए 469 उच्च मूल्य वाले मामलों में से, आईटीडी ने 144 मामले (31 प्रतिशत) स्वीकार किये जबकि दिसम्बर 2014 तक 11 मामले स्वीकार नहीं किये। तालिका 2.6 आईटीडी द्वारा की गई उपचारात्मक कार्यवाही के विवरण दर्शाती हैं।

तालिका 2.6: की गई कार्यवाही का ब्यौरा						(₹ करोड़ में)	
श्रेणी	कार्यवाही पूरी की गई और वसूली गई राशि		कार्यवाही पूरी की गई परंतु वसूली अभी बाकी है		केवल कार्यवाही प्रारंभ की गई		
	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	
क. निगम कर	0	0.00	248	1551.19	23	130.74	
ख. आयकर	0	0.00	114	388.75	4	2.68	
ग. धनकर	0	0.00	19	2.04	0	0.00	
<b>जोड़</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>381</b>	<b>1941.98</b>	<b>27</b>	<b>133.42</b>	

<sup>25</sup> 1,907 स्वीकृत मामले तथा की गई सुधारात्मक कार्यवाही; 1,735 स्वीकृत किये गये मामले परन्तु सुधारात्मक कार्यवाही नहीं किये।



आईटीडी ने 469 मामलों में से 408 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाही प्रारंभ की है। शेष मामलों में की गई सुधारात्मक कार्रवाही के ब्यौरे 31 दिसम्बर 2014 तक उपलब्ध नहीं थे।

2.6.4 अध्याय III और IV में क्रमशः निगम कर, आय कर और धन कर के संबंध में निर्धारणों में त्रुटियों का ब्यौरा दर्शाया गया है।

## 2.7 लेखापरीक्षा आपत्तियों का लंबन

2.7.1 सीबीडीटी ने निर्देश (2006) जारी किये हैं कि एलएआरज़ के उत्तर छह सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। निर्धारण अधिकारियों (एओज़) को गलतियों को सुधारने के लिए दो माह के भीतर सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ करनी आवश्यक है नहीं तो उनके काल बाधित होने के कारण राजस्व हानि होगी।

2.7.2 नीचे दी गई तालिका 2.7 अभ्युक्तियों के लंबन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 2.7: बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के ब्यौरे							(₹ करोड़ में)	
अवधि	नि. कर		आ. कर		आ. कर		जोड़	
	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव
मार्च 2010 तक	2,013	9,516.5	2,356	4,147.7	522	19.2	4,891	13,683.4
2010-11	2,730	6,215.5	3,294	1,934.8	557	15.7	6,581	8,166.0
2011-12	3,179	12,788.5	4,514	1,209.3	585	35.8	8,278	14,033.6
2012-13	3,945	7,284.8	6,327	3,706.4	1,247	74.7	11,519	11,065.9
2013-14	2,749	5,993.0	5,817	1,350.4	803	5.1	9,369	7,348.5
<b>जोड़</b>	<b>14,616</b>	<b>41,798.3</b>	<b>22,308</b>	<b>12,348.6</b>	<b>3,714</b>	<b>150.5</b>	<b>40,638</b>	<b>54,297.4</b>

प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तरों के लंबन में अभिवृद्धि के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2014 तक ₹ 54,297.4 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 40,638 मामले जमा हो गए थे।

2.7.3 नीचे दी गई तालिका 2.8 वि. व. 2009-10 से 2013-14 के दौरान काल बाधित मामलों का ब्यौरा दर्शाती है।

तालिका 2.8: काल-बाधित मामलों का ब्यौरा			(₹ करोड़ में)
प्रतिवेदन का वर्ष	मामले	कर प्रभाव	
2009-10	5,644	2,869.0	
2010-11	7,942	5,335.0	
2011-12	3,907	1,083.0	
2012-13	2,207	899.9	
2013-14	2,427	1,121.2	

2.7.4 वि.व. 2013-14 के दौरान, ₹1,121.2 करोड़ के कर प्रभाव वाले 2,427 मामले उपचारात्मक कार्रवाई हेतु कालबाधित हो गए थे। परिशिष्ट-2.5 ऐसे मामलों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाता है। चार राज्य में (महाराष्ट्र, गुजरात तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश) कालबाधित मामलों का कर प्रभाव ₹ 100 करोड़ अधिक था।

## 2.8 अभिलेखों को उपलब्ध न कराना

2.8.1 हमने करों के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी जाँच सुनिश्चित करने के मद्देनजर और यह जांचने के लिए कि नियमावलियों और क्रियाविधियों का अनुपालन किया जा रहा है, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 16 के अंतर्गत निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा की। आईटीडी के लिए यह आवश्यक है कि वह लेखापरीक्षा को अविलंब अभिलेख उपलब्ध कराये और सुसंगत सूचना प्रस्तुत करें।

2.8.2 परिशिष्ट 2.6 वि. व. 2011-12 से वि. व. 2013-14 के दौरान अभिलेखों को उपलब्ध ना कराने के विवरण दर्शाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल में अभिलेख उपलब्ध ना कराना वि. व. 2013-14 के दौरान पिछले वर्षों के बढ़ गया है। आईटीडी ने नि. व. 2013-14 के दौरान माँगे गए 2,99,218 अभिलेखों में से 40,212 (13.4 प्रतिशत) अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जो नि. व. 2012-13 (14.7 प्रतिशत) से कम है। नीचे तालिका 2.9 तीन अथवा अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में समान निर्धारितियों से संबंधित लेखापरीक्षा को उपलब्ध ना कराए गए अभिलेखों के विवरण दर्शाती है।

तालिका 2.9: तीन या अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा को उपलब्ध न कराये गये अभिलेख	
राज्य	उपलब्ध न कराये गये अभिलेख
क. आंध्र प्रदेश	216
ख. कर्नाटक	266
ग. मध्य प्रदेश	58
घ. महाराष्ट्र	8
ङ. ओडिशा	51
च. तमिलनाडु	6
	<b>जोड़ 605</b>

वि. व. 2013-14 में, छह राज्यों में समान निर्धारितियों से संबंधित 605 अभिलेख पिछले तीन अथवा अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

### अध्याय III: निगम कर

#### 3.1 प्रस्तावना

3.1.1 हमने जून 2014 से सितम्बर 2014 के दौरान वित्त मंत्रालय को उनकी टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए ₹ 2,254.72 करोड़ के कर प्रभाव वाले निगम कर से संबंधित 326 उच्च मूल्य के मामले प्रेषित किये।

3.1.2 विभाग (आईटीडी) ने 113 मामले स्वीकार किये तथा 11 मामले (पैरा 2.6.3 में संदर्भित) स्वीकार नहीं किये। आईटीडी ने ₹ 1,551.19 करोड़ के कर प्रभाव वाले 248 मामलों में सुधारात्मक कार्यवाही पूरी की है तथा ₹ 130.74 करोड़ के कर प्रभाव वाले 23 मामलों में सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ की है।

3.1.3 यह अध्याय 326 निगम कर मामलों पर चर्चा करता है, जिनमें से 294 मामलों में ₹ 1,760.44 करोड़ का कम प्रभार तथा 32 मामलों में ₹ 494.28 करोड़ का अधिक प्रभार<sup>26</sup> शामिल है। गलत निर्धारण के ये मामले आयकर विभाग द्वारा की गई निर्धारण प्रक्रिया पर आन्तरिक नियंत्रणों में कमजोरियों की ओर संकेत करते हैं।

3.1.4 गलतियों की श्रेणियों को व्यापक रूप से निम्नप्रकार से वर्गीकृत किया गया है:

- निर्धारणों की गुणवत्ता
- कर छूटों/रियायतों/कटौतियों का प्रशासन
- चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय
- अन्य-कर/ब्याज इत्यादि का अधिक प्रभार

तालिका 2.4 (पैरा 2.5.5) गलतियों की व्यापक श्रेणियों तथा उनके कर प्रभाव के विवरण दर्शाती है।

3.1.5 इस अध्याय के अनुवर्ती खण्डों में, प्रत्येक श्रेणी का पहला पैराग्राफ निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा की गई गलतियों के प्रकार को दर्शाता है। चार व्यापक श्रेणियों को आगे समान प्रवृत्ति की गलतियों को दर्शाने के उद्देश्य से उप-श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक उप-श्रेणी अधिनियम के

---

<sup>26</sup> अधिक प्रभार सही आँकड़ों को अपनाने में गलतियों, आय की गणना में अंकगणितीय गलतियों, कर/ब्याज की दरों का गलत अनुप्रयोग इत्यादि के कारण है।

प्रावधानों को दर्शाती एक प्रस्तावना के साथ प्रारंभ होती है तथा उसके बाद उदाहरणों में महत्वपूर्ण मामलों को दर्शाया गया है।

### 3.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

3.2.1 निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद निर्धारणों में त्रुटियाँ की। गलत निर्धारणों के इन मामलों से आयकर विभाग में आन्तरिक नियंत्रणों में कमियों का पता चलता है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। तालिका 3.1 उन त्रुटियों की उप-श्रेणी दर्शाती है (संदर्भ परिशिष्ट 2.3) जिनसे निर्धारणों की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

तालिका 3.1: निर्धारण की गुणवत्ता में त्रुटियों का विवरण			(₹ करोड़ में)
उप श्रेणी	मामले	कर प्रभाव	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	46	268.09	आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ख. ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियाँ	19	192.86	दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल
ग. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज	21	122.39	दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
घ. कर और अधिभार लगाने में गलत दर का प्रयोग	8	24.02	दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल
ङ. अपीलीय आदेश का पालन करते समय निर्धारणों में गलतियाँ	12	48.54	गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
<b>जोड़</b>	<b>106</b>	<b>655.90</b>	

### 3.2.2 आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हम ऐसे पाँच निदर्शी मामलों नीचे दे रहे हैं:

धारा 143(3) निर्धारण अधिकारियों द्वारा आय का सही तरीके से मूल्यांकन और निर्धारण करने का प्रावधान करती है। विभिन्न प्रकार के दावों और लेखाओं, रिकार्डों और विवरणों के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत रूप से जाँच की जानी अपेक्षित है। सीबीडीटी ने भी इस संबंध में समय समय पर अनुदेश जारी किए हैं।

3.2.2.1 आंध्र प्रदेश, सीआईटी-II प्रभार में, निर्धारण वर्ष (नि. व.) 2008-09 के लिए ट्रांसमिशन कार्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड का निर्धारण पूरा करते समय एओ ने दिसम्बर 2012 में संवीक्षा के पश्चात् आंध्र प्रदेश सरकार से

प्राप्त ₹ 29.33 करोड़ की ब्याज आय पर विचार करने के पश्चात ₹ 13.47 करोड़ का घाटा निर्धारित किया। कर योग्य आय की गणना करते समय एओ ने गलती से ₹ 79.39 करोड़ की आय की सही राशि के स्थान पर ₹ 42.80 करोड़ के घाटे पर प्रारंभिक आँकड़ा स्वीकार किया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 122.19 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 41.53 करोड़ के कर का संभावित कम उदग्रहण शामिल है।

**3.2.2.2** महाराष्ट्र, सीआईटी-। पुणे प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के पश्चात नि. व. 2009-10 हेतु **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** का निर्धारण ₹ 761.03 करोड़ के आय पर पूरा किया। बाद में जनवरी 2012 में धारा 154 के अन्तर्गत निर्धारण परिशोधित किया गया था तथा प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर हानि अनुमत करने के पश्चात आय ₹ 617.78 करोड़ पर पुनः निर्धारित की गई थी। संवीक्षा निर्धारण तथा परिशोधन के दौरान कर योग्य आय की गणना करते समय, एओ ने प्रतिभूतियों की बिक्री पर ₹ 250.80 करोड़ के संशोधित लाभ पर विचार नहीं किया गया था जो निर्धारिती द्वारा ₹ 176.26 करोड़ के पूर्ववर्ती लाभ में ₹ 74.54 करोड़ के कुल संवर्धन के पश्चात पुनः गिना गया था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 74.54 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 25.34 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी ने मार्च 2013 में पारित सीआईटी (अपील) के आदेश को प्रभावी करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही (अक्टूबर 2013) की है।

**3.2.2.3** तमिलनाडु, सीआईटी-।।। चेन्नै प्रभार में, एओ ने मई 2013 में संवीक्षा के पश्चात नि. व. 2009-10 के लिए **टेली डाटा मरीन सोल्यूशन्स लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय, ₹ 6.95 करोड़ की आय पर धारा 92 सीए(3) के अन्तर्गत हस्तांतरण मूल्यांकन अधिकारी ।।। चेन्नै द्वारा प्रस्तावित ₹ 91.12 करोड़ के उर्ध्वगामी समायोजन के प्रति हस्तांतरण मूल्यांकन उर्ध्वगामी समायोजन के लिए गलती के केवल ₹ 4.93 करोड़ जोड़े थे। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 86.18 करोड़ तक आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 29.29 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती को सुधारा (सितम्बर 2013)।

**3.2.2.4** हरियाणा, सीआईटी हिसार प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के पश्चात नि. व. 2008-09 के लिए **दक्षिण हरियाण बिजली वितरण निगम लिमिटेड** का निर्धारण शून्य आय पर पूरा करते समय बहीखातों में दर्शायी गई ₹ 225.46 की सही राशि के स्थान पर लगाए गए परन्तु वसूल ना किये गए अधिभार के लिए प्रावधान के कारण ₹ 153.98 की राशि की

गणना की तथा अस्वीकृत की। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 71.48 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 24.29 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी ने धारा 263 के साथ पठित धारा 143 (3) के अन्तर्गत सुधारात्मक कार्यवाही की (जनवरी 2014)।

**3.2.2.5 कर्नाटक, सीआईटी-।** बेंगलोर प्रभार में, एओ ने अक्टूबर 2013 में संवीक्षा के पश्चात नि. व. 2011-12 के लिए ₹ 28.71 के घाटे पर **चेसलिण्ड टैक्सटाईल्स लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय, शून्य आय के स्थान पर गलती से ₹ 31.31 करोड़ पर रिटर्न घाटा स्वीकार किया तथा निर्यात बिक्री पर कमीशन के लिए अस्वीकृत ₹ 2.60 करोड़ वापस जोड़ दिये। शून्य आय को घाटे के रूप में गलत स्वीकार करने के परिणामस्वरूप ₹ 28.71 करोड़ के घाटे का अधिक निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 9.53 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल है।

### 3.2.3 ब्याज के उदग्रहण में त्रुटियाँ

हम पाँच निदर्शी मामले नीचे दे रहे हैं:

अधिनियम में सरकार द्वारा निर्धारितियों द्वारा की गई विभिन्न चूकों के लिए समय समय पर निर्धारित दरों पर ब्याज लगाने का प्रावधान है।

**3.2.3.1 महाराष्ट्र, सीआईटी-एलटीयू मुम्बई प्रभार में,** एओ ने नि. व. 2008-09 के लिए फरवरी 2012 में ₹ 3,114.47 करोड़ की आय पर टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेज लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। कर माँग की गणना करते समय एओ ने अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज नहीं लगाया जबकि निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम था। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234 बी के तहत ₹ 161.77 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ। आईटीडी ने गलती स्वीकार की तथा धारा 154 के तहत सुधार किया (अप्रैल 2012)।

**3.2.3.2 दिल्ली, सीआईटी केन्द्रीय-III प्रभार में,** एओ ने नि. व. 2010-11 के लिए मार्च 2013 में धारा 153 ए के तहत **तिरूपति बिल्डिंग्स एण्ड आफिसेस प्रा. लिमिटेड** का सर्च निर्धारण ₹ 76.59 करोड़ की आय पर पूरा करते समय धारा 234बी(3) के तहत ₹ 6.25 करोड़ की सही राशि के स्थान पर ₹ 14.65 लाख का ब्याज लगाया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234बी(3) के तहत ₹ 6.1 करोड़ के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती को सुधारा (मई 2014)।

**3.2.3.3 पश्चिम बंगाल, सीआईटी-II** कोलकाता प्रभार में, एओ ने **वेस्ट बंगाल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड** के मामले में नि. व. 2008-09 के लिए दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के पश्चात ₹ 118.05 करोड़ की आय पर कर माँग की गणना करते समय धारा 234 बी के तहत ₹ 10.71 करोड़ की सही राशि के स्थान पर ₹ 7.24 करोड़ का ब्याज लगाया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234 बी के तहत ₹ 3.48 करोड़ के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती को सुधारा (जुलाई 2013)।

**3.2.3.4 दिल्ली, सीआईटी-III** प्रभार में, एओ ने **स्वच्छ ग्रुप इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड** के मामले में नि. व. 2008-09 के लिए जनवरी 2012 में संवीक्षा के पश्चात ₹ 51 करोड़ की आय पर कर माँग की गणना करते समय ₹ 7.21 करोड़ की सही राशि के स्थान पर धारा 234बी के तहत ₹ 4.54 करोड़ का ब्याज लगाया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234 बी के तहत ₹ 2.67 करोड़ के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। आईटीडी ने गलती स्वीकार की तथा धारा 154 के तहत सुधार किया (जुलाई 2012)।

**3.2.3.5 महाराष्ट्र, सीआईटी-एलटीयू मुम्बई** प्रभार में, एओ ने नि. व. 2008-09 के लिए नवम्बर 2012 में **शैल टेक्नोलॉजी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण पूरा करते समय ₹ 60.88 करोड़ की आय पर धारा 234 बी के तहत अप्रैल 2008 से नवम्बर 2012 की अवधि के लिए उदग्रहणीय ₹ 11.99 करोड़ के बजाए अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2011 की अवधि के लिए ₹ 9.62 करोड़ का ब्याज लगाया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234 बी के तहत ₹ 2.37 करोड़ के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। आईटीडी ने गलती स्वीकार की (जनवरी 2014) तथा धारा 154 के तहत सुधार किया (जुलाई 2013)।

### **3.2.4 अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज**

हम ऐसे दो निदर्शी मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैं:

यदि निर्धारिती को अधिक प्रतिदाय किया गया है तो धारा 234डी प्रतिदाय पर ब्याज के उदग्रहण के लिए प्रावधान करती है।

**3.2.4.1 महाराष्ट्र, सीआईटी-II** मुम्बई प्रभार में, एओ ने नि. व. 2008-09 के लिए नवम्बर 2012 में संवीक्षा के पश्चात ₹ 3,369.63 करोड़ की आय पर **लारसन एण्ड टरबो लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया जिसे बाद में फरवरी 2013 में परिशोधित किया गया था। एओ ने पहले निर्धारिती को जारी किये गए

₹ 158.43 करोड़<sup>27</sup> के अतिरिक्त प्रतिदाय पर ब्याज नहीं लगाया था यद्यपि संवीक्षा निर्धारण के अनुसार कोई प्रतिदाय देय नहीं था। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234 डी के अन्तर्गत ₹ 23.95 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2013)।

**3.2.4.2 दिल्ली, सीआईटी-III प्रभार में, नि. व. 2010-11 के लिए मार्च 2013 में संवीक्षा के पश्चात ₹ 9,872.27 करोड़ की आय पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड का निर्धारण पूरा करते समय एओ ने गलती से ₹ 98.22 करोड़ के अतिरिक्त प्रतिदाय पर आधे प्रतिशत की सही दर के स्थान पर ₹ 107.43 करोड़ के प्रतिदाय पर एक प्रतिशत के दर पर ब्याज लगाया था। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234 डी के तहत ₹ 13.99 करोड़ के ब्याज का अधिक उदग्रहण हुआ। आईटीडी ने गलती स्वीकार की तथा धारा 154 के तहत सुधार किया (अगस्त 2013)।**

### **3.2.5 कर एवं अधिभार की गलत दरों को लागू करना**

हम ऐसे दो निदर्शी मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैं:

धारा 143(3) निर्धारण अधिकारियों द्वारा आय का सही तरीके से मूल्यांकन और निर्धारण करने का प्रावधान करती है। विभिन्न प्रकार के दावों और लेखाओं, रिकार्डों और विवरणों के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत रूप से जाँच की जानी अपेक्षित है। सीबीडीटी ने भी इस संबंध में समय समय पर अनुदेश जारी किए हैं।

**3.2.5.1 पंजाब, सीआईटी-I लुधियाना प्रभार में एओ ने नि. व. 2010-11 के लिए मार्च 2013 में वर्धमान टैक्सटाईल्स लिमिटेड के संवीक्षा निर्धारण के तहत ₹ 185.03 करोड़ की आय पर कर माँग की गणना करते समय क्रमशः ₹ 5.55 करोड़ तथा ₹ 1.83 करोड़ का अधिप्रभार तथा शिक्षा उपकर नहीं लगाया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 7.38 करोड़ के अधिप्रभार तथा शिक्षा उपकर का उदग्रहण नहीं हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती सुधारी (जुलाई 2014)।**

**3.2.5.2 दिल्ली, सीआईटी (केन्द्रीय)-I प्रभार में धारा 153 ए के साथ पठित धारा 144 के अन्तर्गत नि. व. 2010-11 के लिए एओ ने पर्ल स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड की ₹ 185.03 करोड़ की आय पर कर माँग की गणना करते समय घरेलू कम्पनियों पर लागू होने वाली 10 प्रतिशत की सही दर के स्थान**

---

27 निर्धारती को कुल ₹ 158.43 करोड़ के तीन प्रतिदाय प्रदान किये गए थे जिनमें से ₹ 126.90 करोड़ का मार्च 2010 में, ₹ 23.03 का मार्च 2011 में तथा ₹ 8.51 करोड़ का अक्टूबर 2011 में भुगतान किया गया था।



पर पाँच प्रतिशत की दर पर अधिप्रभार लगाया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 5.21 करोड़ के अधिप्रभार का कम उदग्रहण हुआ। आईटीडी ने गलती को स्वीकार किया एवं धारा 154 के तहत सुधार किया (अक्टूबर 2013)।

### 3.2.6 अपीलीय आदेशों का पालन करते समय निर्धारण में त्रुटियाँ

हम ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दे रहे हैं:

धारा 254 के अन्तर्गत एक व्यथित निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सीआईटी (अपील) को अपील कर सकता है, तो वह एओ अपीलीय आदेश में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा। इसके अतिरिक्त, तथ्य और विधि के प्रश्न पर भी आईटीडी को अपील की अनुमति दी जाती है। एक अपीलीय आदेश के कार्यान्वयन में किसी भी गलती के परिणामस्वरूप आय का कम निर्धारण/अधिक निर्धारण हो सकता है।

**3.2.6.1** महाराष्ट्र, सीआईटी-II मुम्बई प्रभार में, एओ ने नि. व. 1995-96 के लिए **स्टेट बैंक आफ इण्डिया** के मामले में जून 2010 में आईटीडी के आदेश को प्रभावी करते समय धारा 36(1) (VIIए) के तहत संदिग्ध कर्ज हेतु प्रावधान के लिए कटौती की पुनः गणना नहीं की यद्यपि कुल आय संवीक्षा निर्धारण (मार्च 1998) में निर्धारित ₹ 1,069.51 के प्रति ₹ 769.59 करोड़ (जून 2010) के लिए संशोधित की गई थी। गलती के परिणामस्वरूप धारा 36(1) (VIIए) के तहत ₹ 15.00 करोड़ की अतिरिक्त कटौती स्वीकृत हुई जिसमें ₹ 6.90 करोड़ के कर का कम उदग्रहण शामिल है। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की।

**3.2.6.2** पश्चिम बंगाल, सीआईटी-IV कोलकाता प्रभार में, धारा 143(3) के साथ पठित धारा 251 के तहत नि. व. 2005-06 के लिए मार्च 2009 में **हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड** के निर्धारण का संशोधन करते समय (प्रारंभ में दिसम्बर 2007 में पूरे किये गए संवीक्षा निर्धारण के तहत सामान्य प्रावधानों के तहत शून्य आय पर तथा धारा 115 जेबी के तहत ₹ 630.06 करोड़ पर निर्धारित किया गया) मई 2007 में निर्धारिती को अनुमत किये गए ₹ 5.77 करोड़ के प्रतिदाय पर विचार नहीं किया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234 डी के तहत ब्याज के कम उदग्रहण सहित ₹ 6.00 करोड़ के प्रतिदाय की अतिरिक्त स्वीकृति हुई।

### 3.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

**3.3.1** अधिनियम में अध्याय VI-ए के अन्तर्गत और इसके सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत व्यय के कुछ वर्गों के लिए निर्धारिती को कुल आय की संगणना में रियायतों/छूटों/कटौतियाँ अनुमत की गई हैं। हमने पाया कि

निर्धारण अधिकारियों ने उन लाभार्थियों को अनियमित रूप से कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभ दिए थे जो इनके हकदार नहीं थे। ये मामले आइटीडी की ओर से कर रियायतों/कटौतियां/छूटों के प्रशासन में कमजोरियों के बारे में बताते हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तालिका 3.2 उप श्रेणियों को दर्शाती है (संदर्भ परिशिष्ट 2.3)। जिससे कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन पर प्रभाव पड़ा है।

तालिका 3.2: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन के तहत गलतियों की उपश्रेणियाँ			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणी	सं.	कर प्रभाव	राज्य
क. मूल्य हास/करोबार हानियों/पूँजीगत हानियों को अनुमत करने में अनियमितताएं	52	320.36	आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
ख. अनियमित छूट/कटौतियाँ/रियायत/राहत/ मैट क्रेडिट	29	115.20	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ग. कारोबार व्यय की गलत अनुमति	40	281.36	आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
<b>जोड़</b>			<b>121 716.92</b>

### 3.3.2 मूल्यहास और कारोबार/पूँजीगत हानियों के समंजन और अग्रेषण की अनुमति में अनियमितताएं

हमने नीचे ऐसे तीन निदर्शी मामले दिए हैं:

धारा 143(3) एओ को आय का सही तरीके से पता लगाने और निर्धारण करने का प्रावधान करता है। निर्धारणों की संवीक्षा में रिटर्न के साथ संलग्न लेखों, रिकार्डों और सभी दस्तावेजों के साथ विभिन्न प्रकार के दावों की विस्तृत जांच करना अपेक्षित है। सीबीटीडी ने भी इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं।

**3.3.2.1 कर्नाटक, बेंगलोर सीआईटी-1 प्रभार के एओ ने मार्च 2013 में नि. व. 2010-11 के लिए आईडीईबी प्राइवेट लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया जिसमें ₹ 69.89 करोड़ की हानि का पता चला। कर योग्य आय की गणना करते समय, एओ ने निर्धारती द्वारा अपनी संशोधित रिटर्न में निर्धारित ₹ 172.45 करोड़ की हानि के बजाय वास्तविक रिटर्न के अनुसार ₹ 283.45**

करोड़ की शुद्ध हानि अपनाई। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 65.44 करोड़ की हानि का अधिक अग्रेषण हुआ जिसमें ₹ 22.24 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने गलती को स्वीकार किया (अप्रैल 2014) और धारा 154 के तहत उसे सुधारा।

धारा 72 में आठ उत्तरवर्ती निर्धारण वर्षों तक उस निर्धारण वर्ष के संबंध में जिसके लिए पहले हानि की गणना की गई थी व्यवसाय हानि के अग्रेषण और समंजन का प्रावधान है।

**3.3.2.2** मेघालय, सीआईटी शिलांग प्रभार के एओ ने ₹ 146.67 करोड़ के व्यवसाय हानि के अग्रेषण और अवशोषित मूल्यहास की अनुमति के बाद नि. व 2008-09 के लिए मेघालय ऊर्जा निगम लिमिटेड (पूर्व में मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड के नाम से जाना जाता था) का कर निर्धारण दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद पुरा किया। करयोग्य आय की गणना करते समय एओ ने गलती से नि.व. 2007-08 से संबंधित व्यवसाय हानि/अवशोषित मूल्यहास पर ₹ 41.49 करोड़ के अनुमति योग्य हानि के बजाय ₹ 95.14 करोड़ के रूप में माना। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 53.65 करोड़ (₹ 95.14 करोड़ घटा ₹ 41.49 करोड़) की हानि/अवशोषित मूल्यहास का अत्यधिक अग्रेषण हुआ जिसमें ₹ 18.23 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) और धारा 154 के तहत गलती को सुधारा (जून 2013)।

**3.3.2.3** पश्चिम बंगाल, सीआईटी-IV कोलकाता प्रभार के एओ ने ₹ 26.06 करोड़ की आय से हानि को बढ़े खाते में डालने की अनुमति के बाद शून्य आय पर दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि. व. 2009-10 के लिए **इलेक्ट्रिकल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड** के निर्धारण को पूरा करते समय, ₹ 42.66 करोड़ की व्यवसाय हानि के अग्रेषण की अनुमति दी। चूँकि केवल ₹ 34.29 करोड़ की व्यवसाय हानि बढ़े खाते में डालने हेतु उपलब्ध थी, केवल ₹ 8.23 करोड़<sup>28</sup> की हानि के अग्रेषण की अनुमति दी जानी चाहिए थी। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 34.42 करोड़ के व्यवसाय हानि का अधिक अग्रेषण हुआ जिसमें ₹ 11.70 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था।

<sup>28</sup> ₹ 8.23 करोड़ = ₹ 34.29 करोड़ - ₹ 26.06 करोड़

### 3.3.3. अनियमित छूटें/कटौतियां/रियायतें/राहत/मैट क्रेडिट

हमने नीचे दो निदर्शी मामले दिए हैं:

धारा 115 जेएए एक निर्धारिती को मैट क्रेडिट अग्रोनयन अनुमत करता है जब सामान्य प्रावधानों के तहत देय कर विशेष प्रावधानों के तहत कर से अधिक होता है। तथापि, ऐसा क्रेडिट अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर के अन्तर और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत कर तक सीमित होगा।

**3.3.3.1** महाराष्ट्र सीआईटी-III मुम्बई प्रभार में एओ ने अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 1,103.50 करोड़ और सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 647.55 करोड़ की आय के लिए मार्च 2011 में संवीक्षा के बाद एवाई 2008-09 के लिए विडियोकान इंडस्ट्रीज लिमिटेड का निर्धारण पूरा किया। सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 602.15 करोड़ की आय पर निर्धारण का पुनः निर्धारण किया और मार्च 2013 में सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 534.76 करोड़ की आय का संशोधन किया। एओ ने ₹ 56.74 करोड़ के अनुमत मैट क्रेडिट के प्रति गलती से पूर्व वर्ष के ₹ 86.74 करोड़ मैट क्रेडिट का समंजन अनुमत किया, जो अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर और विशेष प्रावधानों के तहत कर का अन्तर था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 30.00 करोड़ के मैट क्रेडिट की अत्यधिक अनुमति हुई जिसमें उतना ही कर कम लगाया गया था।

**3.3.3.2** पश्चिम बंगाल, सीआईटी-III कोलकाता प्रभार में एओ ने ₹ 240.44 करोड़ की आय पर मार्च 2013 में संवीक्षा के बाद नि. व. 2010-11 के लिए वोडाफोन ईस्ट लिमिटेड का निर्धारण पूरा किया जिसे बाद में मई 2013 में अधिनियम की धारा 115 जेएए के तहत संशोधित कर ₹ 17.68 करोड़ के मैट क्रेडिट की अनुमति दी गई थी। चूंकि निर्धारिती ने नि. व. 2006-07, 2007-08 और 2009-10 के दौरान अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर का भुगतान किया था, समंजन हेतु कोई मैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 17.68 करोड़ का मैट क्रेडिट की गलत अनुमति हुई जिसमें ब्याज सहित ₹ 24.04 करोड़ तक का कर कम लगाया गया।

### 3.3.4 करोबार व्यय की गलत अनुमति

हमने नीचे चार ऐसे निदर्शी मामले दिए हैं:

धारा 43 बी में कुछ व्यय के प्रति केवल तब कटौती दी जा सकती है जब पिछले वर्ष में आय का रिटर्न फाइल करने की निर्धारित तिथि तक इसका वास्तव में भुगतान किया गया हो।

**3.3.4.1 महाराष्ट्र, सीआईटी-X मुम्बई प्रभार में एओ ने ₹ 10,284.77 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2010 में नि. व. 2008-09 के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा करते समय निवेश की बिक्री पर हानि के कारण ₹ 377.55 करोड़ की कटौती अनुमत की।** चूंकि भारत सरकार द्वारा जारी बांडों में किया गया निवेश प्रकृति में पूंजीगत था, बांडों की बिक्री या प्रतिदान को अस्वीकार करना अपेक्षित था। व्यय की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 377.55 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 128.33 करोड़ का कम कर लगाना शामिल था। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (मार्च 2013)।

**3.3.4.2 तमिलनाडु, सीआईटी-II त्रिची प्रभार में एओ ने ₹ 4.19 करोड़ की हानि पर दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि. व. 2009-10 के लिए तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (कुम्बकोनम) लिमिटेड का निर्धारण पूरा करते समय विधार्थी रियायती पास के लिए ₹ 123.29 करोड़ में से सामाजिक लागत के लिए ₹ 53.70 करोड़ की कटौती अनुमत की जिसे आर्थिक अनुदान के रूप में तमिलनाडु सरकार द्वारा वापिस किया जाना था।** चूंकि ₹ 123.29 करोड़ की राशि की आर्थिक अनुदान आय के रूप में गणना नहीं की गई थी, ₹ 53.70 करोड़ की कटौती की अस्वीकृति आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त, इसी निर्धारिती के मामले नि. व. 2005-06 के लिए मार्च 2013 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत पूर्ण पुनः निर्धारण में उपरोक्त आधार पर समान व्यय को अस्वीकृत किया गया था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 53.70 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 18.25 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने धारा 148 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है (जनवरी 2014)।

धारा 43 बी (एफ) में आय की गणना करते समय धारा 28 में संदर्भित मालिक के रूप में निर्धारिती द्वारा उसके कर्मचारी के क्रेडिट में किसी अवकाश के बदले में देय कोई भी राशि अनुमत है, यदि निर्धारिती द्वारा राशि का वास्तव में भुगतान किया गया हो।

**3.3.4.3 पश्चिम बंगाल सीआईटी-II कोलकाता प्रभार में एओ ने सामान्य प्रावधानों के तहत दिसम्बर 2010 में नि. व. 2008-09 के लिए नेशनल**

**इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड** की निर्धारण संवीक्षा को अन्तिम रूप देते समय ₹ 573.2 करोड़ की हानि पर धारा 115 जेबी के तहत ₹ 205.65 करोड़ का लाभ दर्ज किया और लाभ और हानि लेखों में “अवकाश यात्रा अनुदान” और “रोग-अवकाश” के लिए क्रमशः ₹ 16.32 करोड़ और ₹ 27.74 करोड़ डेबिट करने की अनुमति दी। चूंकि दोनों मदे रिटर्न भरने की देय तिथि तक अदत्त पड़ी रही, इन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 44.06 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 14.97 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने धारा 154 और 263 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की (मई 2012)।

धारा 36(1) (iii) प्रावधान करती है कि “परिसम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए उधार पूंजी के संबंध में परिसम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए उधार ली गई पूंजी की तिथि से प्रारंभ किसी अवधि से जब तक कि ऐसी परिसम्पत्ति का पहली बार उपयोग किया गया हो तब तक दत्त ब्याज की किसी भी राशि पर कटौती अनुमत नहीं होगी। इसके अलावा, धारा 37(1) के अनुसार कारोबार या पेशे के लाभ और मुनाफा शीर्ष के तहत प्रभारित आय की गणना करते समय पूंजीगत व्यय, अनुमत व्यय नहीं है”

**3.3.4.4** मेघालय, सीआईटी शिलांग प्रभार में एओ ने ₹ 334.56 करोड़ की निर्धारित आय के प्रति अग्रेनित हानि और मूल्यह्रास का समायोजन और ₹ 920.48 करोड़ की बकाया अवशोषित हानि और मूल्यह्रास को अग्रेनित करना अनुमत करने के बाद शून्य आय पर सितम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि. व. 2009-10 के लिए **नोर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। एओ ने उसकी परियोजनाओं पर किए गए निर्माण और ब्याज और वित्त प्रभार व्यय पर ₹ 25.82 करोड़ का प्रासंगिक व्यय अनुमत किया। चूंकि निर्माण अवधि के दौरान किया गया व्यय पूंजीगत प्रकृति का है, इसे अस्वीकृत करना आवश्यक था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 25.82 करोड़ की आय का कम मूल्यांकन हुआ जिसमें ₹ 8.77 करोड़ का कम कर लगाया गया।

### **3.4 चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय**

**3.4.1** अधिनियम में प्रावधान है कि किसी पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति की कुल आय में किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न, वस्तुतः प्राप्त अथवा उदभूत अथवा प्राप्त या उदभूत के रूप में मान्य आय शामिल होगी। हमने देखा कि एओज़ ने कुल आय जिस पर कर लगाया जाना था का निर्धारण नहीं किया/कम निर्धारण किया।

तालिका 3.3 निर्धारण से बचने वाली आय की उप-श्रेणियाँ (परिशिष्ट 2.3 देखें)

तालिका 3.3 चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय के तहत गलतियों की उप-श्रेणियाँ			₹ करोड़ में
उप-श्रेणियाँ	सं.	टीई	राज्य
क. विशेष प्रावधान के तहत अनिर्धारित/कम निर्धारित आय	34	100.42	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ख. सामान्य प्रावधान के तहत अनिर्धारित/कम निर्धारित आय	18	237.03	आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ग. पूंजीगत आय का गलत वर्गीकरण और गणना	7	18.89	आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
घ. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों के कार्यान्वयन में चूकें	7	27.83	गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु
ड. अस्पष्ट निवेश रोकड़ क्रेडिट इत्यादि	1	3.45	तमिलनाडु
<b>जोड़</b>	<b>67</b>	<b>387.62</b>	

### 3.4.2 विशेष प्रावधानों के तहत अनिर्धारित/कम निर्धारित आय

हमने नीचे ऐसे दो निदर्शी मामले दिए हैं:

धारा 115 जेबी में बुक प्रॉफिट की निर्धारित प्रतिशतता पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की उगाही का प्रावधान है, यदि सामान्य प्रावधानों के तहत देय कर मैट से कम हो। वित्त अधिनियम 2009 के अनुसार, पूर्वव्यापी धारा में संशोधन कर दिया गया है कि परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी का प्रावधान बुक प्रॉफिट की गणना करते समय वापस जोड़ा जाएगा।

**3.4.2.1 कर्नाटक, सीआईटी-1 बेंगलूर प्रभार में एओ ने सामान्य प्रावधानों के तहत शून्य आय पर और विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 17.95 करोड़ के दर्ज लाभ पर दिसम्बर 2010 में नि. व. 2008-09 के लिए बेंगलूर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। दर्ज लाभ की गणना करते समय, एओ ने लाभ और हानि लेखे में खराब और संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान के लिए डेबिट की गई ₹ 224.27 करोड़ की राशि को वापस नहीं जोड़ा। गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 32.81 करोड़ का कम कर लगाया गया। आयकर विभाग ने धारा 147 के तहत गलती को सुधारा (मार्च 2014)।**

**3.4.2.2** आंध्र प्रदेश, सीआईटी-VI हैदराबाद प्रभार के एओ ने अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 744.52 करोड़ के दर्ज लाभ पर नि. व. 2008-09 के लिए **नार्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय लाभ और हानि खाते में खराब और संदेहास्पद ऋणों के प्रावधान के लिए डेबिट की गई ₹ 77.41 करोड़ की राशि को वापिस नहीं डाला। गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 11.64 करोड़ का कम कर लगाया गया। आयकर विभाग ने धारा 263 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है (जुलाई 2013)।

### **3.4.3 सामान्य प्रावधानों के तहत अनिर्धारित/कम निर्धारित आय**

हमने नीचे ऐसे दो निदर्शों मामले दिए हैं:

धारा 28 में प्रावधान है कि किसी भी कारोबार या पेशे से लाभ और मुनाफा सुसंगत शीर्ष के तहत आय कर के दायरे में प्रभारित किया जाएगा। सीआईटी बनाम टीवीएस सुन्दरम अयंगर एंड सन्स (222 आईटीआर 344 एससी) के मामले में न्यायिक रूप से यह निर्णय दिया गया था कि भले ही राजस्व स्वरूप का होने से प्राप्ति के वर्ष में राशि करयोग्य नहीं है, निर्धारिती के स्वयं का धन होने पर सीमितता या किसी अन्य सांविधिक या अनुबंधात्मक अधिकार के कारण राशि का स्वरूप बदल देती है। इसकी वजह से इस राशि को आय रूप में माना जाएगा।

**3.4.3.1** तमिलनाडु, सीआईटी-I चैन्नई प्रभार के एओ ने ₹ 109.14 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2011 में नि. व. 2009-10 के लिए **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया, जिसे बाद में दिसम्बर 2012 में संशोधित कर ₹ 109.63 करोड़ कर दिया गया था। प्रतिभूति प्रीमियम खाते से निकाली गई ₹ 323.53 करोड़ की राशि को समायोजन के माध्यम से ₹ 200 करोड़, ₹ 100 करोड़ और ₹ 23.53 करोड़ के प्रति क्रमशः 'मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान' 'बड़े खाते में डाली गई परिसम्पत्ति की हानि' और 'निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान' द्वारा लाभ और हानि खाते में जमा किया गया था। प्रतिभूति प्रीमियम खाते के आहरण को जमा करने के प्रति प्रावधानों में निर्धारिती द्वारा डेबिट के निर्धारण से उसे राजस्व न्यूट्रल बना दिया। चूंकि प्रतिभूति प्रीमियम खाते के आहरण को राजस्व उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था, इसे राजस्व प्राप्ति के रूप में माना जाना आवश्यक था और कर हेतु आय के रूप में प्रस्तावित था। इसे करने में चूकों के परिणामस्वरूप ₹ 323.53 की आय का कम निर्धारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 109.97 का कम कर लगाया गया। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति यह कहते हुए स्वीकार नहीं की कि अंश प्रीमियम के उपयोग से संबंधित उचित उदघोषणा के रूप में



कटौती लेखों की टिप्पणी में की गई थी और यह केवल प्रस्तुतिकरण का तरीका था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शेयर प्रीमियम खाते में कटौती पूर्ण है और टीवीएस सुन्दरम एयंगर एवं सन्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपात के अन्दर था। कम्पनी अधिनियम के अनुसार परिसम्पत्तियों की कटौती या व्ययों को बढ़े खाते में डालने के प्रति शेयर प्रीमियम खाते के समायोजन में परिसम्पत्तियों को वास्तव में बढ़े खाते में डालना आवश्यक है जो नकदी के बहिर्वाह का प्रतिपादन करता है। इसके अतिरिक्त, लेखों के नोट में यह स्पष्ट किया गया था कि प्रतिभूति प्रीमियम खाते का समायोजन लेखांकन मानकों के और आईसीएआई के सुसंगत घोषणा के अनुरूप नहीं था।

धारा 143(3) में प्रावधान है कि एओ को संवीक्षा निर्धारण में आय का सही निर्धारण और मूल्यांकन करना चाहिए। इस संबंध में सीबीडीटी ने भी समय समय पर निर्देश जारी किए हैं।

**3.4.3.2 ओडिशा, सीआईटी भुवनेश्वर प्रभार के एओ ने ₹ 2042.54 करोड़ की आय पर अक्टूबर 2011 में संवीक्षा के बाद नि. व. 2009-10 के लिए नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड का निर्धारण पूरा किया था, जिसे बाद में मार्च 2012 में धारा 154 के तहत संशोधित कर ₹ 79.96 करोड़ के टीडीएस का क्रेडिट दिया था। लाभ और हानि खाते की राशि के अनुसार ₹ (-) 85.35 करोड़ की राशि को स्टॉक की अभिवृद्धि/गिरावट के मूल्य, मध्यवर्ती उत्पाद और प्रगति पर निर्माण कार्य जिनमें से ₹ 29.28 करोड़ की अभिवृद्धि अन्तिम उत्पाद से संबंधित थे। बहीखातों के अनुसार अन्तिम उत्पाद की अभिवृद्धि ₹ 65.10 करोड़ थी और ₹ 29.28 करोड़ नहीं। अन्तिम उत्पादों की अभिवृद्धि को कम बताने के परिणामस्वरूप ₹ 35.82 करोड़ तक की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 35.76 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था (मार्च 2013)।**

#### **3.4.4 पूँजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना**

हमने नीचे एक ऐसा निदर्शी मामला दिया है:

धारा 143(3) में प्रावधान है कि एओ को संवीक्षा निर्धारण में आय का सही निर्धारण और मूल्यांकन करना चाहिए। इस संबंध में सीबीडीटी ने समय समय पर निर्देश भी जारी किए हैं।

**3.4.4.1 आंध्र प्रदेश, सीआईटी-सेन्द्रल हैदराबाद प्रभार में एओ ने ₹ 33.73 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि. व. 2009-10 के लिए सुमित कोम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड का निर्धारण पूरा किया।**

निर्धारिती ने यूनिकोन के 18 लाख शेयर ₹ 39.09 करोड़ में बेचने के लिए हस्तांतरित किए और बिक्री से आमदनी को निर्धारिती के बैंक खाते में जमा किया गया था। पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) की गणना करते समय ₹ 39.09 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 22.07 करोड़ की बिक्री आमदनी पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती को अधिग्रहण की क्रमबद्ध लागत की अनुमति दी गई थी जबकि शेयरों की धारण अवधि एक वर्ष से कम थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.02 करोड़ के पूंजीगत लाभ की कम गणना हुई। गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 17.99 करोड़ तक के एसटीसीजी की कम गणना हुई जिसमें ₹ 8.25 करोड़ तक का कर प्रभाव शामिल था। आय कर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (मार्च 2014) और धारा 263 के साथ पठित धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की।

### 3.4.5 टीडीएस के प्रावधानों के कार्यान्वयन में त्रुटियां

हमने नीचे एक ऐसा निदर्शी मामला दिया है:

धारा 40 (ए) (i)ए) प्रावधान करता है कि उन भुगतानों पर जहां टीडीएस की कटौती नहीं हुई है व्यय की कटौती अनुमत नहीं की जाएगी।

**3.4.5.1 ओडिशा, सीआईटी सम्बलपुर प्रभार में एओ ने ₹ 2778.77 करोड़ की आय पर, जिसे मार्च 2012 में संशोधित कर ₹ 2763.73 करोड़ कर दिया गया था, दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि. व. 2009-10 के लिए महानदी कोलफील्डस लिमिटेड का निर्धारण पूरा किया। संवीक्षा निर्धारण पूरा करते समय, एओ ने कोल इंडिया लिमिटेड को ₹ 4.82 करोड़ और ₹ 54.77 करोड़ का भुगतान अनुमत किया जिस पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। क्योंकि कर की कटौती नहीं की गई थी, ₹ 59.58 करोड़ के भुगतान को अस्वीकृत करना आवश्यक था। ऐसा करने में गलती के परिणामस्वरूप ₹ 59.58 करोड़ तक की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 20.48 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (मार्च 2013)।**

### 3.4.6 अस्पष्ट निवेश/नकदी ऋण इत्यादि

हम नीचे एक ऐसा निदर्शी मामला दे रहे हैं:

धारा 68 प्रावधान करता है कि यदि निर्धारिती अपनो बही में जमा की गई किसी राशि की प्रकृति और स्रोतके बारे में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तावित नहीं करता तो जमा की गई राशि को निर्धारिती की आय के रूप में आयकर प्रभारित किया जा सकता है।

**3.4.6.1** तमिलनाडु, सीआईटी-VI चैन्नई प्रभार, के एओ ने ₹ 29.32 लाख की आय पर दिसम्बर 2010 में नि. व. 2008-09 के लिए एस 4 कारलिसले पब्लिशिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। मार्च 2008 को समाप्त अवधि के लिए निर्धारिती के तुलन पत्र के अनुसार ₹ 10.67 करोड़ और ₹ 11.85 करोड़ की राशियों को देयता के तहत 'शेयर प्रीमियम खाते' में एवं परिसंपत्तियों के तहत एस 4 कारलिसले पब्लिशिंग सर्विसेस इंक में निवेश में दर्शाया गया था। शेयर प्रीमियम खाते में क्रेडिट के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया था और शेयर प्रीमियम खाते को एक सहायक कम्पनी में निवेश हेतु उपयोग किया जा रहा था जो कम्पनी अधिनियम की धारा 68 के तहत स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि शेयर प्रीमियम खाते को कम्पनियों में निवेश हेतु उपयोग किया जा रहा था जो निर्धारिती का मुख्य कारोबार नहीं है धारा 68 के तहत ₹ 11.85 करोड़ की राशि को अस्पष्ट क्रेडिट के रूप में माना जाना आवश्यक है और इस पर कर लगाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने के परिणास्वरूप ₹ 11.85 करोड़ की आय निर्धारण से बची रही जिसमें ₹ 3.45 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। आयकर विभाग ने मार्च 2014 में धारा 143(3) के साथ पठित 147 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।

### 3.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

**3.5.1** हमने देखा कि दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एओ ने ₹ 494.28 करोड़ के अधिक कर प्रभार वाले और ब्याज के 32 मामलों (परिशिष्ट 2.3 देखें) में आय का अधिक निर्धारण किया। हमने नीचे दो ऐसे निदर्शी मामले दिए हैं:

धारा 143(3) प्रावधान करता है कि एओ को आय का सही निर्धारण और मूल्यांकन करना चाहिए। रिटर्न के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों, अभिलेखों, लेखाओं के साथ साथ संवीक्षा निर्धारणों में विभिन्न प्रकार के दावों की विस्तार से जांच की जानी चाहिए।

**3.5.1.1** दिल्ली, सीआईडी-1 प्रभार के एओ ₹ 5,673.85 करोड़ की आय का दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद नि. व. 2008-09 के लिए **भारत संचार निगम लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और उसे सारांश चरण पर धारा 115 जेएए के तहत ₹ 216.41 करोड़ का कर क्रेडिट अनुमत किया था, किन्तु इसे संवीक्षा निर्धारण के दौरान इस पर विचार नहीं किया गया। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 287.83 करोड़ का कर अधिक प्रभारित किया गया। आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत गलती को सुधारा (जनवरी 2012)।

धारा 234 बी में प्रावधान है कि यदि एक निर्धारिती ने कर का अग्रिम भुगतान करना है और यदि उसने ऐसे कर का भुगतान नहीं किया या यदि उसके द्वारा भुगतान किया गया कर निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम हो तो वह एक प्रतिशत प्रतिमाह या महीने के भाग की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

**3.5.1.2** पश्चिम बंगाल, सीआईटी II कोलकाता प्रभार के एओ ने ₹ 892.02 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2009 में नि. व. 2007-08 के लिए **सेन्ट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारण को बाद में धारा 251 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत अगस्त 2010 में संशोधित किया गया जिसमें ₹ 39.54 करोड़ का कर निर्धारित किया और बिना किसी जोड़ के फिर फरवरी 2013 में संशोधित किया गया। फरवरी 2013 में फिर संशोधित निर्धारण पूरा करते समय धारा 234 बी के तहत ₹ 13.05 करोड़ की सही राशि के प्रति ₹ 28.08 करोड़ पर ब्याज लगाया गया था। आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत गलती को सुधारा (जुलाई 2013)।

## अध्याय IV: आयकर और धनकर

### 4.1 प्रस्तावना

4.1.1 हमने आय कर से संबंधित 124 उच्च मूल्य के मामलों, जिनमें ₹ 397.03 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है वित्त मंत्रालय को जून 2014 से सितम्बर 2014 के दौरान उनकी टिप्पणी हेतु संदर्भित किया है। इसके अलावा, इस अध्याय में ₹ 2.04 करोड़ की राशि धन कर से संबंधित 19 मामलों की भी चर्चा की गई है।

4.1.2 विभाग (आईटीडी) ने 31 मामलों को स्वीकार किया और ₹ 390.79 करोड़ के कर प्रभाव वाले 133 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई पूर्ण की और ₹ 2.68 करोड़ के कर प्रभाव वाले चार मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की है।

4.1.3 इस अध्याय में 124 आय कर मामलों पर चर्चा की गई है, जिनमें से ₹ 312.80 करोड़ के कम प्रभार वाले 97 मामले और ₹ 84.12 करोड़ के अधिक प्रभार के 27 मामले शामिल हैं। गलत निर्धारण के इन मामलों से आयकर विभाग में प्रयोग की जा रही निर्धारण प्रक्रिया पर आन्तरिक नियंत्रणों में कमियों का पता चलता है।

4.1.4 गलतियों के वर्गीकरण को व्यापक रूप से निम्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

- निर्धारणों की गुणवत्ता
- कर छूटों/रियायतों/कटौतियों का प्रशासन
- चूकों के कारण निर्धारणों से बची आय
- अन्य कर/ब्याज इत्यादि का अधिक प्रभार

इस प्रतिवेदन की तालिका 2.4 (पैरा 2.5.5) गलतियों और उनके कर प्रभाव के व्यापक वर्गों का विवरण दर्शाती है।

### 4.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

4.2.1 अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद एओ ने निर्धारणों में गलतियां की। गलत निर्धारण के ये मामले आईटीडी की आंतरिक नियंत्रण में कमजोरी को दर्शाते हैं जिसके सुधार किये जाने की आवश्यकता है। तालिका

4.1 गलतियों (परिशिष्ट 2.3 देखें) की उप श्रेणियां दर्शाती हैं जिसने निर्धारण की गुणवत्ता पर प्रभाव डाला।

तालिका 4.1: निर्धारण की गुणवत्ता में त्रुटियों का विवरण				(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणी	मामले	टीई	राज्य	
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां	9	199.66	दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल	
ख. कर, अधिप्रभार आदि की दरों का गलत प्रयोग	7	31.50	आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश	
ग. ब्याज उद्ग्रहण में त्रुटियां	20	30.77	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश	
घ. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज	2	0.74	बिहार और महाराष्ट्र	
<b>कुल</b>	<b>38</b>	<b>262.67</b>		

#### 4.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितिय त्रुटियां

हमने नीचे तीन निदर्शी मामले दिए हैं:

अधिनियम दर्शाता है कि एओ द्वारा कर या प्रतिदाय की उचित राशि, जैसा भी मामला हो निर्धारण और निश्चित करने में कुल आय या हानि का उचित निर्धारण किया जाना आवश्यक होता है।

4.2.2.1 पश्चिम बंगाल, डीआईटी-अन्तराष्ट्रीय कराधान कोलकाता प्रभार के एओ ने ₹ 2.47 करोड़ की आय पर मार्च 2013 में संवीक्षा के बाद नि. व. 2010-11 के लिए जोय पार्टनरशिप का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती की आय की गणना करते समय, एओ ने निर्धारिती द्वारा दर्शायी गई ₹ 10.50 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 2.56 करोड़ का आंकड़ा अपनाया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 8.04 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 3.4 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने धारा 143(3)/263 के तहत गलती को सुधारा (मार्च 2014)।

4.2.2.2 दिल्ली सीआईटी-सेन्ट्रल I प्रभार के एओ ने ₹ 43.36 करोड़ की आय पर मार्च 2013 में धारा 143(3)/153 ए के तहत नि. व. 2010-11 के लिए एक व्यक्ति पवन कुमार गुप्ता का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि कर की गणना करते समय एओ ने ₹ 433.68 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 43.36 करोड़ की कर योग्य आय की राशि को अपनाया। गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 187.21 करोड़ का कम कर लगाया गया। आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत गलती को सुधारा (नवम्बर 2013)।

**4.2.2.3** केरल, सीआईटी-सेन्ट्रल कोच्ची प्रभार के एओ ने ₹ 7.86 करोड़ की आय और उस पर ₹ 2.59 करोड़ के कर पर दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि. व. 2004-05 के लिए एक व्यक्ति **मैथ्यू के चेरियन** का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि धारा 234 बी के तहत ब्याज की गणना में अंकगणितिय त्रुटि के कारण ₹ 1.89 करोड़ तक राशि का कर कम लगाया गया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 1.89 करोड़ का कर/ब्याज कम लगाया गया। आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत गलती को सुधारा (अगस्त 2013)।

#### **4.2.3 कर तथा अधिप्रभार की दरों को गलत लागू करना**

हमने ऐसे तीन निदर्शी मामलें नीचे दिए हैं:

अधिशुल्क सहित आयकर को संबंधित वित्त अधिनियम में निर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना चाहिए।

**4.2.3.1** सीआईटी-ग्वालियर प्रभार, मध्य प्रदेश में, एओ ने नि.व. 2007-08 तथा 2008-09 के लिए धारा 153ए/143(3) के तहत दिसम्बर 2010 में क्रमशः ₹ 137.96 करोड़ तथा ₹ 119.45 करोड़ की आय पर एक एओपी, दी ग्वालियर सीटीजन साख सहकारिता मर्यादित का निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि निर्धारिती एक एओपी था, तथापि एओ ने आय पर कर की संगणना करते समय निर्धारिती की स्थिति को एक सोसाइटी के रूप में व्यवहारित किया। इस चूक के परिणामस्वरूप गलत संगणना हुई तथा दोनो निर्धारण वर्षों के लिए ब्याज सहित कर का कम उद्ग्रहण कुल मिलाकर ₹ 11.71 करोड़<sup>29</sup> था। *आईटीडी ने धारा 154 के तहत चूक को सुधारा (मई 2011)।*

**4.2.3.2** सीआईटी केन्द्रीय हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश में, एओ ने दिसम्बर 2011 में धारा 143(3)/153सी के तहत नि.व. 2009-10 के लिए ₹ 62.42 करोड़ की आय पर इन्द्रानी प्रसाद का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 62.42 करोड़ के पूंजीगत अर्जन पर 20 प्रतिशत की दर पर कर की विशेष दर लगाई गई भले ही सम्पत्ति धारण की अवधि तीन साल से कम थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 9.71 करोड़ कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा धारा 154 के तहत चूक को सुधारा (मार्च 2013)।

<sup>29</sup> नि.व. 2007-08 के लिए ₹ 6.27 करोड़ नि.व. 2008-09 के लिए ₹ 4.90 करोड़

**4.2.3.3** सीआईटी जयपुर । प्रभार, राजस्थान में, नि.व. 2009-10 के लिए दिसम्बर 2011 में ₹ 72.98 लाख की आय की संवीक्षा करने के पश्चात एक व्यक्ति, कैलाश चन्द मोदानी का निर्धारण पूरा करते समय, एओ ने कर की सामान्य दर की बजाय 15 प्रतिशत की विशेष दर पर अर्जित की लघु कालीन पूंजी अर्जन की संगणना की। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 17.21 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (जनवरी 2014)।

#### **4.2.4 ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियां**

हमने तीन ऐसे निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

अधिनियम भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरो पर निर्धारिती की ओर से विभिन्न चूक के लिए ब्याज के उद्ग्रहण हेतु व्यवस्था करता है।

**4.2.4.1** सीआईटी ग्वालियर प्रभार, मध्य प्रदेश में, एओ ने नि.व. 2008-09 के लिए दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के पश्चात एक व्यक्ति अखिल सिंघल का ₹ 111.75 करोड़ की आय तथा उससे ₹ 61.28 करोड़. के कर पर निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने धारा 234ए के तहत ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया भले ही निर्धारिती ने धारा 142 (1) के तहत प्राप्त नोटिस की प्रतिक्रिया में विलम्बित प्रतिदाय फाइल किया। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 6.02 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (मई 2011)।

**4.2.4.2** सीआईटी सैन्ट्रल IV मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने धारा 153ए के साथ पठित धारा 144 के तहत जून 2011 में निर्धारण वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए एक व्यक्ति **इंद्रजीत आर्य** का क्रमशः ₹ 23.70 करोड़ तथा ₹ 61.28 करोड़ की आय पर निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि पूर्वोक्त निर्धारण वर्षों के लिए धारा 234ए के तहत ब्याज क्रमशः 35 माह तथा 23 माह के बजाय 12 माह तथा 11 माह के लिए उद्ग्रहित किया गया। चूक के परिणामस्वरूप दोनों निर्धारण वर्षों के लिए कुल मिलाकर ₹ 4.35 करोड़ ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (दिसम्बर 2013)।



अधिनियम की धारा 220(2) यह व्यवस्था करती है कि यदि धारा 156 के तहत किसी मांग नोटिस में निर्दिष्ट राशि का 30 दिनों की अवधि के अन्दर भुगतान न किया जाए तो निर्धारिती अधिनियम में निर्दिष्ट रूप में साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

**4.2.4.3** सीआईटी गुडगाँव (सेंट्रल) प्रभार, हरियाणा में, एओ ने धारा 153बी(1) (बी) के तहत नि.व. 2009-10 के लिए दिसम्बर 2010 में ₹ 7.38 करोड़ की आय पर सुशील कुमार गुप्ता का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि निर्धारिती ने 28 जनवरी 2011 की देय तिथि के प्रति 9 नवम्बर 2012 के ₹ 1.51 करोड़ की राशि के कर तथा ब्याज का भुगतान किया तथापि, एओ ने मांग का भुगतान करने में विलम्ब हेतु ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। चूक के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 220(2) के तहत ₹ 30.08 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत चूक को सुधार किया (दिसम्बर 2013)।

#### **4.2.5 प्रतिदाय पर अधिक या अनियमित प्रतिदाय/ब्याज**

हमने ऐसे दो निदर्शी मामलों को नीचे दिया है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी भी नि.व. के लिए निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए कर की राशि उस राशि से अधिक होती है जिसके लिए वह उस वर्ष के लिए अधिनियम के तहत उचित प्रकार से प्रभार योग्य है, तो वह अधिक प्रतिदाय का हकदार होगा। यदि नियमित निर्धारण या सारांश के रूप में निर्धारित कर के दस प्रतिशत से कम प्रतिदाय राशि हो, तो धारा 244ए(1) प्रतिदाय पर ब्याज की व्यवस्था करती है।

**4.2.5.1** सीआईटी ॥ मुम्बई प्रभार महाराष्ट्र में, एओ ने नि.व. 2007-08 के लिए दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के पश्चात एक फर्म केपीएमजी का निर्धारण पूरा किया जिसे फरवरी 2011 में ₹ 17.09 करोड़ की आय पर सुधारा गया जिसे आगे अक्टूबर 2012 में सीआईटी (अपील) आर्डर को प्रभावित करते समय ₹ 15.71 करोड़ तक संशोधित किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने ₹ 5.29 करोड़ की निर्धारित आय पर तथा धारा 244ए के तहत इस तथ्य कि निर्धारिती को दो किश्तों में ₹ 3.15 करोड़ का प्रतिदाय पहले ही मंजूर किया गया था, के बावजूद ₹ 1.01 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 3.01 करोड़ के प्रतिदाय पर निकले पहले भुगतान किए गए करों के समायोजन पर कर का उद्ग्रहण किया। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 38.86 लाख की प्रतिदाय राशि पर ब्याज की अधिक स्वीकृति हुई आईटीडी ने धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (अक्टूबर 2013)।

**4.2.5.2** सीआईटी II पटना प्रभार, बिहार में, एओ ने नि.व. 2007-08 के लिए नवम्बर 2010 में संवीक्षा के पश्चात एक व्यक्ति **अवधेश कुमार सिंह** का ₹ 35.20 लाख के प्रतिदाय को मंजूर करते हुए ₹ 3.25 लाख की आय का मूल्यांकन पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण अमान्य हो गया था तथा इस रूप में निर्धारण के मामले को समय बाधित हो जाने के पश्चात पूरा किया गया। चूंकि इसके समय बाधित होने के पश्चात मूल्यांकन पूरा किया गया अतः ब्याज सहित ₹ 35.20 लाख के प्रतिदाय की स्वीकृत उचित नहीं थी। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है।

### 4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

**4.3.1** अधिनियम अध्याय VI-ए के तहत कुल आय की संगणना करने में निर्धारिती तथा इससे उपयुक्त प्रावधानों के तहत व्यय की कुछ श्रेणियों के लिए रियायत/छूट/कटौती को स्वीकृत करता है। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने अनियमित रूप से उन लाभार्थियों जो इसके हकदार नहीं हैं, के लिए कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभ का विस्तार किया है। ये मामले आईटीडी जिसे सम्बोधित करने की आवश्यकता है, की ओर से कर रियायत/कटौती/छूट के प्रशासन में कमी को दर्शाते हैं। तालिका 4.2 उन उप श्रेणियों को दर्शाती है (परिशिष्ट 2.3 के संदर्भ में) जिन्होंने कर रियायत/छूट/कटौती के प्रबंधन पर प्रभाव डाला है।

तालिका 4.2: कर रियायत/छूट/कटौती के प्रबंधन के तहत चूक की उप श्रेणियां (₹ करोड़ में)			
उप-श्रेणियां	सं.	टीई	राज्य
क. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/रियायत	2	1.70	गुजरात तथा उत्तराखण्ड
ख. ट्रस्टों/फर्मों/सोसाइटी/एओपीज को दी गई अनियमित छूट/कटौती/रियायत	12	11.60	आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु
ग. व्यवसायिक व्यय की गलत स्वीकृति	7	4.32	गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
घ. मूल्यहास/व्यवसायिक हानि/पूँजीगत हानि की स्वीकृति में अनियमितताएं	16	12.17	बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
<b>जोड़</b>	<b>37</b>	<b>29.79</b>	

#### 4.3.2 व्यक्तियों को अनियमित छूट/कटौती/रियायत

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

धारा 80आईसी औद्योगिक उपक्रमों या इन्टरप्राइजिज से लाभ तथा अर्जन के संदर्भ में कटौतियों को निश्चित करने में व्यवस्था करता है। जो किसी मद या वस्तु का निर्माण या उत्पादन अथवा किसी निर्दिष्ट क्षेत्र / अधिसूचित क्षेत्र या चौदहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट रूप में कोई संचालन प्रारम्भ करते हैं।

4.3.2.1 सीआईटी देहरादून प्रभार, उत्तराखण्ड में, एओ ने धारा 80आईसी के तहत नि.व. 2009-10 के लिए जून 2011 में संवीक्षा के पश्चात ₹ 3.65 करोड़ की कटौती को स्वीकृत करने के पश्चात ₹ 5.99 लाख की आय पर एक व्यक्ति **प्रतीक कुमार** का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती केवल सेवाएं प्रदान करने में ही संलग्न नहीं था अपितु वह रीयल एस्टेट कम्पनी से करार, कमीशन तथा ब्रोकिज से आय भी प्राप्त करता था तथा इसलिए वह धारा 80आईसी के तहत कटौती का पात्र नहीं था। कटौती की स्वीकृति में चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.57 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 3.65 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा धारा 148 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की (नवम्बर 2013)।

#### 4.3.3 ट्रस्टो/फर्मो/सोसाइटियों/एओपीज को अनियमित छूट/कटौतियां/राहते

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

धारा 143(3) दर्शाती है कि एओ को सही आय निश्चित और निर्धारित करनी होती है। सीबीडीटी ने इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किये हैं।

4.3.3.1 सीआईटी पटियाला प्रभार, पंजाब में, एओ ने नि.व. 2008-09 के लिए दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के पश्चात धारा 12ए के तहत कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति **पटियाला इम्प्रूमेंट ट्रस्ट** का निर्धारण पूरा करते समय ₹ 11 लाख की आय पर ₹ 7.46 करोड़ की छूट स्वीकृत की भले ही कथित छूट केवल धर्मार्थ ट्रस्टो को उपलब्ध हो। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 3.90 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए एक समान राशि द्वारा छूट की अनियमित स्वीकृति हुई। आईटीडी ने धारा 147 के तहत चूक का सुधार किया (मार्च 2013)।

#### 4.3.4 बिजनेस व्यय की गलत स्वीकृति

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार, एओ संवीक्षा निर्धारण में सही आय निश्चित और निर्धारित करनी होती है। सीबीडीटी ने एओ को समय-समय पर निर्देश भी जारी किए हैं तथा उनके पर्यवेक्षण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि संवीक्षा निर्धारण में चूक हुई।

4.3.4.1 सीआईटी बरेली प्रभार, उत्तर प्रदेश में, एओ ने नि.व. 2006-07 के लिए अक्टूबर 2008 में संवीक्षा के पश्चात ₹ 9.04 करोड़ की हानि पर एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी **किसान सहकारी चीनी मिल लि.** के निर्धारण की संगणना करते हुए 'कॉस्ट ऑफ कैन्' शीर्ष के तहत गुड़ की लागत की ओर ₹ 4.10 करोड़ के व्यय को स्वीकृति दी। चूंकि उक्त व्यय चीनी के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री नहीं है इसलिए इसे अमान्य रूप में अस्वीकृत किया जाना चाहिए। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.26 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 4.10 करोड़ की व्यवसायिक हानि का अधिक निर्धारण हुआ। आईटीडी ने धारा 147 के तहत चूक का सुधार किया (नवम्बर 2011)।

#### 4.3.5 मूल्यहास/कारबार हानियों/पूंजीगत हानियों की अनुमति में अनियमितताएं

हम ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दर्शा रहे हैं:

धारा 72 आगामी निर्धारण वर्षों जहां हानि का संबंधित वर्ष के किसी शीर्ष के तहत आय के प्रति पूर्ण रूप से एक सीमा तक समंजन नहीं किया जाता, में समंजन करने के लिए हानि के अग्रेनयन की व्यवस्था करती है, यह निर्धारित नहीं हैं।

4.3.5.1 सीआईटी-XX मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने नि.व. 2010-11 के लिए ₹ 1.61 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2012 में संवीक्षा के पश्चात एक व्यक्ति **शरद कांतिलाल शाह** का निर्धारण पूरा करते हुए ₹ 55.35 करोड़ की 'कारबार हानि' के प्रति ₹ 8.03 करोड़ की राशि की 'अन्य स्रोतों से आय' का समंजन नहीं किया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.48 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 8.03 करोड़ की हानि का अधिक अग्रेनयन हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (जनवरी 2014)।

#### 4.4 चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय

4.4.1 अधिनियम दर्शाता है कि किसी पिछले वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय किसी भी स्रोत से प्राप्त, वास्तविक रूप से प्राप्त या संचित या प्राप्त या संचित मानी गई सभी आय शामिल होंगी। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने कर के अंतर्गत ऑफर की जाने वाली अपेक्षित कुल आय का निर्धारण नहीं किया या कम निर्धारण किया। टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों को लागू करने में भी चूकें थी, जिसके कारण वे कर से छूट गईं। तालिका 4.3 उन उप-श्रेणियों को दर्शाता है (परिशिष्ट 2.3 देखें) जिसके परिणामस्वरूप निर्धारण से आय छूट गई।

तालिका 4.3: चूकों के कारण निर्धारण से छूटी हुई आय के अंतर्गत त्रुटियों की उप-श्रेणियां (₹ करोड़ में)			
उप-श्रेणियां	सं.	टीई	राज्यों
क. गलत वर्गीकरण तथा पूंजीगत लाभों की संगणना	4	2.67	गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु
ख. आय की गलत गणना	11	14.31	दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश
ग. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधान लागू करने में चूकें	7	3.36	बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश
घ. धन कर का उद्ग्रहण न करना/कम उद्ग्रहण करना	19	2.04	गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
जोड़	41	22.38	

#### 4.4.2 पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण तथा संगणना

हम ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दर्शा रहे हैं:

धारा 50सी में प्रावधान किया गया है कि जहां पर पूंजीगत भूमि या बिल्डिंग या दोनों के एक निर्धारिती द्वारा हस्तांतरित करने के परिणामतः प्राप्त मुआवजा ऐसे हस्तांतरण के संदर्भ में स्टैम्प शुल्क के भुगतान के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार के स्टैम्प वेल्थ प्राधिकरण द्वारा अपनाए मूल्य से कम हो तो उसे ऐसे हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त मुआवजे की पूर्ण कीमत माना जाएगा।

4.4.2.1 सीआईटी-। कोयम्बटूर, तमिलनाडु में, एओ ने नि.व. 2009-10 के लिए ₹ 1.55 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के पश्चात एक व्यक्ति के. आर. जयराम का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से पता

चला कि अन्य किसी निर्धारिती के साथ निर्धारिती ने ₹ 3.19 करोड़ की सेल कंसीडरेशन हेतु 4.90 एकड़ भूमि बेची तथा प्राप्त सेल कंसीडरेशन के 50 प्रतिशत भाग पर संगणित ₹ 1.17 करोड़ का लघुकालीन पूंजीगत लाभ प्रस्तुत किया। तथापि, डिस्ट्रिक्ट राजस्व अधिकारी (स्टैम्प) द्वारा कथित सम्पत्ति की पुनः निर्धारित मार्केट वैल्यू ₹ 7.35 करोड़ थी। चूंकि मार्केट वैल्यू को संशोधित किया गया था अतः धारा 50सी के तहत पूंजीगत लाभों की संगणना के लिए सेल कंसीडरेशन ₹ 3.67 करोड़<sup>30</sup> माना जाना चाहिए। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 70.78 लाख के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 2.08 करोड़ के पूंजीगत लाभ का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा धारा 148 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की (मार्च 2013)।

#### 4.4.3 आय की गलत संगणना

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

धारा 143(3) यह व्यवस्था करती है कि एओ आय की सही रूप से निश्चित तथा निर्धारित करें। लेखों, अभिलेखों दोनों में एकसाथ विभिन्न प्रकार के दावों तथा विवरणों में संलग्न सभी दस्तावेजों की संवीक्षा निर्धारण में विस्तार से जांच किए जाने की आवश्यकता है। सीबीडीटी ने समय-समय पर इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

**4.4.3.1 सीआईटी-**। पुणे प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने एक एओपी संगमनेर भाग सहकारी कारखाना लि. का नि.व. 2007-08 के लिए नवम्बर 2009 में संवीक्षा के पश्चात ₹ 2.11 करोड़ की हानि पर निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एओ ने ₹ 2.11 करोड़ की प्रतिदाय आय को हानि के रूप में माना तथा इसे अगले निर्धारण वर्षों में अग्रनयन की अनुमति दी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.11 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ तथा ₹ 1.29 करोड़ के परिणामी संभावित कर प्रभाव की सीमा तक हानि का गलत अग्रणण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (सितम्बर 2010)।

#### 4.4.4 टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों को लागू करने में चूकें

हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

धारा 40(ए)(आईए) दर्शाती है कि जहां टीडीएस में कटौती नहीं की गई है वहां भुगतानों के प्रति व्यय में कटौती अनुमत नहीं होगी।

<sup>30</sup> डिस्ट्रिक्ट राजस्व अधिकारी (स्टैम्प) द्वारा निश्चित रूप से ₹ 7.35 करोड़ का 50 प्रतिशत

**4.4.4.1** सीआईटी-1 अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में, एओ ने ₹ 42.15 लाख की आय पर नि.व. 2007-08 के लिए दिसम्बर 2009 में एक फर्म **हकीमचंद डी एंड सन्स** का निर्धारण पूरा करते हुए निर्धारिती द्वारा लाइसेंस फीस पर ₹ 4.96 करोड़ की राशि के खर्चों को अनुमति दी जिस पर भुगतान करते समय कर की कटौती नहीं की गई थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.22 करोड़ के कर प्रभाव वाली एक समान राशि से आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने धारा 147 के तहत चूक का सुधार किया (मार्च 2013)।

**4.4.4.2** सीआईटी रायपुर, छत्तीसगढ़ में, एओ ने ₹ 0.78 लाख की आय पर दिसम्बर 2010 में नि.व. 2008-09 के लिए एक फर्म **पी एन बी नायर** का निर्धारण पूरा करते समय निर्धारिती द्वारा 'ट्रक एंड जेसीबी रेंट' पर ₹ 24.96 लाख की राशि के व्ययों को स्वीकृति दी जिस पर भुगतान करते समय कर की कटौती नहीं की गई थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 12.34 लाख के कर प्रभाव वाली एक समान राशि से आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने धारा 147 के तहत चूक का सुधार किया (मार्च 2014)।

#### **4.4.5 धन कर का उद्ग्रहण न करना/कम उद्ग्रहण**

मंत्रालय को जून 2013 से सितम्बर 2014 के दौरान ₹ 2.04 करोड़ के कर प्रभाव सहित धन कर के 19 मामले सूचित किए गए। हमने पाया कि एओ ने गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इन मामलों में सीबीडीटी के निर्देशों<sup>31</sup> का अनुपालन नहीं किया। हम उदाहरणस्वरूप एक ऐसा मामला नीचे दर्शाया गया है:

**4.4.5.1** सीआईटी III मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारिती **कम्पनी परसक्ति ट्रेडिंग कॉ. प्रा.लि.** ₹ 190.96 करोड़ की शहरी भूमि पर स्थित थी जो धन कर अधिनियम के अनुसार धन कर आकृष्ट करती है परन्तु नि.व. 2008-09 के लिए धन कर विवरणी फाइल नहीं की। आईटीडी ने इसके लिए कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की। चूक के परिणामस्वरूप ₹19.53 करोड़ के करयोग्य धन कर का अपवंचन हुआ जिससे ब्याज सहित ₹ 28.32 लाख के धन कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ। आईटीडी ने धन कर अधिनियम की धारा 17 के साथ पठित धारा 16(5) के तहत चूक का सुधार किया (जनवरी 2013)।

<sup>31</sup> नवम्बर 1973, अप्रैल 1979 और सितम्बर 1984 में ए.ओ. को सीबीडीटी के निदेश जारी किये गये।

#### 4.5 कर/ब्याज का अधिप्रभार

4.5.1 हमने आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में ₹ 84.23 करोड़ के कर/ब्याज के अधिप्रभार सहित 27 मामलों (परिशिष्ट 2.3 देखें) में आय का अधिक निर्धारण देखा। हम ऐसे दो निदर्शी मामलों नीचे दे रहे हैं।

4.5.2 सीआईटी सेंट्रल हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश में, एओ ने नि.व. 2007-08 तथा 2009-10 के लिए क्रमशः ₹ 677.93 करोड़ तथा ₹ 1197.32 करोड़ की आय पर मार्च 2013 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत आंध्र प्रदेश हाउसिंग बोर्ड का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि एओ ने नि.व. 2007-08 के लिए दो प्रतिशत की सही दर के बजाय तीन प्रतिशत पर शिक्षा अधिशुल्क उद्धृत किया। इसके अलावा, धारा 234ए के तहत दोनों निर्धारण वर्षों के लिए अधिक ब्याज उद्धृत किया गया तथा नि.व. 2009-10 के लिए धारा 234बी के तहत अधिक ब्याज उद्धृत किया गया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 19.21 करोड़ के कर /ब्याज का अधिप्रभार हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत नि.व. 2008-09 के लिए चूक का सुधार किया (मई 2013)।

4.5.3 सीआईटी (सेंट्रल) । प्रभार, दिल्ली में, एओ ने नि.व. 2009-10 के लिए धारा 143(3)/153सी के तहत ₹ 18.92 करोड़ की आय तथा उस पर ₹ 12.47 करोड़ के कर पर मार्च 2013 में एक व्यक्ति रिशू गुप्ता का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारित आय पर कर की संगणना करते हुए ₹ 18.70 लाख की सही राशि के बजाय ₹ 6.23 करोड़ पर शिक्षा उपकर उद्धृत किया जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 9.01 करोड़ का अधिप्रभार हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (नवम्बर 2013)।



## अध्याय V - आयकर समझौता आयोग की कार्यप्रणाली और आईटीडी द्वारा इसके आदेशों को लागू करना

### 5.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने समझौते तथा निपटान करने, मुकद्दमेबाजी को कम करने तथा कर का तीव्र रूप से संग्रहण सुनिश्चित करने के माध्यम से अपने कार्य को स्पष्ट बनाने के लिए कर दाताओं के लिए प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्यों से 01 अप्रैल 1976 को नई दिल्ली स्थित मुख्यालय वाले एक आयकर समझौता आयोग<sup>32</sup> (आयोग) की स्थापना की। यह प्रत्यक्ष कर से सम्बंधित कर मामलों का निपटान करने के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान निकाय है। आयोग द्वारा पारित आदेशों को आईटीडी द्वारा लागू किया जाता है। अधिनियम ने आयोग तथा कर मामलों के समाधान हेतु आईटीडी के लिए समय ढांचा प्रदान किया है। इसकी भूमिका तथा उत्तरदायित्व की विशेषता बताने वाली मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

- क. कर दायित्व से संबंधित मामलों का निपटान;
- ख. स्वयं आयोग में निपटान के अंतिम चरण की घोषणा तथा व्यवस्था करना;
- ग. किए गए किसी जुर्म के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति देना और आयकर तथा धनकर से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत कोई शास्ति लगाना, और
- घ. आयोग के आदेश केवल न्यायिक समीक्षा के अध्याधीन हैं।

### 5.2 संगठनात्मक ढांचा

आयोग की प्रमुख बेंच नई दिल्ली में है और इसके छः अतिरिक्त बेंच (नई दिल्ली तथा मुम्बई प्रत्येक में दो, चेन्नई तथा कोलकाता प्रत्येक में एक) हैं। प्रत्येक बेंच में एक पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष या उपाध्यक्ष) तथा दो सदस्य, साचिविक सहायता हेतु आईटीडी के दो वरिष्ठ अधिकारी अर्थात् सचिव एवं आयकर निदेशक (जांच) सम्मिलित हैं। आयोग की विभिन्न बेंचों का विस्तृत अधिकार क्षेत्र परिशिष्ट-5.1 में दिया गया है।

---

<sup>32</sup> आयकर अधिनियम 1961 की धारा 245बी तथा धर कर अधिनियम 1957 की धारा 22बी

### 5.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता करना था कि क्या प्रणाली तथा प्रक्रियाएं आयोग/सीबीडीटी द्वारा जारी अधिनियम/नियमों, नियमावलियों, परिपत्रों तथा निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तथा उपस्थित हैं तथा क्या मामलों के निपटान की मॉनीटरिंग करने के लिए आयोग तथा संबंधित सीआईटी/एओ के अन्दर उचित आन्तरिक नियंत्रण तंत्र है।

### 5.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

हमने आयोग की सभी बेंचों द्वारा वि.व. 2010-11 से वि.व. 2012-13 तक की अवधि में निपटाए गए मामले एवं 31 मार्च 2013 को लंबित मामले तथा आईटीडी द्वारा उसके आदेशों के कार्यान्वयन को देखा। लेखापरीक्षा ने आयोग द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए पूरे भारत में आईटीडी के संबंधित सीआईटी द्वारा उपलब्ध कराये गये 1,049 मामलों की जांच की।

### 5.5 बाधाएं

आयोग द्वारा दिए आश्वासन के बावजूद (अप्रैल 2014), बेंचो ने व्यक्तिगत आवेदन फाइलें तथा अन्य संबंधित अभिलेख प्रदान नहीं किए। फलस्वरूप, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित/जांच नहीं कर सकी, (i) आवेदन फाइल करने के लिए अनुसरित प्रक्रिया, (ii) आवेदक द्वारा आवेदन की फाइलिंग तथा उनका निपटान, कर भुगतान आदि विभिन्न स्तरों की तिथियां, तथा (iii) निपटान मामलों की मॉनीटरिंग के लिए आन्तरिक नियंत्रण तंत्र की उपस्थिति।

*मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2014) कि आयोग के समक्ष कार्रवाईयां अर्द्धन्यायिक हैं तथा इन्हें लेखापरीक्षा जो आवेदन फाइल करने से आरम्भ तथा निपटान के आदेश के पारित होने के साथ समाप्त होती है, के लिए खुली नहीं है।*

### 5.6 आँकड़ों का संग्रहण

आयोग के बेंचो/आईटीडी तथा मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ वि.व. 2010-11 से वि.व. 2012-13 के लिए आयोग के पास मामलों का लम्बन दर्शाने वाले अलग-अलग आँकड़े प्रदान किए हैं। विवरण तालिका 5.1 में दिया गया है। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े ब्रेकेट में दर्शाए गए हैं।

तालिका 5.1: आयोग के बेंचों के पास लम्बित मामलें				
बेंच	1 अप्रैल 2010 तक लम्बित मामलें	निपटान हेतु मामलें	निपटान किए गए मामले	31 मार्च 2013 तक लम्बित मामलें
चेन्नई <sup>33</sup>	74	64	62	2 (71)
दिल्ली	540	856	405	451 (455)
कोलकाता	32	195	119	76 (147)
मुम्बई	715	1,004	727	277 (269)

(स्रोत: आयोग के बेंच/आईटीडी)

यथार्थ आँकड़ों का अभाव सही आन्तरिक नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

### 5.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्ष आयोग द्वारा दी गई सीमित सूचना/आँकड़ों और आईटीडी की क्षेत्रीय इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखों पर आधारित है। आयोग की कार्यप्रणाली से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष और आईटीडी द्वारा इसके अनुपालन की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

#### आयोग की कार्य प्रणाली से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.7.1 निपटान तंत्र करदाताओं को अपनी अतिरिक्त आय जितना उन्होंने पहले आईटीडी के प्रकट समक्ष किया था, उससे अधिक आय का खुलासा अनुमत करता है। आवेदक को आवेदन करते समय आयोग के समक्ष खुलासा किए गए अतिरिक्त आय पर कर और ब्याज की पूरी राशि जमा करनी होगी। तब आयोग आवेदन की स्वीकार्यता सुनिश्चित करता है और स्वीकार्य आवेदन के मामले में दोनों पक्षों को अवसर देते हुए एक निश्चित समय-सीमा में निपटान की प्रक्रिया पूरी करता है। आयोग को निर्धारित अवधि के भीतर निपटान आदेश पारित करना होता है। इसके पास जुर्माना और अभियोग से छूट की पूरी शक्तियां हैं, जो अभियोग के बड़े स्रोत हैं। आयोग द्वारा पारित आदेश अंतिम और निर्णायक है। वर्तमान में, करदाताओं द्वारा जीवन में केवल एक बार समझौता तंत्र का लाभ लिया जा सकता है, जिसने 1 जून 2007 को या उसके बाद पहला आवेदन दिया हो।

<sup>33</sup> केरल तथा आंध्र प्रदेश के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

आवेदन करने और स्वीकार्यता तथा आयोग द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

### 5.7.2 धारा 245डी(1) के तहत निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन

आवेदक की सुनवाई के पश्चात आयोग, आवेदन की तिथि से 14 दिनों के भीतर लिखित में आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करेगा और तत्पश्चात् धारा 245डी(2बी) के तहत रिपोर्ट की मांग करते हुए धारा 245डी(1) के अंतर्गत आदेश की एक प्रति सहित इसे सीआईटी को अग्रेषित करेगा, जो इसकी प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर धारा 245डी(2बी) के तहत रिपोर्ट देगा। यदि आयोग द्वारा 14 दिनों के भीतर आदेश पारित नहीं किया जाता, तब आवेदन को प्रक्रिया हेतु अनुमत मान लिया जाएगा और इस संप्रेषण की तिथि से 30 दिनों के भीतर आयुक्त से रिपोर्ट माँगी जाएगी।

उत्तर-प्रदेश, सीआईटी-केंद्रीय, कानपुर प्रभार में पाँच मामलों में आयोग (अतिरिक्त बेंच-II, नई दिल्ली) के समक्ष आवेदन दाखिल किए गए थे (04 दिसम्बर 2006)। बेंच ने धारा 245डी(1) के तहत कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया लेकिन धारा 245डी(2बी) के तहत संबंधित सीआईटी से इस संप्रेषण के 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट माँग ली। इन सभी मामलों में सीएसआईटी द्वारा धारा 245डी(2बी) के तहत रिपोर्ट भेजी गई (23 मई 2007) और आयोग द्वारा धारा 245डी(4) के तहत आदेश पारित किए गए (26 अप्रैल 2014)। इस प्रकार, आयोग ने अधिनियम में निर्धारित अनूसूची का पालन नहीं किया।

### 5.7.3 जून 2007 से पूर्व दाखिल लेकिन मार्च 2008 के बाद निपटाए गए/लंबित मामले

अधिनियम में प्रावधान है कि 01 जून 2007 से पूर्व आयोग के समक्ष दाखिल आवेदन को आयोग द्वारा 31 मार्च 2008 से पहले निपटा दिया जाना था, जिसकी विफलता पर आवेदन को समाप्त कर दिया गया था।

01 जून 2007 से पूर्व आयोग के समक्ष दाखिल 134 मामलों<sup>34</sup> में हमने असाधारण विलम्ब देखा। 37 मामलों के निपटान में 39 महीने से 59 महीनों तक की देरी और 97 मामलों के निपटान में 31 मार्च 2013 को पांच वर्ष से 20 वर्षों की अवधि तक की देरी थी (बाक्स 1 देखें)।

34 गुजरात (2), हरियाणा (51), जम्मू और कश्मीर (1), झारखंड (13), पंजाब (14), राजस्थान (1), उत्तर प्रदेश (50) और पश्चिम बंगाल (2)

**बॉक्स सं. 1: जून 2007 से पहले दाखिल किन्तु मार्च 2008 के बाद  
निपटाए गए/लंबित मामले**

**क.** फरवरी 1993 और मई 2007 के बीच आयोग के कोलकाता बेंच के समक्ष प्रस्तुत 30 मामले छः वर्ष से 20 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी 31 मार्च 2013 तक निपटान हेतु लंबित थे। जिसमें से दो मामले उच्च न्यायालय में सुनवाई के कारण लंबित थे। बाकी मामलों में मामलों के निपटान में हुई असाधारण देरी का कारण नहीं बताया गया।

*मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि सितम्बर 2014 की समाप्ति पर 1 जून 2007 से पहले प्राप्त केवल 15 मामले निपटान हेतु लंबित हैं। जबकि मंत्रालय ने देरी का कारण नहीं बताया है।*

**ख.** उत्तर प्रदेश में वि.व. 2002-03 से वि.व. 2006-07 से संबंधित 50 मामले, जिन्हें 31 मार्च 2008 तक निपटाया जाना था, आठ से 11 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी लंबित थे।

*मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2014) कि 44 मामलों के निपटान में देरी माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अभियोग लंबित होने के कारण थी। इन मामलों को माननीय उच्च-न्यायालय के निर्णय के पश्चात निपटान हेतु लिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग के समक्ष कार्रवाई पर चार मामलों में रोक लगा दी थी। इसके अतिरिक्त 30 मामलों को अक्टूबर 2014 की समाप्ति के पहले ही निपटा दिया गया है।*

**ग.** झारखण्ड, सीआईटी केंद्रीय पटना प्रभार में, आयोग ने धारा 245डी(1) के अंतर्गत आयकर (अगस्त 1993) से संबंधित सात मामलों और नि.व. 1987-88 से 1992-93 हेतु धारा 22डी(1) के तहत संपत्ति कर (दिसम्बर 1993) से संबंधित छः मामलों को स्वीकार किया किन्तु 20 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लंबित दर्शाया गया।

*मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि ये मामले पशुपालन/चारा घोटाले से संबंधित थे और पटना उच्च-न्यायालय द्वारा रोक लगाने के कारण आयोग इन मामलों का निपटारा नहीं कर सका। उच्च न्यायालय द्वारा रोक हटाये जाने (03 फरवरी 1997) की सूचना निर्धारिती या आईटीडी द्वारा आयोग को नहीं दी गई थी।*

**घ.** हरियाणा में, जून 2002 और मई 2007 के बीच 16 मामले दाखिल किए गए थे जो धारा 245डी(4) के तहत निर्धारित समय-सीमा 31 मार्च 2008 बीत जाने के बावजूद 31 मार्च 2014 तक सात वर्षों से 12 वर्षों तक की देरी के बावजूद भी निपटान हेतु लंबित थे।

*मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) की अक्टूबर 2014 की समाप्ति तक इन मामलों का निपटान कर दिया गया है।*

**ड.** गुजरात में, धारा 245डी(1) के तहत 10 सितम्बर 1999 और 14 नवम्बर 2006 को स्वीकृत दो मामलों में आवेदन क्रमशः 15 वर्ष और 8 वर्ष की देरी के बावजूद भी नहीं निपटाए गए (जुलाई 2014)।

*मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि नवीन वी शाह और गृहशिल्प कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का मामला क्रमशः 2 जुलाई 2014 तथा 4 मार्च 2014 को निपटा दिया गया है।*

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि वित्त अधिनियम, 2007 के आने से पूर्व 1 जून 2007 से पहले दाखिल मामलों के निपटान में कोई समय-सीमा नहीं थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि आयोग के बेंच में उपलब्ध संसाधनों के साथ समय बाध्य आवेदनों को प्राथमिकता दी गई।

#### 5.7.4 01 जून 2007 और 01 जून 2010 के बाद दाखिल मामले

धारा 245डी(4ए) के अंतर्गत 01 जून 2007 को या उसके बाद दाखिल आवेदन के संबंध में आयोग को 12 महीनों के भीतर तथा 01 जून 2010 के बाद किए गए आवेदनों के संबंध में आवेदन किए जाने वाले माह की समाप्ति से 18 महीनों के भीतर आदेश पारित करना होगा।

हमने 01 जून 2007 और 01 जून 2010 के बाद आयोग के समक्ष दाखिल सात मामलों<sup>35</sup> में 12 दिनों से 563 दिनों की देरी देखी।

तीन मामलों<sup>36</sup> में आयोग द्वारा अभी आदेश पारित किया जाना शेष है। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि आयोग द्वारा अभी आदेश पारित किया जाना है।

#### 5.7.5 आयोग के आदेश में कुल आय की गणना

धारा 245डी(4) के तहत आदेश पारित करते समय आयोग रिटर्न आय, निर्धारिती द्वारा प्रकटित अतिरिक्त आय और आयोग द्वारा कोई अन्य आय, यदि कोई हो, को शामिल करते हुए निर्धारिती की कुल आय निर्धारित करता है।

तमिलनाडु, सीआईटी (केंद्रीय) ॥ चेन्नई प्रभार में, आर्द्धि पराशक्ति मेडिकल, एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट (पैन-AAATA0722H), के मामले में नि.व. 2008-09 हेतु आयोग ने धारा 245डी(4) के तहत पारित आदेश में कुल आय ₹ 5.51 करोड़ निर्धारित किया। हालांकि, निर्धारिती द्वारा अतिरिक्त आय के खुलासे और आयोग द्वारा आगे जोड़ने, रिटर्न आय को जोड़ने पर कुल आय ₹ 6.51 करोड़ बनती थी। इस प्रकार आयोग द्वारा 31 मार्च 2014 के जारी आदेश में ₹ 1.00 करोड़ की कुल कम आय का विवरण था। अनुवर्ती आदेश नहीं पारित किया गया (जुलाई 2014)। अनुवर्ती आदेश पारित करने के पश्चात् वित्तीय प्रभाव ₹ 33.99 लाख बनता है।

35 दिल्ली (4), बिहार (2) और पश्चिम बंगाल (1)

36 तमिलनाडु (3)

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि आयोग के आदेश (7 अगस्त 2014) को लागू करते समय एओ ने गलती में सुधार किया है और आयोग द्वारा किसी और आदेश की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

### आईटीडी द्वारा आयोग के आदेशों के कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.8 अधिनियम में आयोग के गठन और आवेदन दाखिल करने, स्वीकार करने तथा उनके निपटान की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अनुसार प्रत्येक स्तर पर आयोग को क्षेत्राधिकृत सीआईटीज़ से कई रिपोर्टों की आवश्यकता होती है। संबंधित एओ को भी आयोग के अंतिम आदेशों को लागू करना होता है। आईटीडी द्वारा आयोग के आदेशों के कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

#### 5.8.1 आयोग के आदेशों का कार्यान्वयन

आईटीडी को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आयोग के आदेशों को लागू करना होता है ताकि तेजी से कर राजस्व संग्रह किया जा सके।

5.8.1.1 पश्चिम बंगाल में हमने पाँच मामले देखे जहाँ एओ ने फरवरी 2011 और दिसम्बर 2012 के दौरान धारा 245डी(4) के तहत पारित आयोग के आदेशों को लागू नहीं किया था। इसके अलावा, ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली की समीक्षा से पता चला कि तीन मामलों में निर्धारितियों ने आयोग द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में कर का भुगतान किया लेकिन आईटीडी द्वारा कोई माँग के लिए नोटिस जारी नहीं किया गया था।

5.8.1.2 छत्तीसगढ़, सीआईटी रायपुर/बिलासपुर प्रभार में हमने चार मामलों में आयोग के आदेशों (सितम्बर 2011) को लागू करने में सात महीने की देरी (अप्रैल 2012) देखी। इस प्रकार तेजी से कर जुटाने का आयोग का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि आईटीडी कार्यबल की भारी कमी से जूझ रहा है और विभाग का पुनर्गठन (नवम्बर 2014) पूरा होते ही निर्धारित मानकों, विशेषकर प्रक्रियागत मामलों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

### 5.8.2 सीआईटी द्वारा धारा 245डी(2बी) के तहत रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण

धारा 245सी के तहत निपटान हेतु आवेदन की प्राप्ति पर आयोग धारा 245डी(2बी) के तहत सीआईटीसे रिपोर्ट माँगेगा और सीआईटी को इस संप्रेषण की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट देना होगा।

हमने 50 मामलों<sup>37</sup> में धारा 245डी(2बी) के तहत रिपोर्टों की प्रस्तुति में निर्धारित 30 दिनों की अवधि के बावजूद 10 से 86 दिनों तक की देरी देखी। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि धारा 245डी(2बी) के तहत आयोग द्वारा माँगी गई रिपोर्ट निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करने के लिए सभी सीसीएसआईटी (सीसीए) एवं (केंद्रीय)/डीजीज़ आईटी(अं) को निर्देश जारी किए हैं और उनके द्वारा किसी स्थगन की माँग नहीं की जाएगी। हालांकि, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए मुद्दों पर विशेषतः कोई कारण नहीं बताया।

### 5.8.3 सीआईटीज़ द्वारा धारा 245डी(3) के तहत रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण

आयोग उस आवेदन जिसे धारा 245डी(2सी) के तहत अवैध घोषित आवेदन या ऐसा आवेदन जिसे धारा 245डी(2डी) के तहत आगे कार्यवाही हेतु अनुमत किया गया हो, के संबंध में सीआईटी से रिकार्ड माँग सकता है और ऐसे रिकार्ड की जाँच के पश्चात् आवेदन में शामिल मामले तथा इस मामले से जुड़े किसी अन्य मामले पर सीआईटी से रिपोर्ट माँग सकता है और सीआईटी को धारा 245डी(3) के अंतर्गत आयोग से इसकी प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट देना होगा।

हमने नौ मामलों<sup>38</sup> में धारा 245डी(3) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की निर्धारित 90 दिनों की तिथि से नौ से 261 दिनों बाद तक की देरी देखी। 36 मामलों<sup>39</sup> में आयोग द्वारा माँगी गई रिपोर्ट की तिथि और/अथवा सीआईटी द्वारा भेजी गई तिथि नहीं बताई गई, इसलिए हम देरी सुनिश्चित नहीं कर सकते।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि आयोग द्वारा माँगी गई रिपोर्ट निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करने के लिए सभी सीसीएसआईटी (सीसीए) एवं (केंद्रीय)/डीजीज़ आईटी(अं) को निर्देश जारी किए हैं और उनके द्वारा किसी स्थगन की माँग नहीं की जाएगी। हालांकि, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए मुद्दों पर विशेषतः कोई कारण नहीं बताया।

37 बिहार (4), छत्तीसगढ़ (2), झारखंड (2), पंजाब (6), उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड (36)

38 हरियाणा (2), केरल (1), ओडिशा (1) और पश्चिम बंगाल (5)

39 आंध्र प्रदेश (2), छत्तीसगढ़ (10), ओडिशा (5), राजस्थान (1) और तमिलनाडु (18)



#### 5.8.4 समझौता आयोग (प्रक्रिया) संशोधन नियमावली, 2010 के नियम 9 के तहत रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण

आयोग (प्रक्रिया) संशोधन नियमावली, 2010 के नियम 9 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण अनुबंधों और विवरण में निहित सूचना पर रिपोर्ट माँगेगा और आयोग से ऐसी माँग की प्राप्ति से 45 दिनों के भीतर सीआईटी से सात प्रतियों में ऐसे अनुबंधों वाले अन्य दस्तावेज आयोग को देने होंगे।

हमने 148 मामलों<sup>40</sup> में उपरोक्त नियम के तहत रिपोर्ट भेजने में 10 दिनों से 2,741 दिनों का विलम्ब देखा। इसके अलावा 19 मामलों<sup>41</sup> में आयोग द्वारा सीआईटी से रिपोर्ट माँगे जाने की तिथि और/या सीआईटी द्वारा रिपोर्ट भेजने की तिथि न बताए जाने के कारण हम विलम्ब सुनिश्चित नहीं कर पाये।

*मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि आयोग द्वारा माँगी गई रिपोर्ट निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करने के लिए सभी सीसीएसआईटी (सीसीए) एवं (केंद्रीय)/डीजीज़ आईटी(अं) को निर्देश जारी किए हैं और उनके द्वारा किसी स्थगन की माँग नहीं की जाएगी। हालांकि, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए मुद्दों पर विशेषतः कोई कारण नहीं बताया।*

#### 5.8.5 आयोग के आदेश लागू करते समय आंकड़े अपनाना

आयोग अपने आदेश की तिथि से छः महीनों की अवधि के भीतर किसी भी समय धारा 245(6बी) के तहत अपने द्वारा पारित किसी भी आदेश में संशोधन कर सकता है, यदि रिकार्ड में कोई त्रुटि प्रतीत हो। एओ को आयोग द्वारा निर्धारित कुल आय के सही आंकड़े अपनाने चाहिए तथा मौजूदा नियम के अनुसार कर की गणना, इस पर ब्याज तथा प्रतिदाय लगाना चाहिए।

आठ मामलों<sup>42</sup> में हमने आयोग का आदेश लागू करते समय गलत आंकड़े अपनाना, गलत हानि तय करने आदि के कारण कर की गणना में त्रुटियाँ देखी (बाक्स 2 देखें)।

40 आंध्र प्रदेश (1), बिहार (15), छत्तीसगढ़ (9), गुजरात (22), झारखंड (2), केरल (2), ओडिशा (5), पंजाब (15), राजस्थान (3), तमिलनाडु (12), उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड (29) और पश्चिम बंगाल (33)

41 छत्तीसगढ़ (4) और तमिलनाडु (15)

42 आंध्र प्रदेश (1), दिल्ली (1), झारखंड (1), केरल (2) और पश्चिम बंगाल (2)

**बॉक्स सं. 2: आंकड़े लेने में त्रुटियाँ बताने वाले निदर्शी मामले**

क. दिल्ली, सीआईटी केंद्रीय II प्रभार में, आयोग द्वारा धारा 245डी(4) के तहत ब्लाक अवधि 2004-05 से 2010-11 हेतु रेहेजा डेवलपर्स लिमिटेड (पैन-AAACR0468E) की आय का निपटान करके अपने द्वारा पारित आदेश (फरवरी 2013) के अनुसार ₹ 117.98 करोड़ कर दिया गया था। आयोग ने धारा 80आईबी के तहत ₹ 14.67 करोड़ की कटौती अनुमत नहीं की लेकिन इसे वापस नहीं जोड़ा। एओ को आयोग के आदेश में मिली कमियों को सुधारने के लिए आयोग से संपर्क करना चाहिए था। इसके विपरीत एओ ने धारा 80आईबी के तहत ₹ 7.18 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 14.67 करोड़ की कम उगाही अनुमत करते हुए आदेश लागू कर दिया।

ख. आंध्रप्रदेश सीआईटी, हैदराबाद प्रभार में एरीगोल्ड फार्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पैन-AADCA9678C) ने नि.व. 2009-10 में नि.व. 2008-09 से संबंधित ₹ 5.88 करोड़ की हानि बताते हुए शून्य आय दाखिल किया। दिनांक 5 जून 2012 के सुधार आदेश के साथ पठित नि.व. 2008-09 से संबंधित विवरण से पता चला कि आयोग के समक्ष निर्धारिती द्वारा ₹ 14.07 करोड़ की अतिरिक्त आय स्वीकार करने के पश्चात ₹ 10.38 करोड़ की हानि ₹ 3.69 करोड़ के लाभ में तब्दील हो गयी थी। इस प्रकार नि.व. 2009-10 में कोई हानि नहीं हुई थी। निर्धारित हानि ₹ 5.88 करोड़ की त्रुटि में ₹ 2.61 करोड़ ब्याज सहित कर प्रभाव निहित था।

**5.8.6 धारा 245डी(6ए) के तहत माँग का भुगतान**

यदि एक आवेदक निर्धारिती धारा 245डी(4) के तहत आदेश के अनुपालन में धारा 245डी(6ए) के अंतर्गत उसके द्वारा आदेश की प्रति प्राप्त करने के 35 दिनों के भीतर कर का भुगतान करने में विफल रहता है, वह ऐसे 35 दिनों की समाप्ति की तिथि से बाकी देय राशि पर प्रत्येक माह अथवा बचे हुए माह के लिए सवा एक प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज अदा करेगा।

नौ मामलों<sup>43</sup> में हमने देखा कि आयोग के आदेश जारी करने की तिथि से एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी माँग की गई राशि नहीं वसूली गयी थी (बाक्स 3 देखें)।

**बॉक्स सं. 3: कर माँग के भुगतान में देरी वाले निदर्शी मामले**

क. आंध्रप्रदेश, सीआईटी केंद्रीय, हैदराबाद (एसीआईटी, डीसी-3(1), हैदराबाद) प्रभार में राधा रियल्टी कारपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पैन-AACCR1230Q) के मामले में नि.व. 2008.09 और 2009-10 के लिए 20 फरवरी 2012 को एओ द्वारा परिणामी आदेश पारित किया गया था और माँग का पाँच तिमाही किश्तों में भुगतान किया जाना था, अंतिम किश्त 15 मार्च 2013 को होनी थी। जिसमें से ₹ 21.52 करोड़ की माँग अंतिम किश्त से 17 महीने बीत जाने के बाद भी लंबित थी (अगस्त 2014) जिस पर अगस्त 2014 तक ₹ 8.07 करोड़ का ब्याज बनता है।

43 आंध्र प्रदेश (1), छत्तीसगढ़ (6) और झारखंड (2)

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारिती ने माँग का नियमित भुगतान नहीं किया है।

**ख.** झारखण्ड में, पवन कुमार (पैन-ADPPK3529E) के मामले में आयोग द्वारा 28 जून 2013 को आदेश जारी करने की तिथि से एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी नि.व. 2010-11 और 2011-12 से संबंधित ₹ 1.34 करोड़ की माँग लंबित थी।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारिती ने केवल ₹ 8.00 लाख का भुगतान किया और आयोग द्वारा अतिरिक्त निर्धारण के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल कर दिया।

### 5.8.7 ब्याज की उगाही

जहां धारा 245डी की उपधारा (4) के तहत आदेश के अनुपालन में निर्धारिती द्वारा देय कर का भुगतान आदेश की प्रति प्राप्त होने से 35 दिनों के भीतर नहीं किया जाता तब आयोग ने चाहे ऐसे कर के भुगतान का समय बढ़ाया हो अथवा नहीं या किश्तों में इसके भुगतान की अनुमति दी हो तो निर्धारिती को 35 दिनों की अवधि समाप्त होने की तिथि से बाकी देय राशि पर प्रतिमाह अथवा बाकी माह के लिए सवा एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान होगा। इसके अलावा, यह न्यायिक निर्णय<sup>44</sup> दिया गया कि धारा 245सी और 245डी के तहत आयोग द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया और कुछ नहीं बल्कि कुल आय की गणना या निर्धारण करना है जो धारा 234ए से 234डी के तहत नियमित निर्धारण, स्व-निर्धारण और ब्याज की गणना और उगाही से संबंधित प्रावधानों को लागू करते हुए धारा 245डी(1) के स्तर पर किया जाता है।

31 मामलों<sup>45</sup> में हमने देखा कि उपरोक्त प्रावधान/न्यायिक निर्णय का पालन न करने के कारण ₹ 11.75 करोड़ ब्याज की कम उगाही हुई (बाक्स 4 देखें)।

#### बाक्स 4: धारा 245डी(6ए)/234बी के तहत ब्याज की कम/गैर उगाही पर निदर्शी मामले

**क.** आंध्र प्रदेश, सीआईटी-केंद्रीय हैदराबाद प्रभार में, महेश्वरी ब्रदर्स, (पैन-AAGFM0335E) के मामले में निर्धारण वर्ष 2005-06 से 2009-10 के लिए आयोग का आदेश लागू करते समय धारा 234बी के तहत ₹ 2.11 करोड़ की कम उगाही हुई।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि आपत्ति, प्रथम दृष्टया स्वीकार्य है और धारा 154 के तहत नोटिस जारी करके सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

44 बृजलाल एवं अन्य बनाम सीआईटी (328 आईटीआर 477-एससी)

45 आंध्र प्रदेश (6), दिल्ली (2), गुजरात (4), मध्य प्रदेश (1), महाराष्ट्र (1), ओडिशा (2), राजस्थान (1), तमिलनाडु (12) और पश्चिम बंगाल (2)

### 5.8.8 जुर्माना लगाया जाना, जहां जुर्माना वापसी से छूट प्राप्त था

धारा 245एच(1) के तहत छूट प्राप्त व्यक्ति को धारा 245एच(1ए) के तहत वापसी करनी होगी यदि ऐसा व्यक्ति धारा 245डी(4) के तहत पारित निपटान आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी राशि को इस आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर अथवा ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जमा करने में विफल रहता है जो आयोग द्वारा अनुमत हो, अथवा किसी अन्य शर्त को पूरा करने में जिस पर छूट दी गई थी और तब इस अधिनियम के वे प्रावधान लागू होंगे जो छूट न देने की स्थिति में लागू होते। धारा 245डी(4) के तहत आदेश के अनुपालन में विनिर्दिष्ट समय के भीतर आयोग द्वारा निर्देशित कर और ब्याज की भुगतान करने में निर्धारिती द्वारा चूक की स्थिति में, आईटीडी को छिपाव वाली आय के लिए धारा 271(1)(सी) के तहत जुर्माना लगाना चाहिए।

18 मामलों<sup>46</sup> में हमने देखा कि जुर्माने से छूट वापस ले लिया गया था लेकिन एओ ने ₹ 11.92 करोड़ के जुर्माने की वसूली नहीं की (बाक्स 5 देखें)।

#### बाँक्स सं. 5: जुर्माना लगाने में विफलता दर्शाने वाले निदर्शी मामले

क. प. बंगाल, सीआईटी XVI कोलकाता प्रभार में **पंकज झा (पैन-AIOPJ5236D)** के मामले में नि.व. 2008-09 से 2010-11 के लिए ₹ 1.98 करोड़ की कुल माँग करते हुए आयोग का आदेश लागू किया गया था (फरवरी 2012)। निपटान की शर्तों के अनुसार, आवेदक निर्धारिती को तीन बराबर तिमाही किस्तों में कर और ब्याज का भुगतान करने की अनुमति थी। निर्धारिती द्वारा भुगतान नहीं किए गए ₹ 28.0 लाख और ₹ 23.74 लाख बैंक जब्ती द्वारा वसूल किया गया। इस प्रकार निर्धारिती ने स्पष्ट रूप से निपटान की शर्तों का उल्लंघन किया था, जिसके लिए ₹ 5.62 करोड़ (खुलासा की गई राशि और आयोग द्वारा जोड़ने के बाद राशि) की छिपाव वाली आय हेतु उसके विरुद्ध धारा 271(1)(सी) के तहत जुर्माना लगाया जाना था। जुर्माना न लगाए जाने के परिणामस्वरूप कम से कम ₹ 1.69 करोड़ के जुर्माने की गैर-वसूली हुई।

*मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि धारा 221 के तहत जुर्माना कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।*

ख. प. बंगाल सीआईटी केंद्रीय II, कोलकाता प्रभार में **बेगराज अग्रवाल मित्तल (पैन-AUFPA7697C)** के मामले में निर्धारण वर्ष 2004-05 से 2011-12 के लिए ₹ 79.80 लाख की कुल माँग करते हुए आयोग के आदेश को लागू किया गया था (अप्रैल 2012)। निपटान की शर्तों के अनुसार आवेदक निर्धारिती को दो बराबर मासिक किस्तों में कर और ब्याज का भुगतान अनुमत किया गया था। निर्धारिती ने निर्देशित माँग का भुगतान नहीं किया और यह निपटान की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन था जिससे ₹ 8.16 करोड़ की छिपाव वाली आय (आयोग के समक्ष खुलासा की गई तथा आयोग द्वारा जोड़ी गई आय) के प्रति कम से कम ₹ 2.45 करोड़ का जुर्माना बनता है लेकिन जुर्माना नहीं लगाया गया।

*मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि आपत्ति स्वीकार्य है और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई दिसम्बर 2014 में ही कर दी गयी है।*

46 महाराष्ट्र (7), तमिलनाडु (8) और पश्चिम बंगाल (2)

ग.. महाराष्ट्र, सीआईटी (केंद्रीय) I, मुंबई में श्री वेंकटेश ट्रेडर्स एण्ड एजेंसीज़ प्राइवेट लिमिटेड, (पैन-AAECS2811G) के मामले में 01 अप्रैल 1989 से 08 फरवरी 2000 की ब्लाक अवधि हेतु आयोग ने जुर्माने और अभियोग से इस शर्त के साथ छूट दी थी (नवम्बर 2012) कि निर्धारिती छः मासिक किस्तों में निर्धारित कर का भुगतान करेगा। जबकि निर्धारिती ने छः मासिक किस्तों में माँग का भुगतान नहीं किया। अतः दी गई छूट को वापस मान लिया जाना चाहिए। हालांकि कर के समतुल्य ₹ 1.08 करोड़ के न्यूनतम जुर्माने की वसूली हेतु कार्यवाही नहीं की गई।

#### 5.8.9 आयोग के समक्ष मामलों के संबंध में सीसीआईटी (सीसीए) को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा सीआईटी (विभागीय प्रतिनिधि) का कार्य

आयोग की सीआईटी (विभागीय प्रतिनिधि) आईटीडी के मामलों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। आयोग के समक्ष प्रस्तुत मामलों पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सीबीडीटी ने सीआईटी(डीआर) को आयोग के समक्ष लंबित मामलों और सीआई(डीआर) के संबंध में अगस्त 2013 से शुरू होने वाले प्रत्येक माह की 5<sup>वीं</sup> तारीख तक संबंधित सदस्य (जाँच) की एक प्रति सहित सीसीआईटी(सीसीए) को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। हमने रिपोर्ट प्रस्तुत करने में निम्नलिखित अनियमिततायें देखी (बॉक्स 6 देखें)।

#### बॉक्स सं. 6: आयोग के समक्ष लंबित मामलों और सीआईटी (डीआर) के कार्य के संबंध में सीसीआईटी (सीसीए) को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर निदर्शी मामले

क. उत्तर प्रदेश कानपुर, में सीसीआईटी (सीसीए) द्वारा सीआईटी (डीआर) से अगस्त 2013 से कोई मासिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, जो आदेश की अवहेलना है। इसके अतिरिक्त, सीसीआईटी (सीसीए), लखनऊ द्वारा इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई (जुलाई 2014)।

ख. कोलकाता में, कोलकाता बेंच को सीआईटी (डीआर) ने मासिक रिपोर्ट से संबंधित कोई सूचना नहीं दी। सीआईटी(डीआर) द्वारा किसी रिकार्ड/उत्तर के अभाव में उनके स्तर पर निपटान वाले मामलों की समुचित मॉनिटरिंग नहीं की जा सकी।

ग. मुंबई में, सीआईटी(डीआर) ने दाखिल आवेदनों, स्वीकृत आवेदनों, लंबित मामलों, सुनवाई हेतु आने वाले मामलों, निपटाए गए मामलों/आदेशों आदि से संबंधित डाटा नहीं बनाया।

#### 5.8.10 मासिक तकनीकी रिपोर्ट (सीएपी I/II) में आयोग के पास निपटाए गए/लंबित मामलों का विवरण

विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त मासिक रिपोर्ट आईटीडी के विभिन्न खंडों का कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने में सीबीडीटी और सरकार के लिए सूचना का मुख्य स्रोत है। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत निष्पादन सूचकों पर मासिक तकनीकी रिपोर्ट (सीएपी I/II) में आयोग द्वारा निपटाए गए/लंबित मामलों से संबंधित कोई कॉलम नहीं था और इस प्रकार इसे उच्च प्राधिकारियों को नहीं बताया गया। इसके अतिरिक्त, आईटीडी में ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे आयोग के आदेशों के अनुपालन में आवेदन दाखिलों का उनके निपटान तक मामलों की हर स्तर पर निगरानी की जा सके।

*मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि आयोग के समक्ष लंबित मामलों की संख्या और उनके निपटान का विवरण सीएपी-I अथवा सीएपी-II रिपोर्ट में नहीं दर्शाया जाता। हालांकि ऐसे मामलों को सीएपी-I और सीएपी-II रिपोर्ट में शामिल करने संबंधी कोई दिशा-निर्देश जारी किए जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।*

#### 5.9 निष्कर्ष

अधिनियम में आवेदनों के दाखिले से लेकर आयोग द्वारा उनके निपटान तक के विभिन्न चरणों और आईटीडी द्वारा इनके आदेशों के पालन हेतु समय-सीमा निर्धारित है। हमने आयोग और आईटीडी की तरफ से विभिन्न स्तरों पर अत्यधिक देरी देखी। यहाँ तक कि 01 जून 2007 से पूर्व दाखिल किए गए आवेदन अभी भी निपटान हेतु आयोग के पास लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, आईटीडी ने आयोग को वांछित रिपोर्ट भेजने और आयोग के आदेशों को लागू करने में बहुत अधिक समय लिया। पैराग्राफ 5.5 में उल्लिखित बाधाओं के कारण, निष्कर्ष आयोग द्वारा दी गई सीमित सूचना/आँकड़ों और आईटीडी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों पर आधारित है।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि संसाधनों की कमी को देखते हुए आयोग ने मामलों का जल्दी से जल्दी निपटाने का हरसंभव प्रयास किया है।

सीमित लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के आधार पर हमारा सुझाव है कि आयोग की कार्यप्रणाली और आईटीडी द्वारा इसके आदेशों के अनुपालन में सुधार की आवश्यकता है।

नई दिल्ली  
दिनांक: 2 मार्च 2015



(मनीष कुमार)  
प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 2 मार्च 2015



(शशि कान्त शर्मा)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

**परिशिष्ट - 1 (संदर्भ: पैराग्राफ 1.2.2)**

**कर प्रशासन का विवरण**

					(₹ करोड़)
<b>1. संग्रहण<sup>47</sup></b>	<b>2009-10</b>	<b>2010-11</b>	<b>2011-12</b>	<b>2012-13</b>	<b>2013-14</b>
i) निगम कर	2,44,725	2,98,688	3,22,816	3,56,326	3,94,678
ii) आयकर	1,22,417	1,39,102	1,64,525	1,96,843	2,37,870
iii) अन्य प्रत्यक्ष कर	10,452	8,205	6,646	5,820	6,048
iv) कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण	3,77,594	4,45,995	4,93,987	5,58,989	6,38,596
<b>2. निर्धारिती प्रोफाईल<sup>48</sup></b>	<b>(आंकड़े लाख में)</b>				
i) गैर-निगम निर्धारिती	337.2	332.0	357.61	367.87	463.57
ii) निगम निर्धारिती	3.7	3.8	5.85	5.90	6.75
<b>कुल निर्धारिती</b>	<b>340.9</b>	<b>335.8</b>	<b>363.46</b>	<b>373.77</b>	<b>470.32</b>
<b>3. संग्रहण के स्तर<sup>49</sup></b>					
<b>क. पूर्व निर्धारण संग्रहण</b>					<b>(₹ करोड़)</b>
i) स्रोत पर कर कटौती	1,45,736	1,68,669	1,98,680	2,10,654	2,48,547
ii) अग्रिम कर	1,73,417	2,12,538	2,51,526	2,75,794	2,92,522
iii) स्व-निर्धारण कर	32,507	36,887	27,648	39,470	44,123
<b>कुल पूर्व निर्धारण संग्रहण</b>	<b>3,51,660</b>	<b>4,18,094</b>	<b>4,77,853</b>	<b>5,25,918</b>	<b>5,85,192</b>
<b>ख. पश्च-निर्धारण संग्रहण</b>					
i) नियमित निर्धारण	33,274	51,838	51,512	62,418	72,528
ii) अन्य प्राप्तियों <sup>50</sup>	39,779	43,966	50,134	48,596	63,884
<b>कुल पश्च- निर्धारण संग्रहण</b>	<b>73,053</b>	<b>95,804</b>	<b>1,01,646</b>	<b>1,11,014</b>	<b>1,36,412</b>
निवल संग्रहण की प्रतिशतता के रूप में पूर्व निर्धारण संग्रहण	82.8	81.4	82.5	82.6	81.1
<b>4. निर्धारणों की स्थिति<sup>48</sup></b>					<b>(संख्या)</b>
i) निपटान हेतु बकाया संवीक्षा निर्धारण	8,70,620	8,47,196	7,74,807	5,93,761	6,98,652
ii) निपटाये गये संवीक्षा निर्धारण (प्रतिशत)	4,29,585 (49.3)	4,55,213 (53.7)	3,69,320 (47.67)	3,08,398 (51.94)	2,84,750 (40.76)
iii) प्रक्रिया के लिए बकाया गैर-संवीक्षा निर्धारण	5,12,97,750	5,22,76,829	3,92,32,628	2,90,37,299	2,68,22,541
iv) संसाधित गैर-संवीक्षा निर्धारण (प्रतिशत)	2,78,16,036 (54.2)	3,06,36,718 (58.6)	2,77,21,088 (70.66)	1,70,47,634 (58.71)	1,75,37,405 (65.38)
v) निर्धारण कार्य हेतु तैनात अधिकारियों की संख्या <sup>48</sup>	3,106	3,687	3,737	3,657	4,033

<sup>47</sup> स्रोत: संबंधित वर्ष के केन्द्रीय वित्तीय लेखे।

<sup>48</sup> स्रोत: महानिदेशक, आयकर (लॉजिसिस्टिक्स), अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

<sup>49</sup> स्रोत: कर संग्रहण आंकड़े-प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी, नई दिल्ली

<sup>50</sup> अन्य प्राप्तियों के आंकड़ों में अधिभार और उपकर शामिल हैं।



2015 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

5. प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले <sup>51</sup>	(आंकड़े लाख में)				
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
i) निपटान हेतु बकाया दावे	48.0	59.9	52.83	38.84	34.53
ii) निपटाए गए दावे (प्रतिशत)	28.6 (59.6)	40.4 (67.4)	40.33 (76.3)	27.65 (71.2)	25.76 (74.6)
iii) लंबित दावों की संख्या	19.4	19.5	12.50	11.2	8.77
<b>6. प्रतिदाय और प्रतिदायों पर ब्याज</b>	<b>(₹ करोड़)</b>				
i) प्रतिदाय <sup>52</sup>	<b>57,101</b>	<b>75,169</b>	<b>93,814</b>	<b>83,766</b>	<b>89,060</b>
ii) प्रतिदायों पर ब्याज <sup>51</sup>	6,876	10,499	6,486	6,666	6,598
iii) प्रतिदायों की प्रतिशत के रूप में ब्याज	12.0	13.9	6.9	8.0	11.2
<b>7. संग्रहण की दक्षता<sup>53</sup></b>	<b>(₹ करोड़)</b>				
i) पूर्व वर्ष के लंबित संग्रहण की मांग	1,81,612	2,02,859	2,65,040	4,09,456	4,80,065
ii) चालू वर्ष के लंबित संग्रहण की मांग	47,420	88,770	1,43,378	76,724	95,274
<b>कुल लंबित मांग</b>	<b>2,29,032</b>	<b>2,91,629</b>	<b>4,08,418</b>	<b>4,86,180</b>	<b>5,75,340</b>
<b>8. सीआईटी (ए) स्तरों<sup>51</sup> पर अपीलों की स्थिति</b>	<b>(संख्या)</b>				
i) निपटान हेतु लंबित अपीलें	2,60,700	2,57,656	3,06,134	2,84,439	3,02,944
ii) निपटायी गई अपीलें (प्रतिशत)	79,709 (30.6)	70,474 (27.4)	75,518 (24.67)	85,049 (29.90)	87,770 (28.97)
iii) लंबित अपीलें	1,80,991	1,87,182	2,30,616	1,99,390	2,15,174
iv) अपीलों में अवरूद्ध राशि	2,20,148	1,98,088	2,42,182	2,59,556	2,87,443
<b>9. कर वसूली अधिकारी<sup>51</sup></b>	<b>(₹ करोड़)</b>				
i) कुल प्रमाणित मांग	98,444.6	1,11,065.4	1,23,288.08	1,60,582.32	2,27,950.21
ii) वसूली गई प्रमाणित मांग (प्रतिशत)	3,322.3 (3.4)	4,074.6 (3.7)	9,756.39 (7.91)	6,764.65 (4.21)	6,703.02 (2.94)
iii) लंबित प्रमाणित मांग (प्रतिशत)	95,122.4 (96.6)	1,06,990.8 (96.3)	1,13,531.7 (92.09)	1,53,817.7 (95.79)	2,21,247.2 (97.06)
<b>10. संग्रहण की कुल लागत<sup>52</sup></b>	<b>(₹ करोड़)</b>				
संग्रहण की कुल लागत	2,774	2,698	2,976	3,284	3,642

<sup>51</sup> स्रोत: महानिदेशक, आयकर (लाजिस्टिक्स), शोध एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

<sup>52</sup> स्रोत: कर संग्रहण आंकड़े-प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी, नई दिल्ली

<sup>53</sup> स्रोत: मार्च 2013 माह के विश्लेषण सहित सीएपी-1 मांग एवं संग्रहण विवरण

## परिशिष्ट 2.1 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.5.2)

राज्य	वर्ष 2012-13 के दौरान पूर्ण किए गए निर्धारण	वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारण	त्रुटियों वाले निर्धारण	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल राजस्व प्रभाव (₹ करोड़ में)	त्रुटियों वाले निर्धारणों की प्रतिशतता (कॉ. 4/ कॉ. 3x100)
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	17,452	12,543	1,377	940.78	10.98
असम	2,053	2,047	182	137.94	8.89
बिहार	1,941	1,900	341	32.74	17.95
छत्तीसगढ़	951	941	43	196.18	4.57
गोवा	1,267	1,267	98	20.08	7.73
गुजरात	14,419	13,977	1,471	414.10	10.52
हरियाणा	5,267	5,132	552	205.53	10.76
हिमाचल प्रदेश	1,884	1,478	252	9.40	17.05
जम्मू एवं कश्मीर	1,122	838	16	17.33	1.91
झारखण्ड	4,149	2,654	174	82.75	6.56
कर्नाटक	10,910	10,652	825	951.04	7.75
केरल	4,773	4,509	562	257.65	12.46
मध्य प्रदेश	5,305	5,198	231	62.02	4.44
ओडिशा	4,177	3,792	489	606.62	12.90
पंजाब	3,928	3,669	315	24.87	8.59
यूटी चंडीगढ़	4,612	3,824	190	88.74	4.97
राजस्थान	7,884	7,597	869	305.44	11.44
तमिलनाडु	20,456	18,731	2,631	3,462.83	14.05
उत्तर प्रदेश	11,800	11,454	960	720.02	8.38
उत्तराखंड	1,792	1,725	95	18.34	5.51
दिल्ली	45,519	23,634	1,330	12,868.81	5.63
महाराष्ट्र	29,685	29,176	1,509	759.61	5.17
पश्चिम बंगाल	11,783	10,270	2,341	2,643.49	22.79
<b>जोड़</b>	<b>2,13,129</b>	<b>1,77,008</b>	<b>16,853</b>	<b>24,826.31</b>	<b>9.52</b>

**परिशिष्ट 2.2 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.5.4 देखें)**

<b>स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए आय कर और निगम कर से संबंधित अवनिर्धारणों का श्रेणीवार विवरण</b>		
<b>उप श्रेणी</b>	<b>मामले</b>	<b>कर प्रभाव (₹ करोड़ में)</b>
<b>क. निर्धारणों की गुणवत्ता</b>	<b>4,161</b>	<b>2,726.00</b>
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	1,754	1,633.10
ख. कर, अधिभार इत्यादि की गलत दर लगाना	386	95.08
ग. विवरणियों की प्रस्तुती, कर के भुगतान में विलम्ब के लिए ब्याज/शास्ति नहीं/कम लगाना	1,815	785.47
घ. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज	161	170.71
ङ. अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारणों में त्रुटियाँ	45	41.64
<b>ख. रियायतों/छूटों/कटौतियों का कर प्रशासन</b>	<b>6,943</b>	<b>7,897.85</b>
क. निगमों को दी गई अनियमित छूटों/ कटौतियाँ/राहतें	520	892.42
ख. ट्रस्टों/फर्मों/सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूटों/कटौतियाँ/राहतें	540	289.33
ग. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूटों/ कटौतियों/राहतें	332	177.25
घ. कारोबारी व्यय की गलत अनुमति	4,197	4,174.01
ङ. मूल्यहास/कारोबारी हानियाँ/पूजीगत हानियाँ अनुमत करने में अनियमितताएं	1,336	2,358.90
च. डीटीएटी राहत की गलत अनुमति	18	5.94
<b>ग. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटी आय</b>	<b>1,838</b>	<b>1,183.68</b>
क. मेट/टनेज कर इत्यादि सहित विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत	85	56.37
ख. अस्पष्ट निवेश/नकद क्रेडिट इत्यादि	425	308.21
ग. पूजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	353	200.87
घ. आर्म लैन्थ मूल्य का गलत आंकलन	10	6.78
ङ. पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे की आय को मिलाने में चूक	75	30.78
च. गृह सम्पत्ति से आय की गलत गणना	152	32.89
छ. वेतन आय की अशुद्ध गणना	69	43.96
ज. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में त्रुटियाँ	669	503.82
<b>घ. अन्य</b>	<b>5,106</b>	<b>3,189.35</b>
<b>जोड़</b>	<b>18,048</b>	<b>14,996.88</b>

**परिशिष्ट 2.3 (पैराग्राफ 2.5.5, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1 का संदर्भ)**

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रकार	निर्धारित नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
<b>निर्धारणों की गुणवत्ता आयकर और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियां</b>						
1	8-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-III चेन्नै	जाइलॉग सिस्टम्स लिमिटेड	2007-08	1157.03
2	82-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-I, कोयमबटूर	सुपर सेल्स इंडिया लिमिटेड	2010-11	91.77
3	80-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-III, चेन्नै	डू वैल्यू होम्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	2010-11	54.94
4	79-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-मैसूर	आरपीजी केबल्स लिमिटेड	2010-11	428.0
5	75-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-V, चेन्नै	सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	2006-07	188.95
6	71-सीटी	हरियाणा	सीआईटी- पंचकुला	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2007-08	301.72
7	69-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-II, हैदराबाद	ट्रोसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड	2008-09	4153.19
8	65-सीटी	केरल	सीआईटी-त्रिशुर	द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	2003-04	86.36
9	56-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I, इंटरनेशनल टेक्सेशन	द इंडियन फिल्म कंपनी (साइप्रस) लिमिटेड	2010-11	602.54
10	4-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-III, चेन्नै	टेलीडेटा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड	2010-11	85.97
11	48-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-X, मुंबई	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	599.55
12	46-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-XI, मुंबई	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2006-07	198.07
13	45-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-XI, मुंबई	जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड	2007-08	73.07
14	3-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी- III चेन्नै	टेलीडेटा मरीन सॉल्यूशंस लिमिटेड	2009-10	2929.37
15	37-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-III मुंबई	डोमबेल इलेक्ट्रॉनिक्स (इंडिया) लिमिटेड	2009-10	203.74
16	324-सीटी	राजस्थान	सीआईटी जयपुर II	ऑटोलाइट (इंडिया) लिमिटेड	2010-11	897.75

2015 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
17	316-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी सेन्ट्रल-II, चेन्नै	मदर मीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2009-10	52.1
18	305-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-V	पारसरामपुरिया सिंथेटिक्स लिमिटेड	2007-08	67.32
19	303-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-V	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	2007-08	85.74
20	301-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-II	मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड	2007-08	116.78
21	2-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-III, चेन्नै	टेक्नोलॉजी फ्रंटियर्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	2010-11	140.28
22	295-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I, सूरत	आस्था गोट फार्मिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड	2010-11	127.42
23	286-सीटी	पंजाब	सीआईटी-लुधियाना	बी. के. डुप्लेक्स बोर्ड लिमिटेड	2007-08	58.15
24	282-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-II, हैदराबाद	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2006-07	218.52
25	273-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-I, कोलकाता	मारसन्स लिमिटेड	2008-09	288.7
26	271-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-IV	हिंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2010-11	57.23
27	24-सीटी	असम	सीआईटी-II गुवाहाटी	सत्यम इस्पात (एनई) लिमिटेड	2007-08	389.72
28	225-सीटी	हरियाणा	सीआईटी हिसार	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2008-09	2429.51
29	220-सीटी	दिल्ली	सीआईटी सेन्ट्रल-II	तिरुपति विल्डिंग एंड प्रा. लिमिटेड	2011-12	138.55
30	215-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VII, मुंबई	जी न्यूज लिमिटेड	2007-08	51.36
31	212-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I इंटरनेशनल टेक्सेशन	शोवा कॉरपोरेशन	2008-09	168.63
32	1-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-V, चेन्नै	रिषभ इन्फो पार्क प्रा. लिमिटेड	2007-08 & 2008-09	131.67
33	199-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुंबई	रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2009-10	4754.25
34	189-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-IV, पुणे	वीकफील्ड प्रोडक्ट्स कंपनी इंडिया प्रा. लिमिटेड	2007-08	79.07

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
35	167-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुंबई	महिंद्रा नेवीस्टार ऑटोमोबाइल लिमिटेड	2008-09	901.81
36	146-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-XI, मुंबई	कॉम्पैक्ट डिस्क इंडिया लिमिटेड	2010-11	124.81
37	142-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-V, पुणे	काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड	2009-10	70.42
38	140-सीटी	दिल्ली	सीआईटी सेन्ट्रल-I	डीडी रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	241.35
39	14-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-II इंटरनेशनल टेक्सेशन	रीजेंसी पार्क प्रोपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	2009-10	52.62
40	139-सीटी	दिल्ली	सीआईटी सेन्ट्रल-I	ग्लोबल हेरीटेज वेन्चर लिमिटेड	2010-11	80.54
41	133-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, पुणे	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2009-10	2533.55
42	12-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I इंटरनेशनल टेक्सेशन	गैलीलियो नीदरलैंड बी.वी.	2009-10	175.65
43	128-सीटी	दिल्ली	सीआईटी सेन्ट्रल-I	मोदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2008-09	98.91
44	118-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-IV, चेन्नै	मैकमिलन इंडिया लिमिटेड	2006-07	70.83
45	103-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-I बेंगलुरु	चेसलिंग टेक्सटाइल्स लिमिटेड	2011-12	953
46	100-सीटी	कर्नाटक	बेंगलुरु- सेन्ट्रल	डोमस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर {अब बोयंस इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लिमिटेड में मिला}	2010-11	98.81
<b>निर्धारणों की गुणवत्ता - ब्याज वसूलने में गलती</b>						
47	99-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-I, बेंगलुरु	सिटी स्क्वायर इंटरप्राइसेज (प्रा.) लिमिटेड	2006-07, to 08-09	70.86
48	73-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-एलटीयू, मुंबई	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड	2008-09	16176.7
49	60-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-IV	हरि स्टील्स और जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2005-06	85.19
50	58-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-I	बेस्ट सेलर यूनाइटेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	57.18

2015 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
51	32-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-II	जेसीबी इंडिया लिमिटेड	2007-08	173.41
52	289-सीटी	गुजरात	सीआईटी-IV, अहमदाबाद	सौम्या ज्वेलर्स प्रा. लिमिटेड	2009-10	167.82
53	284-सीटी	ओडीशा	सीआईटी-भुवनेश्वर	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	2009-10	331.64
54	272-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-III, कोलकाता	ईआईएच लिमिटेड	2003-04	53.06
55	255-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-एलटीयू, मुंबई	शैल टेक्नोलॉजी इंडिया प्रा. लिमिटेड	2008-09	236.86
56	233-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी सेन्ट्रल-III, कोलकाता	पश्चिम बंगाल इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2008-09	348.21
57	218-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-IV	डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमिटेड	2010-11	160.93
58	217-सीटी	दिल्ली	सीआईटी सेन्ट्रल-III	तिरुपति बिल्डिंग्स एंड ऑफिसज प्रा. लिमिटेड	2010-11	610.15
59	20-सीटी	गुजरात	सीआईटी-II अहमदाबाद	हीरक बायोटेक लिमिटेड	2007-08	181.15
60	190-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VI, मुंबई	क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड	2008-09	85.99
61	147-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, पुणे	बेनीसन फिनवेस्ट प्रा. लिमिटेड	2008-09	64.03
62	129-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-III	स्वेच ग्रुप (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	2008-09	267.43
63	127-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-III	सोजिट्ज इंडिया प्रा. लिमिटेड	2007-08	61.62
64	10-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-II इंटरनेशनल टेक्सेशन	स्टॉयट्रांसगेज	2008-09	126.98
65	106-सीटी	हरियाणा	सीआईटी, फरीदाबाद	कल्पना फैशनस लिमिटेड	2009-10	27.13
<b>निर्धारणों की गुणवत्ता - अधिक या अनियमित प्रतिदाय की वापसी/प्रतिदाय पर ब्याज</b>						
66	61-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-IV	जीई मनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	2008-09	89.3
67	52-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-एलटीयू, मुंबई	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2010-11	164.85
68	49-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II,	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	2010-11	730.33

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
			मुंबई			
69	31-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-1 इंटरनेशनल टेक्सेशन	एरिकसन रेडियो सिस्टम एबी	2004-05	95.43
70	300-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-1, एलटीयू	ऑरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2008-09	267.17
71	276-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-III, कोलकाता	दामोदर वैली कॉरपोरेशन	2010-11	609.36
72	269-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-1, नागपुर	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	2008-09	1060.98
73	252-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुंबई	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	2008-09	2395.16
74	226-सीटी	हरियाणा	सीआईटी पंचकुला	हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी	2007-08	99.28
75	216-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-1, मुंबई	हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2005-06	53.47
76	184-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुंबई	टाटा संस लिमिटेड	1989-90	259.25
77	182-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुंबई	टाटा स्टील	1985-86	2391.54
78	181-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुंबई	टाटा संस लिमिटेड	1986-87	290.84
79	180-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुंबई	देना बैंक लिमिटेड	2000-01	1567.29
80	179-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुंबई	टाटा संस लिमिटेड	1992-93	159.59
81	178-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुंबई	टाटा संस लिमिटेड	1994-95	361.65
82	177-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुंबई	टाटा संस लिमिटेड	1985-86	272.24
83	176-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुंबई	देना बैंक	1999- 2000	404.94
84	174-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुंबई	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	2005-06	783.5
85	121-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी- एलटीयू मुंबई	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड	2009-10	130.14



2015 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
86	11-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-1 इंटरनेशनल टेक्सेशन	इटेलियन थाई डेवलपमेंट पब्लिक कंपनी लिमिटेड	2006-07	53.13
<b>निर्धारणों की गुणवत्ता - कर की दरों और अधिभार आदि का गलत लगाना</b>						
87	54-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-सेन्ट्रल-1	पर्ल स्टूडियोज प्रा. लिमिटेड	2010-11	521.14
88	53-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-सेन्ट्रल-1	पिक्सियन मीडिया प्रा. लिमिटेड	2010-11	106.07
89	36-सीटी	दिल्ली	सीआईटी सेन्ट्रल-1	अमरज्योती व्यापार लिमिटेड	2010-11	166.62
90	34-सीटी	दिल्ली	सीआईटी सेन्ट्रल-1	पर्ल विजन प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	363.24
91	298-सीटी	पंजाब	सीआईटी-1, लुधियाना	वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड	2010-11	738.03
92	292-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-IV, पुणे	यू. बी. इंजीनियरिंग लिमिटेड	2005-06	80.98
93	264-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-सेन्ट्रल-III, कोलकाता	बासील इंटरनेशनल लिमिटेड	2011-12	304.23
94	18-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-1 इं. टेक्सेशन	ड्यूरालाइन इंटरनेशनल इंक	2009-10	121.1
<b>निर्धारणों की गुणवत्ता-अपीलीय आदेश को प्रभावी करते समय निर्धारण में त्रुटियाँ</b>						
95	72-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-1, मुंबई	बंबई गैस कंपनी लिमिटेड	2008-09	112.43
96	51-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुंबई	देना बैंक लिमिटेड	2001-02 & 2003-04	2059.53
97	47-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुंबई	इंडसइंड बैंक लिमिटेड	2006-07	182.71
98	307-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2009-10	313.66
99	293-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VIII, मुंबई	सीटेल इंडिया लिमिटेड	2007-08	269.33
100	291-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुंबई	महिंद्रा इंजीनियरिंग एंड केमिकल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	2000-01	60.68
101	29-सीटी	गुजरात	सीआईटी-1 अहमदाबाद	एशियटिक कलर केमिकल्स लिमिटेड	2008-09	115.53

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
102	268-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	2005-06	599.76
103	202-सीटी	गुजरात	सीआईटी-बड़ोदा	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल	2005-06	330.66
104	200-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VII, मुंबई	टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड	2001-02, 2002-03	61.76
105	173-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, मुंबई	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2006-07	57.69
106	131-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुंबई	भारतीय स्टेट बैंक	1995-96	689.8
<b>कर छूटों/रियायतों/कटौतियों का प्रशासन-मूल्यहास/करोबार घाटा/पूँजीगत घाटा करने में अनियमिततायें</b>						
107	97-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-I, बेंगलोर	एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड	2009-10	52.21
108	96-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-I, बेंगलोर	आई वैन मेडीकेयर प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	985
109	95-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-VI	तालब्रोस प्रा. लिमिटेड	2009-10	65.48
110	92-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-X, मुंबई	समीरा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड	2007-08	80.48
111	78-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-I, बेंगलोर	आईडीईबी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	2224
112	76-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-IV, पुणे	विडुल कार्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	367.16
113	68-सीटी	गोवा	सीआईटी-पणजी	गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	2010-11	69.25
114	64-सीटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-II, लखनऊ	यू पी. स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	2005-06	112
115	327-सीटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-II, कानपुर	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2009-10	1157.05
116	326-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-XII, कोलकाता	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट	2010-11	148.95
117	312-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-I, कोलकाता	जी. के. डब्ल्यू लिमिटेड	2009-10	925.91
118	311-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-असनसोल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	2008-09	645.45
119	308-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I, बड़ोदा	गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2007-08	135.18

2015 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
120	304-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-I	कन्टेनर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	2007-08	171.04
121	290-सीटी	गुजरात	सीआईटी गांधीनगर	क्रियेटिव इन्फोसिटी लिमिटेड	2006-07	209.83
122	280-सीटी	गुजरात	सीआईटी-IV, अहमदाबाद	साया अम्यूजमेंट मैन्युफेक्चरिंग लिमिटेड	2007-08	32.34
123	28-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I अहमदाबाद	आकार लेमीनेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	2007-08	103.08
124	278-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-V, चेन्नई	पैनासोनिक इण्डिया प्रा. लिमिटेड	2009-10	261.3
125	275-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-III, कोलकाता	मालकम इण्डिया लिमिटेड	2010-11	57.51
126	274-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी सेन्ट्रल-I, कोलकाता	रोज वैली चैन मार्केटिंग सिस्टम लिमिटेड	2011-12	93.23
127	262-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	एसोसिएटिड पिगमेन्ट्स लिमिटेड	2009-10	54.01
128	261-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-सेन्ट्रल-III, कोलकाता	श्री विनय फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	115.34
129	259-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-I, कोलकाता	वेस्टिंग हाउस साक्सबाई फार्मर लिमिटेड	2010-11	345.9
130	258-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-I, कोलकाता	ग्लोबसिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	2008-09	230.46
131	251-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-XI, मुंबई	महाराष्ट्र फिल्म स्टेज कलचरल डेवेलोपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	60.37
132	242-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-III, कोलकाता	टायर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	2009-10	1111.51
133	241-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	लोहिया सिक्यूरिटीज लिमिटेड	2010-11	60.69
134	238-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी सेन्ट्रल-III, कोलकाता	कार्पोरेट इस्पात एलासज़ लिमिटेड	2011-12	115.59
135	230-सीटी	पंजाब	सीआईटी-I, लुधियाना	आईओएल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2007-08	54.24

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
136	23-सीटी	असम	सीआईटी शिलांग, मेघालय	मेघालय एनर्जी कापोरेशन लिमिटेड	2008-09	1823.4
137	22-सीटी	गुजरात	सीआईटी-IV अहमदाबाद	ट्रांस टेक्नो फूड लिमिटेड	2007-08	100.08
138	219-सीटी	दिल्ली	सीआईटी सेन्ट्रल-II	सामग कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड	2009-10	94.12
139	213-सीटी	दिल्ली	सीआईटी सेन्ट्रल-I	फेलेक्स इन्टरप्राइजेज लिमिटेड	2011-12	103.69
140	205-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-II, हैदराबाद	ट्रांसपोर्ट कापोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	2006-07, 2007-08	418.51
141	198-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VI, मुंबई	मार्डन टेरी टॉवल्ज लिमिटेड	2006-07	314.94
142	191-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-II	लिविंग मीडिया इण्डिया लिमिटेड	2010-11	835.94
143	19-सीटी	गुजरात	सीआईटी-II अहमदाबाद	हिन्दुजा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	153.19
144	172-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-VI, चैन्नई	साईपेम इण्डिया प्रोजेक्ट लिमिटेड	2008-09	75.73
145	164-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I अहमदाबाद	अदानी विलमर लिमिटेड	2007-08	74.94
146	161-सीटी	गुजरात	सीआईटी-जामनगर	श्री दिग्विजय सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	2007-08	245.78
147	159-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-I, चैन्नई	बालाजी होटल्स एण्ड इन्टरप्राइजेस प्रा. लिमिटेड	2008-09	934.52
148	153-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-III, हैदराबाद	साँधी पालीस्टर लिमिटेड	2008-09	12910.7
149	15-सीटी	दिल्ली	डीआईटी II इन्, टैक्ससेन्स	शिनमायवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2009-10	198.24
150	143-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुंबई	केनरा बैंक सिन्डोरिटीज लिमिटेड	2008-09	287.48
151	135-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-III मुंबई	उष्मी इस्पात प्रा. लिमिटेड	2009-10	450.78
152	125-सीटी	ओडिशा	सीआईटी-भुवनेश्वर	उड़ीसा स्पॉन्ज आयरन एंड स्टील लिमिटेड	2009-10	307.36
153	120-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-III, बेंगलोर	एमपीपीएल रिनिबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	385

2015 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
154	114-सीटी	गुजरात	सीआईटी-III, राजकोट	विशालदीप स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	2007-08	51.14
155	110-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	इलैक्ट्रीकल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	2009-10	1170.07
156	109-सीटी	पश्चिम बंगाल	सेन्ट्रल-II, कोलकाता	नारभेराम पावर एंड स्टील प्रा. लिमिटेड	2011-12	802.67
157	108-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-I कोलकाता	वेस्ट बंगाल इलैक्ट्रनिक्स इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	180.88
158	107-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	प्रेसमैन रियल्टी लिमिटेड	2010-11	72.08
<b>कर छूटों/रियायतों/कटौतियों का प्रशासन-अनियमित छूट/कटौतियाँ/रियायत/रिबेट/मैट क्रेडिट</b>						
159	90-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-V, पुणे	फोर्स मोटर्स लिमिटेड	1994-95	137.32
160	87-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-सेन्ट्रल-I, मुंबई	अतिथि बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड	2008-09	113.06
161	74-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-III, मुंबई	हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2008-09	127.54
162	6-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-X मुंबई	गोदरेज एंड बोयस मै. कंपनी लिमिटेड	2009-10	88.31
163	67-सीटी	गोवा	सीआईटी-पनाजी	एस्मेराल्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लिमिटेड	2010-11	400
164	50-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-सेन्ट्रल-III, मुंबई	एस्के नीट (इंडिया) लिमिटेड	2009-10	532.87
165	44-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुंबई	अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड	2007-08	634.46
166	42-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-III, मुंबई	महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	2009-10	281.79
167	310-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VI, मुंबई	सैंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2009-10	80.33
168	294-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-X, मुंबई	स्ट्राइड्स आर्कोलैब इन्फोटेक लिमिटेड	2006-07	212.7
169	279-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-III, चैन्नई	तमिलनाडु स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	68.66
170	270-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-I	भारती हेक्साकन लिमिटेड	2010-11	283.61

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
171	253-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-III, मुंबई	ज्बैलेक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड	2009-10	813.78
172	249-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-IV, पुणे	विषय काम्पोनेन्ट इण्डिया लिमिटेड	2005-06	126.18
173	248-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, मुंबई	टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड	2007-08	87.15
174	203-सीटी	राजस्थान	सीआईटी-II, जयपुर	राजस्थान रिनिवेबल एनर्जी कार्पोरेशन लिमिटेड	2009-10	233.48
175	197-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VIII, मुंबई	प्रॉक्टर एंड गैबल हाईजिन एंड हेल्थकेयर लिमिटेड	2008-09	65.33
176	195-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-IV, चैन्नई	नर्मदा इन्फ्रास्ट्रचर कानस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड	2009-10	85.23
177	186-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-X, मुंबई	माइक्रो टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड	2007-08	199.13
178	170-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-III, कोलकाता	वोडाफोन ईस्ट लिमिटेड	2010-11	2404.33
179	157-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-II, चैन्नई	हेलिओस एंड मैथेसन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड	2010-11	73.6
180	148-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, मुंबई	इनटेलनेट ग्लोबल सर्विसेज (पी) लिमिटेड	2007-08	106.94
181	145-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, मुंबई	गिवउडन फ्लेवर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2002-03	242.98
182	137-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-V, मुंबई	गांधी स्पेशल ट्यूब्स लिमिटेड	2008-09	74.21
183	134-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-III, मुंबई	वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2008-09	3000.02
184	123-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-IV, हैदराबाद	ग्रीन फायर एग्री कमोडीटीस लिमिटेड (पहले नॉर्थगेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)	2006-07	561.24
185	113-सीटी	राजस्थान	सीआईटी-I, जयपुर	गुरु प्रजा रियल मार्ट प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	40.33
186	105-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	टीसीजी लाइफ साइंसेज लिमिटेड	2008-09	385

2015 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
187	104-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	एचपीएल कोजेनरेशन उत्पादन प्रा. लिमिटेड	2008-09	59.97
<b>कर छूटों/रियायतों/कटौतियों का प्रशासन-करोबार व्यय की गलत स्वीकृति</b>						
188	9-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-III चैन्नई	तमिलनाडु स्मॉल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	2009-10	152.95
189	91-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, मुंबई	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2000-01	52.46
190	88-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-X, मुंबई	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2008-09	12832.9
191	77-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	2008-09	403.2
192	59-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-II	मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजीटेबल प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	416.04
193	39-सीटी	महाराष्ट्र	डीआईटी (ईष रंगे) मुंबई	लैंड मार्क एजुकेशन इंडिया	2008-09	65.96
194	323-सीटी	ओडिशा	सीआईटी-भुवनेश्वर	उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2008-09	110.89
195	320-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-II, चैन्नई	फ्लोरिण्ड शूज प्रा. लिमिटेड	2009-10	239.76
196	319-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-II, चैन्नई	हेलिओस एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	2007-08	213.12
197	318-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी सेन्ट्रल-II, चैन्नई	कालीश्वरी रिफाइनरी (पी) लिमिटेड	2007-08	61.61
198	317-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी सेन्ट्रल-I, चैन्नई	एम्पी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	2008-09	51.79
199	315-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी सलेम	तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (सलेम) लिमिटेड	2007-08 & 2009-10	932.32
200	313-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड	2007-08	135.2
201	306-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	गुजरात एनआरई कोक लिमिटेड	2006-07	114.37
202	302-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-V	पावर लिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	2007-08	209.42
203	296-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी सेन्ट्रल, लुधियाना	क्रिप्टन डाटामैटिक्स लिमिटेड	2005-06	391.7

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
204	285-सीटी	ओडिशा	सीआईटी-संबलपुर	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	2009-10	143.46
205	281-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-IV, हेदराबाद	पारस कोलिन्स डिस्टिलरीज (पी) लिमिटेड	2006-07	223.95
206	277-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-VI, चेन्नई	शक्ति निटिंग लिमिटेड	2008-09	56.89
207	256-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	अंबुजा ईस्टर्न लिमिटेड सीमेंट	2006-07	162.02
208	244-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-II, त्रिची	तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट कोरपोरेशन (कुम्बकोनम) लिमिटेड	2009-10	1825
209	240-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	द एस्सेल माइनिंग एंड इन्स्ट्रीज लिमिटेड	2008-09	198.6
210	239-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	सेल्वेल मिडीया सर्विसेस प्रा. लि.	2010-11	50.52
211	234-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-I, कोलकाता	भास्कर इस्पात और फेरो अलॉय लिमिटेड	2009-10	404
212	227-सीटी	हरियाणा	सीआईटी हिंसार	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2008-09	317.04
213	224-सीटी	ओडिशा	सीआईटी संबलपुर	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	2009-10	127.92
214	223-सीटी	ओडिशा	सीआईटी संबलपुर	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	2009-10	414.6
215	222-सीटी	ओडिशा	सीआईटी भुवनेश्वर	उड़ीसा राज्य आवास बोर्ड	2009-10	178
216	221-सीटी	ओडिशा	सीआईटी भुवनेश्वर	औद्योगिक विकास निगम उड़ीसा लिमिटेड	2009-10	2262
217	207-सीटी	ओडिशा	सीआईटी-भुवनेश्वर	उड़ीसा राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड	2009-10	287
218	166-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-II, चैन्नई	फरीदा शूज प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	112.79
219	165-सीटी	राजस्थान	सीआईटी-II, जयपुर	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	2009-10	40.18
220	163-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I अहमदाबाद	अदानी विलमर लिमिटेड	2007-08	183.19



2015 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
221	158-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-II, चैन्नई	एन्नोर पोर्ट लिमिटेड	2010-11	80.9
222	154-सीटी	असम	सीआईटी-शिलांग	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (नीपको)	2009-10	877.49
223	152-सीटी	ओडिशा	सीआईटी-भुवनेश्वर	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	2008-09, 2009-10	483
224	150-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-X, मुम्बई	पर्सटॉप केमिकल्स इंडिया प्रा. लिमिटेड	2006-07	296.63
225	124-सीटी	ओडिशा	सीआईटी-भुवनेश्वर	उड़ीसा स्पॉन्ज एंड लिमिटेड आयरन स्टील लिमिटेड	2008-09	106.85
226	122	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुम्बई	देना बैंक	2007-08	1423.22
227	111-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2008-09	1497.45
<b>चूकों के कारण निर्धारणों से बची आय-विशेष प्रावधानों के तहत आय का निर्धारण नही/कम निर्धारण</b>						
228	94-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-I, बेंगलोर	भुवल्का इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2010-11	63.37
229	93-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-I, बेंगलोर	भुवल्का इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2011-12	110
230	89-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-IV, पुणे	बालाजी एमिनेस लिमिटेड	2009-10	114.83
231	85-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-II	जिंदल सो लिमिटेड	2010-11	153.4
232	83-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-III	जेपी वेन्चर प्रा. लिमिटेड	2011-12	270.75
233	7-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-V, मुम्बई	तोलानी शिपिंग कंपनी लिमिटेड	2006-07	113.58
234	5-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-V, चैन्नई	केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड (पूर्व में आरपीजी ट्रांसमिशन लिमिटेड)	2007-08	175.03
235	41-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-V, मुम्बई	सन्मन व्यापार इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	62.39
236	38-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VIII, मुम्बई	पेंटालून इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2009-10	145.44
237	299-सीटी	जम्मू और कश्मीर	सीआईटी-श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम	2009-10	29.15
238	287-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-I, चैन्नई	कोवानसिज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	460.21

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
239	26-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I, सूरत	जे. के पेपर्स लिमिटेड	2008-09	92.5
240	257-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	वेबेल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	2007-08	336.39
241	25-सीटी	गुजरात	सीआईटी-II, अहमदाबाद	गुजरात पशुधन ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	2007-08	337.23
242	246-सीटी	राजस्थान	सीआईटी-II, जयपुर	कंप्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड	2009-10	35
243	245-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I, बड़ोदा	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2008-09	166.31
244	243-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-I, कोलकाता	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	2009-10	199.24
245	237-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	यूको बैंक	2010-11	301.7
246	235-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	हिलटोप होल्डिंग्स इंडिया लिमिटेड	2009-10	163.76
247	229-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-II, हैदराबाद	आइरिस स्मार्ट कार्ड लिमिटेड	2007-08	543.09
248	214-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-IV, हैदराबाद	मारुती सिक्वोरिटीज लिमिटेड	2007-08	192.46
249	210-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	सेंबो इंजीनियरिंग लिमिटेड	2006-07	326.42
250	21-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I, अहमदाबाद	अरविंद मिल्स लिमिटेड	2005-06	121.25
251	206-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-VI, हैदराबाद	उत्तरी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2008-09	1164.25
252	204-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-III, हैदराबाद	सुजाना यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2006-07	398.71
253	187-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-C-III, मुंबई	आर्क फार्मालैब्स लिमिटेड	2004-05	63.7
254	175-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुंबई	महिंद्रा इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	2008-09	201.68
255	160-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VII, मुंबई	ओवन्स कोर्निंग (इंडिया) लिमिटेड	2007-08	75.99
256	149-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, मुंबई	प्रोटोज इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	2008-09	62.25

2015 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
257	144-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुंबई	जामिश इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	76.76
258	136-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-XI, मुंबई	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2006-07	51.56
259	117-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-I, बेंगलोर	बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कम्पनी लिमिटेड	2008-09	3281
260	116-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-सेल्ट्रल, बेंगलोर	वीएसएल माइनिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	98.42
261	101-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -V मुंबई	एनम इन्वेस्टमेंट सर्विसेस प्रा. लिमिटेड	2008-09	54.72
<b>चूको के कारण निर्धारणों से बची आय-सामान्य प्रावधानों के तहत आय का निर्धारण नहीं/कम निर्धारण</b>						
262	81-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-IV, चैन्नई	मिडास कोम्यूनिकेशन टेनकनलिजिस प्रा. लिमिटेड	2005-06	126.09
263	66-सीटी	केरल	सीआईटी-कोट्टायम	त्रावणकोर सीमेंट्स लिमिटेड	2007-08	84.15
264	322-सीटी	ओडिशा	सीआईटी-भुवनेश्वर	ओरिसा स्टेट पुलिस हाऊसिंग एंड वेल्फेयर कारपोरेशन	2009-10	229
265	321-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-I, चैन्नई	चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड	2009-10	10996.8
266	314-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	सेज सहज ई-विलेज लिमिटेड	2009-10	550.73
267	30-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी सेन्ट्रल हैदराबाद	इन्दु फाइन लैंड्स (प्रा.) लिमिटेड	2007-08	935.75
268	288-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-I, चैन्नई	अरुण एक्सेलो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड	2008-09	2576.79
269	27-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I अहमदाबाद	एल्पस केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	51.25
270	250-सीटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी-भोपाल	एम पी स्टेट सिविल स्प्लाइज़ कारपोरेशन लिमिटेड	2007-08	730.28
271	232-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-III, कोलकाता	फोनिक्स हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	98.51
272	228-सीटी	हरियाणा	सीआईटी हिसार	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2008-09	99.72
273	196-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-IV, चैन्नई	सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	418.28

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
274	194-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-I, चैन्नई	बालाजी होटल्स एंड एंटरप्राइसेस प्रा. लिमिटेड	2008-09	960.89
275	183-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VII, मुम्बई	नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया	2002-03	113.3
276	171-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-V, चैन्नई	रात्था होटलस प्रा. लिमिटेड	2009-10	1611.81
277	155-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-III, बेंगलोर	मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2008-09	470
278	151-सीटी	ओडिशा	सीआईटी-भुवनेश्वर	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	2009-10	3576.26
279	102-सीटी	पश्चिम बंगाल	डीआईटी-इन्टर, कोलकाता	कोनिनकलिके फिलिप्स इलैक्ट्रॉनिक्स एन वी	2006-07	73.25
<b>चूको के कारण निर्धारणों से छुटी आय-पूँजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना</b>						
280	98-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी सेन्ट्रल-III, चैन्नई	प्रीमियर रोलर फ्लोर मिल्स लिमिटेड	2005-06	54.89
281	86-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VII, मुम्बई	पविले फैशन प्राइवेट लिमिटेड	2007-08	645.49
282	40-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुम्बई	बैंक आफ इंडिया	2011-12	63.79
283	309-सीटी	गुजरात	सीआईटी-III, अहमदाबाद	निरमा इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड	2008-09	48.96
284	297-सीटी	पंजाब	सीआईटी-चण्डीगढ़	ओएसिस लेदर प्रा. लिमिटेड	2007-08	75.74
285	236-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कोपरेशन लिमिटेड	2007-08	174.88
286	168-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-सेन्ट्रल, हैदराबाद	सुमित कम्यूनिकेशन प्रा. लिमिटेड	2009-10	825.49
<b>चूको के कारण निर्धारणों से बची आय-टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों के लागू करने में चूकें</b>						
287	283-सीटी	हरियाणा	सीआईटी-रोहतक, हरियाणा	हरियाणा को ओपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड	2007-08	41.99
288	247-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, मुम्बई	सायरस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	2009-10	106.5

2015 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
289	231-सीटी	ओडिशा	सीआईटी, सम्बलपुर	महानदी कोलफील्डस लिमिटेड	2009-10	2047.89
290	162-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I अहमदाबाद	ब्लूम डेकोर लिमिटेड	2007-08	29.74
291	130-सीटी	ओडिशा	सीआईटी-भुवनेश्वर	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी	2008-09	267.5
292	119-सीटी	तमिलनाडु	डीआईटी-इन्ट कर चैन्नई	जरमेनिश्वर लायड इंडस्ट्रीयल सर्विसेस गम्भ इंडिया ब्रांच	2009-10	235.0
293	115-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I, सूरत	बाहुबली प्रिन्टस प्राइवेट लिमिटेड	2005-06	54.25
<b>चूको के कारण निर्धारणों के बची आय-अवर्णित निवेश/नकद क्रेडिट इत्यादि</b>						
294	254-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-VI, चैन्नई	एस 4 कारलिसले पब्लिशिंग सर्विसेस प्रा. लिमिटेड	2008-09	345.29
<b>कर/ब्याज का अधिक प्रभार-ब्याज का अधिक प्रभार</b>						
295	84-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-V	राठी इस्पात लिमिटेड	2006-07	2764.33
296	70-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, सेन्ट्रल, मुम्बई	सुनील मंत्री रियेलिटी प्रा. लिमिटेड	2008-09	952.31
297	63-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-III	श्री लाल महल लिमिटेड	2005-06	84.83
298	62-सीटी	दिल्ली	सीआईटी सेन्ट्रल-III	एमसोफ्ट बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड	2006-07	72.87
299	57-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-III	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	2010-11	1399.77
300	267-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	जीएमएमसीओ लिमिटेड	2010-11	73.8
301	266-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	नेशनल इन्श्योरेंस का लिमिटेड	2007-08	98.71
302	263-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	इलाहाबाद बैंक	2007-08	249.86
303	211-सीटी	दिल्ली	सीआईटी सेन्ट्रल-III	एम एन सिक्युरिटीज प्रा. लि.	2005-06	74.53
304	208-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-I	सेन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कोप.	2008-09	62.04
305	201-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-II, कोलकाता	सेन्ट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कोरपोरेशन लिमिटेड	2007-2008	1502.67
306	13-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-II इंटर. टैक्सेशन	न्यू स्काईज सैटेलाइट बीवी	2008-09	72.8

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
307	126-सीटी	पंजाब	सीआईटी-सेन्ट्रल, गुडगांव	सूर्या हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	164.36
308	55-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-सेन्ट्रल-I	महुआ मिडीया प्रा. लिमिटेड	2011-12	313.75
309	43-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VIII, मुंबई	सीबा (इंडिया) लिमिटेड (अब बीएसएफ इंडिया लिमिटेड)	2008-09	279.66
310	35-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-सेन्ट्रल	संचुरी काम्यूनिकेशन लिमिटेड	2011-12	579.62
311	33-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-I	सीईस इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	287.16
312	265-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV, कोलकाता	हिनदुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड	2010-11	506.81
313	260-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-सेन्ट्रल-III, कोलकाता	टुडेस राइटिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	2006-07	118.76
314	209-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-I	सेन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कोरपोरेशन	2008-09	2138.39
315	193-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-I	भारती एयरटेल लिमिटेड	2004-05	6026.81
316	192-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-I	भारत संचार निगम लिमिटेड	2008-09	28782.5
317	188-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VII, मुंबई	टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड	2002-03	229.3
318	185-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-सेन्ट्रल, नागपुर	मुरली इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2003-04	524.42
319	17-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I इंट. टैक्सेशन	हयात इंटरनेशनल साऊथ वेस्ट एशिया लिमिटेड	2009-10	395.15
320	16-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-II इंट. टैक्सेशन	एसएमआर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	2002-03	108.01
321	156-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-I, बेंगलोर	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	2009-10	117
322	325-सीटी	पंजाब	चण्डीगढ़	पंजाब केमिकल कारपोरेशन प्रोटेक्शन लिमिटेड	2008-09	37.10
323	141-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-III	डीएलएफ होटल होल्डिंग लिमिटेड	2008-09	52.34
324	138-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I	डिस्कवरी एशिया इंक यूएसए	2008-09	681.03

2015 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
325	132-सीटी	दिल्ली	सीआईटी सेन्ट्रल-I	केरेट 87 इन प्रा. लिमिटेड	2009-10	222.77
326	112-सीटी	राजस्थान	सीआईटी-अजमेर	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2009-10	453.97
<b>निर्धारणों की गुणवत्ता-आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां</b>						
327	9-आईटी	दिल्ली	डीआईटी-II इंटर. टैक्सेशन	मोहिंदर सिंह	2009-10	41.91
328	15-आईटी	केरल	सीआईटी-सेन्ट्रल, कोच्ची	मैथ्यू के चेरियन	2004-05	189.18
329	56-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VII, मुंबई	मीनल दिनेश वजिरानी	2008-09	64.32
330	68-आईटी	पश्चिम बंगाल	डीआईटी-I इंटर. टैक्सेशन, कोलकाता	जोय पार्टनशिप	2010-11	311.45
331	69-आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-I, कोलकाता	पी सूर्या राव	2010-11	66.27
332	72-आईटी	पंजाब	सीआईटी-सेन्ट्रल, गुडगांव	प्यारे लाल मेहता	2007-08	16.82
333	98-आईटी	दिल्ली	सीआईटी सेन्ट्रल II	पवन कुमार गुप्ता	2006-07 & 2010-11	20240.84 <sup>54</sup>
334	111-आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-सेन्ट्रल-III, कोलकाता	सुब्राता बानिक	2003-04	509.59
335	112-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-XI, मुंबई	डेलॉइट हसकिन्स एंड सेल्स	2009-10	45.18
<b>निर्धारणों की गुणवत्ता-कर, अतिरिक्त प्रभार इत्यादि के दरों को गलत लागू करना</b>						
336	17-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी, बरेली	आशा अग्रवाल	2008-09	55.22
337	18-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-I, कानपुर	मोहम्मद कामरान खुर्शीद	2009-10	41.31
338	19-आईटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-सेन्ट्रल, हैदराबाद	इंद्राणी प्रसाद	2009-10	970.75
339	49-आईटी	राजस्थान	सीआईटी-I, जयपुर	कैलाश चंद मोदानी	2009-10	17.21

<sup>54</sup> ₹ 20240.84 लाख के कर प्रभाव में नि. व 2006-07 के लिए ₹ 1519.69 लाख का अधिक प्रभार शामिल है।

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रकार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
340	118-आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी, गवालियर	गवालियर सिटिज़न साख सहकारिता मर्यादित	2007-08 & 2008-09	1117.48
341	121-आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी, गवालियर	अखिल सिंघल	2005-06	391
342	127-आईटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी सेन्ट्रल, हैदराबाद	पी.एस. प्रसाद	2006-07 & 2007-08	556.31
<b>निर्धारण की गुणवत्ता- ब्याज उदग्रहण में चूके</b>						
343	4- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी सेंट्रल iv मुम्बई	एन्द्रजीत आर्य	2008-09, 2009-10	434.96
344	16- आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-! कानपुर	पवन इन्टरप्राइजिज	2002-03	179
345	30- आईटी	हरियाणा	सीआईटी सेंट्रल, गुडगांव	अनिल कुमार गुप्ता	2009-10	15.53
346	31- आईटी	हरियाणा	सीआईटी सेंट्रल गुडगांव	सुशील कुमार गुप्ता	2009-10	30.08
347	34- आईटी	पंजाब	सीआईटी सेंट्रल गुडगांव	अनिल वर्मा	2005-06 to 10-11	14.92
348	36-आईटी	हरियाणा	सीआईटी सेंट्रल गुडगांव	प्रेम सिंघल	2010-11	25.86
349	41- आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी -I, त्रिची	के.सी पलनीशामी	2009-10	45.86
350	42- आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी -I, त्रिची	पलनीशामी शिवरमन	2009-10	66.22
351	47- आईटी	बिहार	सीआईटी, मुजफ्फरपुर	टी मुज्जफरपुर सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक	2010-11	33.75
352	52- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी - XXVI, मुम्बई	योगेश जैनेन्द्र मेहता	2004-05	30.03
353	54- आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी -I, कोयम्बटूर	एम. रामलिंगम	2009-10	79.1
354	74- आईटी	दिल्ली	सीआईटी - सेन्ट्रल।	प्रमोद कुमार गुप्ता	2010-11	326.21
355	80- आईटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी -III, हैदराबाद	वेल्यू लैब	2004-05	222.1
356	88- आईटी	दिल्ली	सीआईटी - सेन्ट्रल।	पवन कुमार गुप्ता	2008-09, 2009-10 & 2011-12	330.12



2015 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
357	96- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -XXV, मुम्बई	अभिषेक आर. व्यास	2009-10 & 2010-11	278.57
358	97- आईटी	दिल्ली	सीआईटी - सेन्ट्रल।	प्रमोद कुमार गुप्ता	2008-09 & 2009-10	301.54
359	99- आईटी	हरियाणा	सीआईटी, पंचकुला	राजेन्द्र कौर	1995-96	17.41
360	104- आईटी	गुजरात	सीआईटी -III, अहमदाबाद	स्व. जोतस्नाबेन सुमन त्रिवेदी	2009-10	14.58
361	106- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी - XXV, मुम्बई	निपुण ईश्वरदास ठक्कर	2010-11	29.53
362	120- आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी, ग्वालियर	अखिल सिंघल	2008-09	602
<b>निर्धारण की गुणवत्ता-अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज</b>						
363	58- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी - Xi, मुम्बई	केपीएमजी	2007-08	38.86
364	77- आईटी	बिहार	सीआईटी II पटना	अवधेश कुमार सिंह	2007-08	35.2
<b>कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रबंधन-व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियों/राहते</b>						
365	70- आईटी	उत्तराखण्ड	सीआईटी, देहरादून	प्रतीक कुमार	2009-10	157.42
366	102- आईटी	गुजरात	सीआईटी -II, बडोदा	वनिता चेतनभाई पटेल	2006-07	12.37
<b>कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रबंधन-ट्रस्टों/फर्मों/सोसाइटियों/एओपीज को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियां/राहते</b>						
367	39- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II कोल्हापुर	प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड	2009-10	56.23
368	40- आईटी	पंजाब	सीआईटी, पटियाला	पटियाला इम्प्रूमेंट ट्रस्ट	2008-09	390.14
369	57- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-XIX मुम्बई	सईद इरशाद बशा	2008-09	30.56
370	79- आईटी	कर्नाटक	सीआईटी III बेंगलोर	राकेश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स	2010-11	43.37
371	89- आईटी	गुजरात	सीआईटी-I अहमदाबाद	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सप.अधिकारी कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड	2010-11	13.39

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
372	90- आईटी	गुजरात	सीआईटी-1 अहमदाबाद	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इम्प्लोई कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड	2010-11	17.19
373	92- आईटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी सेन्ट्रल हैदराबाद	जनपरिया इंजीनियर सिंडीकेट	2008-09	297.8
374	93- आईटी	गुजरात	सीआईटी -1, बडोदा	फाइन लाइन सर्किट कम्पनी	2003-04	11.33
375	103- आईटी	गुजरात	सीआईटी -1, बडोदा	सीवाईएन कॉपरेशन	2009-10	11.08
376	107- आईटी	गुजरात	सीआईटी -1, बडोदा	श्री छानी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	2009- 2010	10.16
377	110- आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी-VIII, चेन्नई	चेन्नई सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड	2007-08, 2008-09	202.29
378	116- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-1, मुम्बई	सी.के.पी. कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड	2008-09	76.74
<b>कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रबंधन-बिजनेस व्यय की गलत स्वीकृति</b>						
379	10- आईटी	गुजरात	सीआईटी-V, अहमदाबाद	दी नव निर्माण कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड	2007-08	34.81
380	26- आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी बरेली	किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड	2006-07	125.57
381	35- आईटी	पंजाब	सीआईटी - सेन्ट्रल, गुडगांव	गोयल बिल्डर्स	2009-10	20.4
382	45- आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-XIX, कोलकाता	विद्यासागर सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड	2008-09	20.54
383	51- आईटी	राजस्थान	सीआईटी, कोटा	सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक	2008-09	10.2
384	109- आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी-VIII, चेन्नई	चेन्नई सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड	2008-09	67.32
385	126- आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी, भोपाल	एम.पी. स्टेट कॉपरेटिव एग्रीकल्चर एवं रूरल डेवलपमेंट बैंक लि.	2007-08	153.13
<b>कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रबंधन -मूल्यहास/बिजनेस हानियों/पूँजीगत हानियों को स्वीकृत करने में अनियमितताएं</b>						
386	1- आईटी	केरल	सीआईटी, कोटायाम	पुष्पगिरी मेडिकल सोसाइटी	2009-10	104.19

2015 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
387	3- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी, पुणे	भीमा शंकर सहकारी साखर कारखाना लि.	2007-08	69.62
388	8- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-XX, मुम्बई	शरद कांतिलाल शाह	2010-11	248.05
389	20- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, पुणे	दी मूला प्रवर इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लि.	2009-10	51.87
390	22- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-XXI, मुम्बई	परेश एच पुजारा	2010-11	82.98
391	23- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, कोल्हापुर	अजर सहकारी साखर कारखाना लि.	2008-09	104.6
392	24- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-XXIV, मुम्बई	ब्लाउन एन्टरप्राइजिज	2010-11	25.84
393	28- आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-I, कानपुर	अवध वूड प्रोडक्ट	2010-11	21.62
394	46- आईटी	बिहार	सीआईटी-सेन्ट्रल, पटना	करनैल सिंह	2007-08, 2008-09 & 2009-10	11.1
395	59- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-औरंगाबाद	दी जलना डिस्ट्रिक सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक	2009-10	223
396	65- आईटी	राजस्थान	सीआईटी, अजमेर	सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा	2008-09 & 2009-10	25.02
397	81- आईटी	गुजरात	सीआईटी-IV, अहमदाबाद	नरेन्द्रभाई पोपटभाई पटेल	2008-09	19.11
398	95- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी XII, मुम्बई	एलिंस होटेल	2010-11	69.17
399	100- आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-XI, कोलकाता	शेख मोहम्मद फिरोजुद्दीन अलमीर	2010-11	28.14
400	124- आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी, भोपाल	भोपाल विकास प्राधिकरण	2008-09	117.57
401	128- आईटी	गुजरात	सीआईटी-II, सूरत	श्री सयन विभाग सहकारी खंड उद्योग मंडली लि.	2010-11	15.52
<b>चूकों के कारण निर्धारण से बची आय- पूंजीगत अर्जन का गलत वर्गीकरण तथा संगणना</b>						
402	12- आईटी	गुजरात	सीआईटी, गांधीनगर	दी मेहसाना डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक लि.	2007-08	142.1
403	44- आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी-I, कोयम्बटूर	के. आर. जयराम	2009-10	70.78

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
404	66- आईटी	राजस्थान	सीआईटी-II, जयपुर	विनायक डेवलपर्स	2009-10	27.76
405	83- आईटी	गुजरात	सीआईटी-IV, अहमदाबाद	केतनकुमार बाबूभाई पटेल	2008-09	26.75
<b>चूकों के कारण निर्धारण से छूटी आय- आय की गलत संगणना</b>						
406	5- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, कोल्हापुर	कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक लि.	2009-10	886.7
407	11- आईटी	गुजरात	सीआईटी, गांधीनगर	दी मेहसरना डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक लि.	2007-08	44.97
408	21- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, पुणे	संगमरनेर भाग सहकारी कारखाना लि.	2007-08	129.12
409	38- आईटी	दिल्ली	सीआईटी-सेन्ट्रल II	रीना सिन्हा	2011-12	49.17
410	50- आईटी	राजस्थान	सीआईटी-II, जयपुर	सोखल बिल्डर्स एंड कस्ट्रक्शन	2010-11	28.89
411	53- आईटी	कर्नाटक	सीआईटी-सेन्ट्रल, बेंगलोर	केनरा हाउसिंग डेवलपमेंट कम्पनी	2007-08	60.31
412	82- आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-I, लखनऊ	यूपी सिविल सेक्रेट्रिएट प्राइमरी कॉर्पोरेटिव बैंक लि. लखनऊ	2008-09	97.05
413	105- आईटी	गुजरात	सीआईटी-III, अहमदागाद	पर्सवानाथ कॉर्पोरेशन	2007-08	37.98
414	108- आईटी	गुजरात	सीआईटी-II, बडोदा	नवीन शांतिलाल पटेल	2008-09	13.41
415	114- आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी सेन्ट्रल-II, चेन्नई	के. नागराजन	2011-12	42.24
416	115- आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी सेन्ट्रल-II, चेन्नई	एन. नवीन बालाजी	2011-12	40.81
<b>चूकों के कारण निर्धारण से छूटी आय-टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों का लागू करने में चूक</b>						
417	14- आईटी	गुजरात	सीआईटी-III, राजकोट	यूनसभाई एम.भैया	2007-08	29.18
418	27- आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-II, लखनऊ	जसमिन्दर सिंह	2009-10	33.49
419	48- आईटी	बिहार	सीआईटी-I, पटना	पारस नाथ सिंह	2008-09	10.3

2015 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
420	71- आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी- मुरादाबाद	परीश इन्टरनेशनल	2008-09	17
421	78- आईटी	झारखण्ड	सीआईटी, जमशेदपुर	बालकृष्ण एंड कम्पनी	2005-06	11.14
422	91- आईटी	गुजरात	सीआईटी-VI, अहमदाबाद	हकीमचंद डी एंड सन्स	2007-08	222.06
423	125- आईटी	छत्तीसगढ़	सीआईटी- रायपुर	पी.एन.बी. नायर	2008-09	12.34
<b>चूकों के कारण निर्धारण से छूटी आय-धन कर का उद्ग्रहण न होना/कम होना</b>						
424	1-डब्ल्यूटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-III, मुम्बई	पारसक्विथ ट्रेडिंग कम्पनी लि.	2008-09	28.32
425	2- डब्ल्यूटी	तमिलनाडु	सीआईटी-सेन्ट्रल-III, चेन्नई	आर. महालक्ष्मी	2010-11	2.51
426	3- डब्ल्यूटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-IV, मुम्बई	सोनावाला इंडस्ट्रिज प्रा. लि.	2005-06, to 07-08	3.73
427	4- डब्ल्यूटी	महाराष्ट्र	सीआईटी- I पुणे	ललितकुमार केसरीमल जैन	2007-08	19.7
428	5- डब्ल्यूटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-सेन्ट्रल I, मुम्बई	रहीमा हस्सन अली खान	2008-09	2.17
429	6- डब्ल्यूटी	कर्नाटक	सीआईटी-सेन्ट्रल, बेंगलोर	रेडडी वीराना	2004-05 to 07-08	6.18
430	7- डब्ल्यूटी	कर्नाटक	सीआईटी- III, बेंगलोर	ऑस्टिन रोश	2010-11	20.79
431	8- डब्ल्यूटी	कर्नाटक	सीआईटी-सेन्ट्रल, बेंगलोर	ई. अक्कम्मा	2008-09 to 10-11	7.05
432	9- डब्ल्यूटी	तमिलनाडु	सीआईटी- I कोयम्बटूर	एम.बालसुब्रह्मनयम	2008-09	26.15
433	10- डब्ल्यूटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी- III, कोलकाता	जेन्टेक्स मर्चन्टा प्रा. लि.	2006-07	34.38
434	11- डब्ल्यूटी	गुजरात	सीआईटी-I सूरत	रतिलाल मूलचंद पटेल	2008-09	1.31
435	12- डब्ल्यूटी	तमिलनाडु	सीआईटी- I कोयम्बटूर	सुगुना केपीटल वेनचर्स प्रा.लि.	2008-09	11.12
436	13- डब्ल्यूटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-X, कोलकाता	उज्जवल कुमार दास	2007-08	5.32

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
437	14- डब्ल्यूटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी- I, कोलकाता	गंगविजय कोमोट्रेड प्रा. लि.	2008-09	2.96
438	15- डब्ल्यूटी	तमिलनाडु	सीआईटी- सेन्ट्रल-I, चेन्नई	सुशील कुमार मेहता	2006-07 to 10-11	18.39
439	16- डब्ल्यूटी	तमिलनाडु	सीआईटी, सलेम	एस.के.पॉनराज	2008-09 & 2009-10	7.8
440	17- डब्ल्यूटी	गुजरात	सीआईटी- IV, अहमदाबाद	वैदिक कॉटन लि.	2008-09	1.86
441	18- डब्ल्यूटी	महाराष्ट्र	सीआईटी- सेंट्रल, पुणे	हबिबुल्लाह अब्बासाली चौधरी	2008-09	2.21
442	19- डब्ल्यूटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी- I, कोलकाता	वेस्ट बंगाल फिशरिज कॉर्पोरेशन लि.	2007-08	2.5
<b>अन्य- कर/ब्याज का अधिक प्रभार</b>						
443	2- आईटी	केरल	सीआईटी- सेंट्रल, कोच्ची	अनूप कुमार सिंकरम	2008-09	64.94
444	6- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी- सेंट्रल, पुणे	साई होम मेकर्स	2008-09	24.99
445	7- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी- सेंट्रल, पुणे	साई होम	2008-09	22.32
446	13- आईटी	बिहार	सीआईटी, भागलपुर	कतिहार डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक लि.	2008-09	26.92
447	25- आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी- बरेली	हरदोई डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटिव बैंक लि. हरदोई	2008-09	334.0
448	29- आईटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-IV, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश हाउसिंग बोर्ड	2007-08 & 2009-10	1920.78
449	33- आईटी	पंजाब	सीआईटी- सेंट्रल, लुधियाना	इद्रजीत सिंह बरार	2011-12	348.92
450	37- आईटी	दिल्ली	सीआईटी- सेंट्रल III	सुरेश कुमार गुप्ता	2006-07	707.38
451	43- आईटी	दिल्ली	सीआईटी-V	चेतन सेठ	2007-08	56.97
452	55- आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी- सेंट्रल II, चेन्नई	जी. करुनै आन्दन	2004-05	176.08
453	61- आईटी	पंजाब	सीआईटी - सेंट्रल, गुडगांव	गुरजीत सिंह	2003-04	26.99

2015 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वार्षिक वर्ष	कर प्रभाव (₹ लाख में)
454	62- आईटी	पंजाब	सीआईटी, चण्डीगढ़	इंडो सोवियत फ्रेंडशिप कॉलेज, मोगा	2004-05	16.66
455	63- आईटी	दिल्ली	सीआईटी, सेंट्रल।	राजेश कालरा	2011-12	32.25
456	64- आईटी	दिल्ली	सीआईटी, सेंट्रल।	अन्जू गुप्ता	2010-11	42.97
457	67- आईटी	दिल्ली	सीआईटी, सेंट्रल।	उषा गुप्ता	2010-11	26.37
458	73- आईटी	दिल्ली	सीआईटी, सेंट्रल।	उषा गुप्ता	2011-12	23.02
459	75- आईटी	दिल्ली	सीआईटी, सेंट्रल।	रीशू गुप्ता	2010-11	415.17
460	76- आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-XX, कोलकाता	जहीद खान	2007-08	67.21
461	84- आईटी	दिल्ली	सीआईटी, सेंट्रल।।	जगत ओवरसीज	2010-11 & 2011-12	413.94
462	85- आईटी	दिल्ली	सीआईटी, सेंट्रल।	रीशू गुप्ता	2009-10	901.05
463	86- आईटी	दिल्ली	सीआईटी, सेंट्रल।।	सुधा पावा	2010-11	36.2
464	87- आईटी	दिल्ली	सीआईटी, सेंट्रल।	चेतन गुप्ता	2005-06	147.03
465	94- आईटी	दिल्ली	सीआईटी, सेंट्रल।	उषा गुप्ता	2010-11	24.22
466	101- आईटी	झारखण्ड	सीआईटी, हजारीबाग	एस.एन. सिंह	2007-08	20.69
467	119- आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी, ग्वालियर	दी ग्वालियर सीटीजन साख सहकारिता मर्यादित	2004-05	315.0
468	122- आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी, ग्वालियर	दी कुबेर साख सहकारिता मर्यादित	2008-09	422.0
469	123-आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी, भोपाल	पवन अग्रवाल	2004-05	278.72

## परिशिष्ट 2.4 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.5.5)

मंत्रालय को भेजे गए ड्राफ्ट पैराग्राफों के संबंध में निष्कर्षों के श्रेणीवार ब्यौरे		
उप श्रेणी	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
<b>क. निर्धारणों की गुणवत्ता</b>	<b>144</b>	<b>918.57</b>
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	55	467.75
ख. कर अधिभार इत्यादि की गलत दर लगाना	15	55.52
ग. विवरणियों की प्रस्तुती ,कर के भुगतान में विलम्ब के लिए ब्याज/शास्ति नहीं/कम लगाना .	39	223.63
घ. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज	23	123.13
ङ. अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारणों में त्रुटियां	12	48.54
<b>ख. कर रियायतों/ छूटों/कटौतियों का प्रशासन</b>	<b>158</b>	<b>746.71</b>
क. निगमों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियाँ/राहत	29	115.20
ख. ट्रस्टों/ फर्मों/सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियाँ/राहत	12	11.60
ग. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियाँ/राहत	2	1.70
घ. कारोबारी व्यय की गलत अनुमति	47	285.68
ङ. मूल्यहास/ कारोबारी हानियां/पूजीगत हानियां अनुमत करने में अनियमितताएं	68	332.53
<b>ग. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटी आय</b>	<b>108</b>	<b>410.00</b>
क. मेट/टनेज कर इत्यादि सहित विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत	34	100.42
ख. पूजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	11	21.56
ग. आय की गलत गणना	29	251.34
घ. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक	14	31.19
ङ. संपत्ति कर का गैर/कम उदग्रहण	19	2.04
च. अस्पष्ट निवेश/नकद क्रेडिट	1	3.45
<b>घ. अन्य</b>	<b>59</b>	<b>578.40</b>
कर/ब्याज का अधिक प्रभार	59	578.40
	<b>जोड़</b>	<b>469 2,653.68</b>



परिशिष्ट 2.5 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.7.4)

वि.व. 2013-14 में समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई वाले मामले		
राज्य	समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई पर लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	
	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
आंध्र प्रदेश	205	76.03
असम	27	0.67
बिहार	105	2.53
छत्तीसगढ़	8	0.92
गोवा	0	0.00
गुजरात	878	286.14
हरयाणा	108	21.00
हिमाचल प्रदेश	0	0.00
जम्मू - कश्मीर	43	0.32
झारखंड	10	0.22
कर्नाटक	15	2.72
केरल	5	3.10
मध्य प्रदेश	44	5.11
ओडिशा	41	28.65
पंजाब	70	1.50
केन्द्र शासित चंडीगढ़	28	2.66
राजस्थान	38	0.64
तमिलनाडु	276	160.67
उत्तर प्रदेश	75	115.40
उत्तराखंड	0	0.00
दिल्ली	2	0.02
महाराष्ट्र	339	412.49
पश्चिम बंगाल	110	0.43
<b>कुल</b>	<b>2427</b>	<b>1121.22</b>

परिशिष्ट- 2.6 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.8.2)

राज्य	वि.व. 2013-14 में माँगे गए अभिलेख	वि.व. 2013- 14 में उपलब्ध नहीं कराए गए अभिलेख	वि.व. 2013-14 में उपलब्ध नहीं कराए गए अभिलेख की प्रतिशतता	वि.व. 2012-13 में उपलब्ध नहीं कराए गए अभिलेख की प्रतिशतता	वि.व. 2011-12 में उपलब्ध नहीं कराए गए अभिलेख की प्रतिशतता
आंध्र प्रदेश	15,890	2761	17.38	7.74	13.63
असम	2,054	7	0.34	1.16	6.95
बिहार	3,914	529	13.52	28.74	17.66
छत्तीसगढ़	2,270	30	1.32	17.49	8.54
गोवा	0	0	0.00	1.09	5.79
गुजरात	23,303	3,166	13.59	16.47	12.13
हरयाणा	5,291	164	3.10	6.63	8.27
हिमाचल प्रदेश	2,367	188	7.94	10.56	15.73
जम्मू - कश्मीर	1,122	148	13.19	20.59	11.59
झारखंड	2,840	186	6.55	3.27	4.53
कर्नाटक	14,286	3,634	25.44	14.25	23.94
केरल	6,998	693	9.90	12.93	11.88
मध्य प्रदेश	10,652	1,797	16.87	25.73	21.79
ओडिशा	7,428	2,349	31.62	37.00	53.31
पंजाब	5,794	1,012	17.47	21.82	18.69
के. शा. चंडीगढ़	4,612	788	17.09	40.53	36.21
राजस्थान	13,552	1,121	8.27	7.13	6.14
तमिलनाडु	24,863	5,597	22.51	32.05	33.02
उत्तर प्रदेश	13,379	709	5.30	8.44	6.12
उत्तराखंड	2,565	110	4.29	4.34	5.04
दिल्ली	59,271	10,809	18.24	21.37	30.55
महाराष्ट्र	64,698	3,140	4.85	4.22	5.81
पश्चिम बंगाल	12,069	1,274	10.56	4.36	5.93
<b>कुल</b>	<b>2,99,218</b>	<b>40,212</b>	<b>13.44</b>	<b>14.70</b>	<b>16.69</b>

**परिशिष्ट 5.1 (संदर्भ: पैराग्राफ 5.2)**

**आयकर समझौता आयोग के विभिन्न बेंचों का क्षेत्राधिकार**

क्र. सं.	बेंच का नाम	क्षेत्राधिकृत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
1.	प्रधान बेंच, नई दिल्ली	क्र.सं. 2 से क्र.सं. 6 में उल्लिखित को छोड़कर नई दिल्ली और राज्य, संघ शासित प्रदेश/शहर
2.	अतिरिक्त बेंच-I, नई दिल्ली	पंजाब, चंडीगढ़ के.शा.प्र. और सीआईटी (केंद्रीय)-I, नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार वाले मामले
3.	अतिरिक्त बेंच-II, नई दिल्ली	राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और आयकर आयुक्तों-I से XVI-दिल्ली के क्षेत्राधिकार वाले मामलों
4.	अतिरिक्त बेंच-I, मुंबई	(i) मुंबई (आयकर- IV, V, VI, XI, XII एवं XIII मुंबई के मुख्य आयुक्त और आयकर (केंद्रीय)-II, मुंबई के मुख्य आयुक्त को छोड़कर); (ii) पुणे; (iii) मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यालय सहित सीआईटी (केंद्रीय) के क्षेत्राधिकार के तहत निर्धारण अधिकारियों को छोड़कर) और (iv) गोवा, दमन और दीव।
5.	अतिरिक्त बेंच-II, मुंबई	(i) मुख्य आयुक्त, आयकर-IV से VI, XI to XIII, मुंबई; (ii) मुख्य आयुक्त, आयकर(केंद्रीय)-II, मुंबई; (iii) गुजरात और (iv) बाकी महाराष्ट्र (मुंबई और पुणे को छोड़कर)।
6.	अतिरिक्त बेंच, कोलकाता	बिहार, मेघालय, ओडिसा, प. बंगाल, छत्तीसगढ़ (छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यालय सहित सीआईटी (केंद्रीय) के क्षेत्राधिकार के तहत निर्धारण अधिकारियों को छोड़कर) झारखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, नागालैण्ड और अरुणांचल प्रदेश।
7.	अतिरिक्त बेंच, चेन्नई	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, लक्षद्वीप एवं मिनीकाँय द्वीप समूह।

स्रोत: आयकर समझौता आयोग की वेबसाइट, <http://www.itscindia.gov.in>

**संकेताक्षर**

एसीआईटी	सहायक आयुक्त, आयकर
एक्ट	आयकर अधिनियम, 1961
एआईआर	वार्षिक सूचना विवरणी
एओ	निर्धारण अधिकारी
एवाई	निर्धारण वर्ष
सीबीडीटी	केन्द्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष कर
सीसीआईटी	मुख्य आयुक्त, आयकर
सीआईटी	आयकर आयुक्त
सीपीसी	केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र
सीएसओ	केन्द्रीय स्थैतिक संगठन
सीटी	निगम कर
डीटी	प्रत्यक्ष कर
डीओआर	राजस्व विभाग
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीटीआर	सकल कर राजस्व
आईसीएआई	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईटी	आयकर
आईटीएटी	आयकर अपीलीय प्राधिकरण
आईटीबीए	आयकर व्यापार अप्लीकेशन
आईटीडी	आयकर विभाग
आईटीडीएमएस	समेकित करदाता डाटा प्रबंधन प्रणाली
आईटीओ	आयकर अधिकारी
आईटीआर	आयकर विवरणी
जीसीआईटी	संयुक्त आयुक्त, आयकर
पैन	स्थायी खाता संख्या
प्रि. सीसीए	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक
एमएटी (मैट)	न्यूनतम वैकल्पिक कर
आरएफडी	परिणामी ढाँचा दस्तावेज

2015 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

आरओसी	कंपनियों के रजिस्ट्रार
टीसीएस	स्रोत पर संग्रहीत कर
टीडीएस	स्रोत पर काटा गया कर
टीआरओ	कर वसूली अधिकारी

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)